अध्याय 1

संगठन

संगठन

1

1.1 संरचना

1.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय का एक विभाग है। यह कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात् पशुपालन और डेयरी विकास को मिला करके 1 फरवरी, 1991 को अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा इस नए विभाग में 10 अक्तूबर, 1997 में अंतरित कर दिया गया।

1.1.2 यह विभाग, श्री शरद पवार, माननीय कृषि मंत्री के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता वर्ष 2008-09 के दौरान मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, पशुपालन राज्य मंत्री करते थे। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) हैं। डा0 प्रदीप कुमार के स्थानान्तरण के बाद श्री एन. गोकुलराम ने 6 नवम्बर, 2008 को सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।

1.1.3 इस विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) विभाग के सचिव की सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट तथा विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आबंटन अनुबंध - I में दिया गया है।

1.2 कार्य

1.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने, डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग मछली पकड़ने और मत्स्य पालन से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है, जिसमें अंतर्देशीय तथा समुद्री क्षेत्र और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से संबंधित मामले शामिल हैं।

1.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास तथा मत्स्यन पालन के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह देता है। यह मुख्यतया इन गतिविधियों पर ध्यान देता है (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास; (ख) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रखरखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना; (ग) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और संरक्षण; (घ) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का सुदृढ़ीकरण; और (ड.) ताजे, खारे पानी में जलकृषि का विस्तार, समुद्री मात्स्यिकी ढांचे एवं पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा मछुआरों का कल्याण, आदि।

1.2.3 इस विभाग को आबंटित विषयों की अनुसूची अनुबंध-II में दी गई है।

1.3 अधीनस्थ कार्यालय

1.3.1 यह विभाग पूरे देश में फैले 36 फील्ड कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों, जो पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी क्षेत्र के विभिन्न क्रियाकलापों को भी देखते हैं, का प्रशासन भी देखता है। इन कार्यालयों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार हैः-

विभाग फरवरी, 1991 में अस्तित्व में आया था और अक्तूबर, 1997 में मात्स्यिकी के विषय को भी विभाग में अंतरित कर दिया गया था।

गतिविधियों का मुख्य जोर इन पर है (क) पशु उत्पादकता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं का विकास; (ख) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की हैंडलिंग, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन; (ग) स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का संरक्षण और परिरक्षण; (घ) राज्यों को वितरित किए जाने के लिए बेहतर जर्म प्लाज्म के विकास के उद्देश्य से केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का संवर्धन; और (ड.) ताजा और खारे जल में जलकृषि का विस्तार, समुद्री मात्स्यिकी बुनियादी सुविधाओं का विकास और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन तथा मछुआरा कल्याण, आदि।

विभाग के 36 फील्ड कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय हैं।

क्र0 सं0	अधीनस्थ कार्यालय	संख्या
(i)	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	12
(ii)	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5
(iii)	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1
(iv)	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	8
(v)	पशु संगरोध प्रमाणीकरण केन्द्र	1
(vi)	दिल्ली दुग्ध योजना	4
(vii)	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर	1
(viii)	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	1
(ix)	राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईपीएचएटीटी),	1
(x)	कोचीन	1
(xi)	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई	1
	कुल	**36**

1.3.2 उक्त अधीनस्थ कार्यालयों की सूची अनुबंध-III में दी गयी है।

1.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

1.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक प्रमुख संस्थान है और यह आणंद, गुजरात में स्थित है। इसे सहकारिता की तर्ज पर डेयरी विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से सन् 1987 में स्थापित किया गया है। डा0 (सुश्री) अमृता पटेल 26 नवम्बर, 1998 से बोर्ड की अध्यक्षा हैं।

1.5 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

1.5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को सितम्बर, 2006 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र, मत्स्य पालन, प्रसंस्करण तथा मछली के विपणन की दोहन न की गई संभावनाओं का दोहन करना, मात्स्यिकी के ईष्टतम उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना है। डा0 पी.कृष्णैया इस संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

1.6 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण

1.6.1 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 अधिनियम बन गया है जैसा कि सरकारी राजपत्र में दिनांक 23.06.2005 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम दिनांक 22.12.2005 को राजपत्र में अधिसूचित किए गए। न्यायमूर्ति ए. के. राजन की अध्यक्षता में नए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के गठन को भी दिनांक 22.12.2005 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया।

1.7 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद

1.7.1 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के तहत एक निगमित निकाय है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 3(3)(जी) के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार ने अगस्त, 2006 में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के त्रिवर्षीय चुनाव आयोजित किए थे और डॉ0 ए. एल. चौधरी की अध्यक्षता में नई परिषद अक्टूबर, 2006 में गठित हुई थी। इस समय, 25 राज्यों तथा सभी संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को स्वीकार कर लिया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद पाठ्यक्रम का विकास करके और संपूर्ण देश में क्रियाकलापों के मानकों को

समान बनाए रखने के लिए पशुचिकित्सा संस्थानों को लाइसेंस प्रदान करके पशुचिकित्सा शिक्षा को विनियमित करती है।

1.8 शिकायत कक्ष

1.8.1 जनता की शिकायतों की जांच करने के लिए इस विभाग में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। निदेशक स्तर के अधिकारी इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं।

1.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी

1.9.1 इस विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए भी इस विभाग में उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

1.10 सतर्कता एकक

1.10.1 इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करने के लिए इस विभाग में एक सतर्कता एकक काम कर रहा है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों को मानीटर करता है। विभाग ने अपने क्षेत्रीय एककों के साथ 3 से 7 नवम्बर, 2008 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सचिव (एडीएफ) ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अधिकारियों एवं स्टाफ को शपथ दिलाई।

1.11 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.11.1 वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य, से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का हिन्दी अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, परिणामी बजट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

1.11.2 इस विभाग में संयुक्त सचिव(पीएंडएफ) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई थी। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप, हिंदी में पत्राचार की प्रतिशत में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

1.11.3 राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसरण में और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी की प्रगति के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए हिंदी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा मुम्बई, बंगलौर, कोचीन तथा हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था। इन निरीक्षणों के दौरान संबंधित कार्यालयों द्वारा हिंदी में कार्य करने को लेकर सामना की जा रही कठिनाईयों के संबंध में चर्चा की गई थी और उन्हें उपचारात्मक उपाय सुझाए गए। इन निरीक्षणों के दौरान हिंदी कार्यशालाओं को भी आयोजित किया गया जिनमें उन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को सरकार की राजभाषा नीति के बारे में अवगत कराया गया और उन्हें यह भी बताया गया कि सरकारी कार्यों में हिंदी को कैसे बढ़ाए।

1.11.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई, केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरत, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर, केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, बंगलौर का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षण बैठकों में विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा भी भाग लिया गया।

1.11.5 सरकार की राजभाषा नीति के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव (डीएडीएफ) तथा संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा सभी अधिकारियों/अनुभागों को समय-समय पर परिपत्र भी जारी किए गए। कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभाग में नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

1.11.6 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग में चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। विभिन्न प्रभागों के कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया। इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति, सरकारी कार्य में हिंदी को बढ़ावा देने के उपायों, हिंदी में

मूल कार्य करने में आने वाली कठिनाईयों और उनके उपचारात्मक उपायों, टिप्पण एवं प्रारूपण, आदि जैसे विषयों से अवगत कराया गया। कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में बड़े उत्साह से भाग लिया और इसके परिणामस्वरूप विभाग में सरकारी कार्य में बढ़ोत्तरी हुई।

1.11.7 हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का हिंदी में उत्तर दिया गया। इसी प्रकार इस विभाग से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्यों को हिंदी में पत्र भेजे गए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के प्रावधानों का भी पूरी तरह से पालन किया गया। वर्ष के दौरान हिंदी स्टेनोग्राफी तथा हिंदी टाइपिंग के लिए क्रमशः दो आशुलिपिकों तथा पांच अवर श्रेणी लिपिकों को नामित किया गया। विभाग में 1 से 15 सितम्बर, 2008 के दौरान हिंदी पखवाडे का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण प्रारूपण, हिंदी राजभाषा ज्ञान तथा वाद-विवाद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

1.12 पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना

1.12.1 विभाग की वेबसाइट (http://dadf.gov.in) का रख-रखाव किया गया तथा विशेष रूप से एवियन एंफ्लूएंजा की स्थिति के बारे में स्थिति को दैनिक आधार पर अद्यतन किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रकाशित करके वेबसाइट को विस्तार दिया गया है। विभाग ने "पशुधन सांख्यिकी " के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की है।

1.13 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

1.13.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आरटीआई अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किया है। इसी प्रकार विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी संगठनों के लिए अलग से सीपीआईओ नियुक्त किए गए हैं।

अध्याय 2

नीति तथा दृष्टिकोण

नीति तथा दृष्टिकोण

2

2.1 पशुपालन, डेयरी विकास और मात्स्यिकी क्षेत्र की भूमिका

2.1.1 पशुपालन, डेयरी विकास और मात्स्यिकी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तथा देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र परिवार की आय की प्रतिपूर्ति करने और करोड़ों लोगों को सस्ता पौष्टिक आहार मुहैया कराने के अतिरिक्त विशेषरूप से भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार सृजन में भी काफी योगदान देते हैं। सूखा, भुखमरी तथा अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में पशुधन बेहतर बीमा हैं।

2.2 कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति

2.2.1 राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 से अधिक की विकास दर को हासिल करना है, उसने खाद्य और पौषणिक सुरक्षा के महत्व तथा धन और रोजगार के सृजन में पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्रों के महत्व पर जोर दिया था। इस नीति में भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देने और निर्यात योग्य अधिशेषों का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया था। स्वास्थ्य देखरेख, चारा उत्पादन और पशु रोग से मुक्ति प्रमुखता वाले कुछ अन्य क्षेत्र थे जिन्हें नीति अभिलेख में दर्शाया गया था। सतत जलकृषि पद्धतियों को बढावा देने के लिए तैयार किए गए समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के एकीकृत दृष्टिकोण की भी व्यवस्था की गई थी। आनुवांशिक और प्रजनन, रोग प्रतिरोधी और रोग नियंत्रण में बायो प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोगों के क्षेत्र अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे।

2.2.2 मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000 को कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 से बदल लिया गया है। नई नीति में मात्र उत्पादन के स्थान पर कृषकों की आर्थिक सुखसुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि किसी कृषि नीति में उत्पादन और वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक सामाजिक सुविधाओं पर भी मुख्य रूप से विचार किया जाता है। अतः नई नीति का उद्देश्य व्यवहार्यता और कार्य को बढ़ाना है जिससे कृषि परिवारों में आय में सुधार लाने की दृष्टि से कृषि में प्रगति का आकलन किया जा सकेगा, जिससे न केवल उनकी उपभोगिता आवश्यकता पूरी होगी बल्कि काम से संबंधित क्रियाकलापों में उनके निवेश करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

2.2.3 कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति के मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता में सतत वृद्धि के लिए आवश्यक भूमि, जल, जैव विविधिकरण तथा आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा और बेहतर बनाने, संरक्षण में आर्थिक जोखिम तैयार करते हुए महत्वपूर्ण कृषि प्रणालियों को लाभकारी और सफल बनाना, फसल, फार्म पशुओ, मत्स्य और जंगल के पेड़ों इत्यादि के जैविक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। पशुपालन क्षेत्र में कृषकों के सामने मुख्य कठिनाईयां नस्ल, आहार एवं चारा, स्वास्थ्य सेवा और उन उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य से संबंधित हैं। नई नीति में इन मुद्दों का उपयुक्त रणनीति के जरिए हल निकालने की व्यवस्था है। मात्स्यिकी क्षेत्र में, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए, जिसमें मात्स्यिकी भी शामिल है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र(ईईजैड) के प्रबंधन और आर्थिक प्रयोग के लिए एक गतिशील नीति तैयार की जाएगी और इसे राष्ट्रीय विकास मात्स्यिकी बोर्ड(एनएफडीबी) की सहायता से लागू किया जाएगा।।

> कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति के मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता में सतत वृद्धि के लिए आवश्यक भूमि, जल, जैव विविधिकरण तथा आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा और बेहतर बनाने, संरक्षण में आर्थिक जोखिम तैयार करते हुए महत्वपूर्ण कृषि प्रणालियों को लाभकारी और सफल बनाना, फसल, फार्म पशुओ, मत्स्य और जंगल के पेड़ों इत्यादि के जैविक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

2.3 सरकार की पहलकदमी तथा राज्यों को सहायता

2.3.1 चूंकि पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी सहित कृषि राज्य का विषय है, अतः विभाग का बल इन

क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करना है। विभाग पशु रोग नियंत्रण, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा आनुवंशिक संसाधनों का उन्नयन, पोषक आहार और चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के सतत विकास तथा पशुधन और मात्स्यिकी उपक्रमों के उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देता रहा है।

2.4 पशुधन संसाधन

2.4.1 भारत में पशुधन और कुक्कुट के विशाल संसाधन हैं जो ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत विश्व में भैंसों के संबंध में प्रथम, गोपशुओं तथा बकरियों के संबंध में द्वितीय, भेड़ों के संबंध में तृतीय, बत्तख के संबंध में चौथे, कुक्कुट के संबंध में पांचवें तथा ऊंट के संबंध में छठे स्थान पर है। विश्व की कुल भैंसों की संख्या का 57% भारत में है। पशुधन की विभिन्न प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध- IV में दिया गया है।

भारत विश्व में भैंसों के संबंध में प्रथम, गोपशु और बकरियों के संबंध में द्वितीय और भेड़ों के संबंध में तृतीय स्थान पर है।

2.5 रोजगार सृजन

2.5.1 पशुपालन क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार (जुलाई, 2004-जून, 2005 - एनएसएस 61वां दौर), पशुपालन के क्षेत्र से रोजगार प्रमुख स्थिति में लगभग 11.44 मिलियन तथा सहायक स्थिति में लगभग 11.01 मिलियन था, जो देश की कुल कार्यरत जनसंख्या का 5.50% है। पशुपालन क्षेत्र में लगे हुए 22.45 मिलियन लोगों में से 16.84 मिलियन महिलाएं हैं। पशुपालन तथा मात्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 36.94 मिलियन जनसंख्या लगी हुई है, जिनमें 20.88 मिलियन महिलाओं की संख्या है। इस प्रकार, पशुपालन और मात्स्यिकी में कुल रोजगार कुल कार्यबल का लगभग 9.05% है।

लगभग 36.94 मिलियन लोग पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्र में काम करते हैं।

2.6 उत्पादन मूल्य

2.6.1 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रों से उत्पादन मूल्य 2007-08 के दौरान लगभग 2,82,779 करोड़ रुपए (पशुधन क्षेत्र के लिए 2,40,601 करोड़ रुपए तथा मात्स्यिकी के लिए 42,178 करोड़ रुपए) था जो कृषि और सहायक क्षेत्र से 8,94,420 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य का लगभग 31.6% है। वर्ष 2007-08 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों का अंशदान 5.21 प्रतिशत था।

2007-08 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद के लिए पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्र का योगदान 5.21 प्रतिशत था।

पशुधन संख्या

(मिलियन संख्या)

क्र. सं	प्रजाति	पशुधन गणना		वार्षिक विकास दर (%)	
		1997	2003	1997 की तुलना में 2003 में	वार्षिक (संयोजित)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	गोपशु	198.9	185.2	-6.89	-1.18
2	भैंस	89.9	97.9	8.90	1.43
3	याक	0.06	0.07	16.67	2.60
4	मिथुन	0.18	0.28	55.56	7.64
	कुल गोजातीय	289.0	283.4	-1.95	-0.33
5	भेड.	57.5	61.5	6.96	1.13
6	बकरी	122.7	124.4	1.38	0.23
7	सूअर	13.3	13.5	1.51	0.26
8	अन्य पशु	2.8	2.2	-22.18	-4.09
	कुल पशुधन	485.4	485.0	-0.08	-0.01
9	कुक्कुट	347.6	489.0	40.68	5.85

2.7 अन्य योगदान

2.7.1 पशुधन क्षेत्र दूध, अंडा, मीट आदि के माध्यम से न केवल आवश्यक प्रोटीन तथा पोषक मानवीय आहार उपलब्ध कराता है, बल्कि गैर खाद्य कृषि उपोत्पादों के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पशुधन क्षेत्र चमड़ा तथा खाल, रक्त, हड्डी, वसा आदि जैसी कच्ची सामग्री/उतोत्पाद भी उपलब्ध कराता है। केवल दूध का अंशदान (1,62,136 करोड़ रुपए), धान (95,038 करोड़ रुपए), गेहूं (71,579 करोड़ रुपए) तथा गन्ना (33,691 करोड़ रुपए) से अधिक था। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार, 2007-08 में वर्तमान मूल्यों पर मीट ग्रुप से उत्पादन का मूल्य 40,399 करोड़ रुपए था।

2.8 दुग्ध उत्पादन

2.8.1 भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना रहा। दूध का उत्पादन 1990-91 के 53.9 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 100.90 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2007-08 के लिए दूध का उत्पादन का अनुमान 104.8 मिलियन टन था।

2.9 अंडा उत्पादन

2.9.1 देश में कुक्कुट विकास में पिछले वर्षों में निरंतर प्रगति हुई है। वर्ष 2006 के खाद्य एवं कृषि संगठन सांख्यिकी के अनुसार भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। अंडा का उत्पादन संख्या में वर्ष 1990-91 में 21 बिलियन से बढ़कर 2006-07 में 51 बिलियन हो गया है। वर्ष 2007-08 में अंडा उत्पादन 53.5 बिलियन संख्या होने का आकलन है।

2.10 ऊन उत्पादन

2.10.1 ऊन का उत्पादन वर्ष 1990-91 के 41.2 मिलियन किलोग्राम की तुलना में 2006-07 के अंत तक 45.1 मिलियन किलोग्राम था । वर्ष 2007-08 के लिए ऊन का उत्पादन 44.0 मिलियन किलोग्राम हुआ। वर्ष 1950-51 से 2006-07 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन अनुबंध-V में दिया गया है।

2.11 मछली तथा मत्स्य बीज उत्पादन

2.11.1 भारत अब विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में ताजा जल मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मछली का उत्पादन 1991-92 में 4.16 मिलियन टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 2.45 मिलियन टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 1.71 मिलियन टन) से बढ़कर 2007-08 में 7.12 मिलियन टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 2.92 मिलियन टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 4.20 मिलियन टन) हो गया है।

(लाख टन में उत्पादन)

वर्ष	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1991-1992	24.47	17.10	41.57
1992-1993	25.76	17.89	43.65
1993-1994	26.49	19.95	46.44
1994-1995	26.92	20.97	47.89
1995-1996	27.07	22.42	49.49
1996-1997	29.67	23.81	53.48
1997-1998	29.50	24.38	53.88
1998-1999	26.96	26.02	52.98
1999-2000	28.52	28.23	56.75
2000-2001	28.11	28.45	56.56
2001-2002	28.30	31.20	59.56
2002-2003	29.90	32.10	62.00
2003-2004	29.41	34.58	63.99
2004-2005	27.80	35.20	63.04
2005-2006	28.16	37.55	65.71
2006-2007	30.24	38.45	68.69
2007-2008	29.20	42.00	71.20

2.11.2 मछली उत्पादन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों तथा अंतर्देशीय जल संसाधनों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-VI, VII तथा VIII में दिया गया है और मत्स्य बीज उत्पादन के वर्षवार आंकड़े अनुबंध-IX में दिए गए हैं।

2.12 निर्यात से आय

2.12.1 वर्ष 2007-08 के दौरान पशुधन, कुक्कुट तथा समुद्री उत्पादों से कुल निर्यात से 16,277 करोड़ रुपए (पशुधन एवं कुक्कुट से 8,656 करोड़ रुपए तथा समुद्री उत्पादों से 7,621 करोड़ रुपए) की आय हुई।

2.13 ग्यारहवीं योजना प्रस्ताव

2.13.1 विभाग के लिए 11वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय 8174.00 करोड़ रुपए है। इसमें पशुपालन के लिए 4123.00 करोड़ रुपए की धनराशि, डेयरी विकास के लिए 780.00 करोड़ रुपए, मात्स्यिकी के लिए 2776.00 करोड़ रुपए, सचिवालय और आर्थिक सेवाओं के लिए 35.00 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं केरल में आत्महत्या संभावित 31 जिलों में पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज के लिए 340.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

पशुधन तथा मातस्यिकी क्षेत्रों के लिए 11वीं योजना के लिए दृष्टि कोण का उद्देश्य कुल मिलाकर क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 6 से 7 प्रतिशत के बीच सकल वृद्धि को प्राप्त करना है। इसमें दुग्ध समूह के लिए प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि, मीट और कुक्कुट के लिए 10% की वृद्धि तथा मात्स्यिकी के लिए 6% की वृद्धि प्राप्त करना शामिल है।

2.13.2 पशुधन तथा मातस्यिकी क्षेत्रों के लिए 11वीं योजना के लिए दृष्टिकोण का उद्देश्य कुल मिलाकर क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 6 से 7 प्रतिशत के बीच सकल वृद्धि को प्राप्त करना है। इसमें दुग्ध समूह के लिए प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि, मीट और कुक्कुट के लिए 10% की वृद्धि तथा मात्स्यिकी के लिए 6% की वृद्धि प्राप्त करना शामिल है। उच्च वृद्धि का लाभ मुख्य रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों और भूमि-हीन मजदूरों के बीच उचित प्रकार से मिले, जो कि देश में पशुधन का बड़ा हिस्सा रखते हैं। इसे गरीबी प्रधान क्षेत्रों जैसे सूखा प्रभावित, अनुपजाऊ तथा कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। इस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं को जो कि घरों में पशुओं को पालती हैं, को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि महिलाओं को शक्ति प्रदान की जा सके। 11वीं योजना के लिए नीति निम्नलिखित के विचारों पर आधारित है:-

(i) राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर मौजूदा विकासीय मशीनरी के संस्थागत पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

(ii) सतत एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य पशुधन पालन आज की आवश्यकता है जो उद्यमशीलता के जरिए सम्पत्ति और स्वरोजगार सृजित करता है।

(iii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के पहले के सफल उदाहरण को दोहराया जाए तथा उसका 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसका विस्तार किया जाना चाहिए।

(iv) ''आणंद'' जैसे उत्पादक संगठनों की तर्ज को अन्य पशुधन उत्पादों, विशेषकर मीट तथा कुक्क्ट क्षेत्र में शुरू करने की आवश्यकता है।

(v) पशुधन किसानों के घर-द्वार पर कुशल तथा प्रभावकारी विकेन्द्रीकृत सेवाओं को प्रदान करने की आवश्यकता है।

(vi) उत्पादकों को प्रौद्योगिकी विकास के स्थानान्तरण के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाए।

(vii) पशुधन क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण लाइन बनाने की आवश्यकता है।

2.13.3 विभाग द्वारा तद्नुसार कुछ मौजूदा योजनाओं को पुनःतैयार किया गया है और ग्यारहवीं योजना में नई योजनाओं को भी आरंभ किया गया है।

2.14 वार्षिक योजना 2008-09 एवं 2009-10

2.14.1 विभाग को वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 1000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 940 करोड़ रुपए तक संशोधित किया गया था। विभाग द्वारा 872.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए है, जोकि संशोधित अनुमान का 93% है। वर्ष 2009-10 के लिए अनुमोदित आबंटन 1000 करोड़ रुपए है।

2.14.2 2007-08 और 2008-09 के लिए योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय अनुबंध-X में दिए गए हैं।

अध्याय 3

पशुपालन

3

पशुपालन

3.1 यह विभाग पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन एवं संकर प्रजनन हेतु राज्य सरकारों को उच्च स्तर के जर्मप्लाज्म के उत्पादन एवं वितरण के लिए 18 केन्द्रीय पशुधन संगठनों एवं सम्बद्ध संस्थानों का संचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पशुपालन क्षेत्र के तीव्र विकास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

3.2 केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

3.2.1 इन संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण ईकाइयां सम्मिलित हैं जो देश में सांडों एवं हिमित वीर्य खुराकों की जरूरत को पूरा करने के लिए आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाजम की पहचान हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं।

3.3 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)

3.3.1 अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलीमा एवं सूनाबेड़ा (उड़ीसा), धामरोड (गुजरात), हैसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित 7 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं। वे राज्यों को वितरित करने के उद्देश्य से गोपशु की स्वदेशी, संकर और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड़ बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड़ बछड़े थारपरकर, रेड सिंधी, जर्सी, हालस्टीयन फ्रिशियन एवं वर्ण संकर गोपशुओं तथा सुरती और मुर्राह भैंस नस्लों से उत्पादित किए जाते हैं। अंदेशनगर और चिपलीमा स्थित फार्म क्रमशः एच एफ x थारपरकर वर्ण संकर और जर्सी x रेड सिंधी वर्ण संकर सांड़ों का उत्पादन कर रहे हैं। 2007-08 के दौरान इन फार्मों ने 342 सांड बछड़ों का उत्पादन किया तथा 3711 किसानों को डेयरी फार्म प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2008-09 में 346 सांड बछड़ों का उत्पादन तथा 2912 किसानों को प्रशिक्षण देना उपलब्धियां हैं।

3.4 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा

3.4.1 हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान (एआई) में उपयोग के लिए स्वदेशी, विदेशी वर्ण संकर नस्ल तथा मुर्राह भैंसों की हिमित वीर्य खुराकों का उत्पादन कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों के तकनीकी अधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है और देश में निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करता है। संस्थान ने वर्ष 2007-08 के दौरान हिमित वीर्य की 9.35 लाख खुराकें उत्पादित कीं और हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी एवं एंड्रोलोजी के क्षेत्र में 204 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। वर्ष 2008-09 के दौरान हिमित वीर्य की 8.66 लाख खुराकें उत्पादित की थी और 227 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया था।

3.5 केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस)

3.5.1 केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए है तथा यह अच्छी नस्ल की गायों और नर

एन पी सी बी बी योजना के उद्देश्य हैं- किसानों के दरवाजे पर व्यापक रूप से उन्नत कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करना; दस वर्षों की अवधि के भीतर कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ों की स्वाभाविक सेवाओं के जरिए संगठित प्रजनन के तहत गोपशु और भैंसों की सभी प्रजनन योग्य मादाओं को लाना; स्वदेशी गोपशु और भैंसों के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम को शुरू करना ताकि उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के लिए अपेक्षित स्वदेशी जर्मप्लाज्म को जुटाने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विकास कार्यक्रम में उपयोग के लिए यह योजना अच्छी किस्म की डेयरी गायों और भैंसों तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों और उनकी संतति की खरीद में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों, निजी क्षेत्र और सरकारी उपक्रमों को सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

3.5.2 योजना के उद्देश्य

(i) बेहतर जर्म प्लाज्म और उसके स्थान का पता लगाना ।

(ii) बेहतर जर्म प्लाज्म उत्पादित करने में इस आंकड़े का इस्तेमाल करना।

(iii) स्वदेशी जर्म प्लाज्म का संरक्षण।

(iv) डेयरी उद्योग में सुधार के लिए गोपशु और भैंसों की दुग्ध रिकार्डिंग।

3.5.3 इस योजना के अंतर्गत रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और अंगोले में 4 केन्द्रीय पशुयथ पंजीकरण योजना स्थापित की गई हैं। गिर, कंकरेज, हरियाणा और अंगोले की स्वदेशी गोपशु नस्लों और भैंसों की मुर्रा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना नस्लों के दूध की रिकार्डिंग के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित कुल 92 दुग्ध रिकार्डिंग केंद्र स्थित हैं ताकि उनकी फिनोटाइप नस्ल विशेषताओं और दुग्ध उत्पादन स्तर की उनकी पुष्टि की जा सके। इन्हें उनके प्रजनन ट्रैक्ट में अभिज्ञात किया गया है और पंजीकृत गायों और भैंसों तथा उनके बछड़ों के विपणन के लिए प्रचार किया जाता है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में क्रमशः 14,402 तथा 14,882 गायों तथा भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया था।

3.6 राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना

3.6.1 आनुवंशिक सुधार दीर्घकालिक गतिविधि है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीसीबी) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम 10 वर्ष की अवधि के लिए दो चरणों में अक्टूबर, 2000 से देश में शुरू किया था जो प्रथम चरण के लिए 402 करोड़ रुपए के आबंटन से शुरू हुआ। इस परियोजना में प्राथमिकता आधार पर आनुवंशिक उन्नयन की व्यवस्था है। इस परियोजना में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस परियोजना में राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के लिए 100% अनुदान की व्यवस्था है।

3.6.2 उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य हैं-

(क) किसानों के दरवाजे पर व्यापक रूप से उन्नत कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करना;

(ख) 10 वर्षों की अवधि के भीतर कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ों की स्वाभाविक सेवाओं के जरिए संगठित प्रजनन के तहत गोपशु और भैंसों की सभी प्रजनन योग्य मादाओं को लाना;

(ग) स्वदेशी गोपशु और भैंसों के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम को शुरू करना ताकि उन-की आनुवंशिक गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

3.6.3 घटक

(क) औद्योगिक गैस निर्माताओं से सप्लाई लेकर तरल नाइट्रोजन के भंडारण और सप्लाई को सुचारू बनाना तथा उसके लिए थोक परिवहन और भंडारण प्रणाली स्थापित करना।

(ख) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बेहतर सांडों को शामिल करना।

(ग) कृत्रिम गर्भाधान की घर-द्वार तक डिलीवरी के लिए निजी मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान सेवा का संवर्धन।

(घ) मौजूदा स्थिर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में बदलना।

(ड.) शुक्राणु केन्द्रों, वीर्य बैंकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर सांडों तथा सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण।

(च) उत्पादन तथा आनुवंशिक आदानों तथा तरल नाइट्रोजन की सप्लाई के प्रबंधन के कार्य को विशेषज्ञ स्वायत्त तथा व्यावसायिक राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को सौंप करके संस्थागत पुनर्संरचना।

3.6.4 योजना की प्रगति

3.6.4.1 इस समय 28 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश परियोजना में भाग ले रहे हैं। इन राज्यों को 2007-08 तक 398.36 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, 89.70 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन की तुलना में 87.37 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

3.6.5 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन

3.6.5.1 अक्टूबर, 2000 में परियोजना के शुरू होने से अब तक इस परियोजना के तहत 21 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन किया गया है। ये एजेंसियां व्यावसायिक दृष्टिकोण से परियोजना का क्रियान्वयन कर रही हैं। छोटे राज्यों के मामले में, जो व्यवहार्य राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां गठित करने की स्थिति में नहीं हैं, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है।

3.6.6 प्रजनन योग्य पशुओं के कवरेज में वृद्धि

3.6.6.1 देश में वीर्य उत्पादन 22 मिलियन स्ट्रॉ (1999-2000) से बढ़कर 44 मिलियन स्ट्रॉ (2007-08) हो गया है और गर्भाधान की संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 40 मिलियन हो गयी है। नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार कुल गर्भाधान दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गयी है।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का कार्य निष्पादन

एजेंसी	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	कृत्रिम गर्भाधान मिलियन में	प्रति केन्द्र/वर्ष कृत्रिम गर्भाधान की संख्या
सरकारी	47865	29.59	511
निजी ए आई कार्मिक	9996		
सहकारिता	11842	10.00	844
गैर सरकारी संगठन	1638	0.41	249
कुल	**71341**	**40.00**	**560**

वीर्य केन्द्रों का कार्यनिष्पादन

एजेंसी	वीर्य स्टेशन	सांडों की संख्या	वीर्य उत्पादन लाख में	प्रति स्टेशन सांड	प्रति स्टेशन उत्पादित खुराक लाख में
सरकारी/एसआईए	37	1608	224.30	43	6.06
एनडीडीबी, डेयरी सहकारिता, गैर सरकारी संगठन और प्राइवेट	12	1103	222.20	92	18.51
कुल	**49**	**2711**	**446.50**	**46**	**9.11**

प्रदान किए गए ग्रेड के साथ अंतिम राज्यवार वीर्य स्टेशनों का वितरण

(वीर्य मूल्यांकन रिपोर्ट 2005-06 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	ग्रेड ए	ग्रेड बी	ग्रेड सी	गैर ग्रेडिड एनजी	गैर मूल्यांकित एनई	कुल स्टेशन
		80 और इससे अधिक	66 से 79	50 से 65	49 से कम	एनई	
1	आन्ध्र प्रदेश	1	2	1	---	---	4
2	असम			1	---	---	1
3	बिहार	---	---	---	1	---	1
4	छत्तीसगढ़	---	1	---	---	---	1
5	गुजरात	2	1	---	1	---	4
6	हरियाणा	---	---	---	3	---	3
7	हिमाचल प्रदेश	---	1	---	---	---	1
8	जम्मू एवं कश्मीर	---	---	---	2	---	2
9	कर्नाटक	1	1	3	---	---	5
10	केरल	2	1	---	---	---	3
11	मध्य प्रदेश	---	---	---	1	---	1
12	महाराष्ट्र	1	1	---	1	2	5
13	मेघालय	---	---	---	1		1
14	उड़ीसा		1	---	---	---	1
15	पंजाब	1	1	1	---	---	3
16	राजस्थान	---	1	---	---	---	1
17	तमिलनाडु	1	2	---	1	---	4
18	उत्तरांचल	---	1	---	---	---	1
19	उत्तर प्रदेश	1	---	1	2	---	4
20	पश्चिम बंगाल	2	1	---	---	---	3
कुल		**12**	**15**	**7**	**13**	**2**	**49**

3.6.7 वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन

3.6.7.1 वीर्य उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए, दो वर्षों में एक बार वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन करने के लिए विभाग द्वारा 20.5.2004 को केन्द्रीय मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) स्थापित की गई थी। सीएमयू ने 2007-08 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

3.6.8 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकाल का विकास (एमएसपी)

3.6.8.1 समान मानक वाले हिमित वीर्य का उत्पादन करने के उद्देश्य से बीएआईएफ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), और केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपीएंडटीआई) के परामर्श से वीर्य उत्पादन के लिए एक न्यूनतम मानक प्रोटोकाल (एमएसपी) विकसित किया गया है और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी कर दिया गया है।

3.6.9 वीर्य केन्द्रों का आईएसओ तथा एचएसीसीपी प्रमाणीकरण

3.6.9.1 ऊटी (टीसीएमपीएफ), बिदाज (एनडीडीबी), एबीसी सैलून (एनडीडीबी), अमूल अनुसंधान एवं विकास संघ आणन्द (अमूल डेयरी), जगूदन (मेहसाना डेयरी), उरूलीकंचन पुणे (बैफ), हिसार, गुड़गांव, जगादरी (एचएलडीबी) हरिनघाटा, सलबोनी, बेलडंगा (पश्चिम बंगाल), श्यामपुर (उत्तरांचल), नाभा, रोपड़ (पंजाब), भट्टेन (पंजाब मिल्क फेड), नंदिनी (केएमएफ), एसएससीसी हैस्सरघट्टा, एसएलबीटीसी हैस्सरघट्टा, धारवाड़ (कर्नाटक), सीएफएसपी एंड टीआई, भारत सरकार, हैस्सरघट्टा (कर्नाटक), मुट्टुपट्टी, धोनी, कुलाथुपुजा (केरल), विजाग, नांदियाल, करीमनगर, बनवासी (आन्ध्र प्रदेश), बस्सी (राजस्थान), बदभादा (मध्यप्रदेश), कटक (उड़ीसा) और चिताले भिलवाड़ी

(निजी) में स्थित वीर्य केन्द्र आईएसओ प्रमाणित हैं। मट्टुपट्टी, धोनी, कुलाथुपुजा, (केरल), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), सलबोनी, बेलडंगा (पश्चिम बंगाल) तथा भडबादा (मध्य प्रदेश) में स्थित वीर्य केन्द्र एचएसीसीपी प्रमाणित भी हैं।

3.6.10 वीर्य उत्पादन के लिए इस्तेमाल सांड़ों का परीक्षण

3.6.10.1 विभाग ने सभी प्रकार के यौन रोगों (एसटीडी) के लिए सांड़ों के रोग परीक्षण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला (सीडीडीएल) और क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं (आरडीडीएल) को यह दायित्व दिया गया है कि वे केन्द्रीय फार्मों, राज्य/सहकारी/भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और निजी फार्मों में वीर्य केन्द्रों के प्रजनन योग्य सभी सांड़ों और सांड माताओं का परीक्षण करें। क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं ने अधिकांश राज्यों में सांड़ों और सांड़ माताओं का परीक्षण शुरू कर दिया है तथा संक्रमित सांड़ों तथा सांड़ माताओं को अलग कर दिया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे "पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता " (एएससीएडी) नामक योजना के तहत हिमित वीर्य सांड़ केन्द्रों, फार्मों और भ्रूण अंतरण प्रयोगशालाओं के आस-पास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में खुरपका और मुंहपका रोग के विरूद्ध टीकाकरण शुरू करें।

3.6.11 एनपीसीबीबी का चरण - II

3.6.11.1 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के चरण-1 के दौरान हासिल किए गए लाभों को समेकित करने के उद्देश्य राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के चरण - II को 775.87 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ 5 वर्ष की और अवधि (2006-07 से 2010-11) के लिए आरंभ किया गया है। चरण-2 किसानों के घरद्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के लिए लगभग 20,000 कृत्रिम गर्भाधान प्रेक्टिशनरों को स्वरोजगार देगा। बोवाइन संख्या की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, प्रस्ताव का उद्देश्य है गोपशु और भैंस के प्रजनन योग्य मादाओं के 80% को उच्च गुणवत्ता सांडों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान के जरिए संगठित प्रजनन के अंतर्गत लाना। इसमें आनुवंशिक स्वरूप के साथ-साथ उनकी उपलब्धता में सुधार के साथ स्वदेशी गोपशु और भैंसों के लिए नस्ल को बेहतर करने के लिए कार्यक्रम की भी व्यवस्था है।

3.6.11.2 चरण-2 का एक प्रमुख नया घटक सांड उत्पादन कार्यक्रम है। भारत विश्व प्रसिद्ध मुर्राह भैंसों के लिए जाना जाता है। मुर्राह भैंसें उच्च वसा वाले दूध का अधिक उत्पादन करती हैं, साथ ही वे घटिया आहार को भी बेहतरीन खाद्य में बदलने में माहिर होती हैं। मुर्राह ऐसी नस्ल है जिसे देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी पसंद किया जाता है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में गैर प्रजातीय नस्लों को उन्नत बनाने के साथ-साथ विभिन्न देशों जैसे कि ब्राजील, इटली, फिलीपींस तथा बुलगारिया में उपलब्ध स्थानीय नस्लों को भी उन्नत बनाने में काम आती है। बेहतर आनुवंशिक संसाधन होने के बावजूद, मुर्राह भैंसों की उत्पादकता उतनी नहीं बढ़ी है, जितनी कि अपेक्षा थी। यह मुख्य रूप से भैंस संख्या के बीच कृत्रिम गर्भाधान की कम स्वीकार्यता के कारण नकारात्मक चुनाव के दबाव, वीर्य केन्द्रों पर सीरस की घटिया गुणवत्ता की उपलब्धता तथा प्राकृतिक सेवा के तहत अनजान आनुवंशिक क्षमता वाले सांड़ों के उपयोग के कारण है। इस परिस्थिति ने आनुवंशिक निष्क्रियता वाले राज्य में मुर्राह भैंस को सीमित करके रखा हुआ है। भैंस संख्या के विकास के उद्देश्य से, चरण-2 में 128.28 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ मुर्राह सांड का उत्पादन शुरू किया जा रहा है।

3.6.11.3 एनपीसीबीबी चरण-2 के मुख्य घटक

(i) **तरल नाइट्रोजन के भंडारण और आपूर्ति को सुचारू रूप से करनाः** इसका उद्देश्य चरण-1 में लाभ से तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति को सुचारु करना है। इस घटक के अंतर्गत तरल नाइट्रोजन की थोक ढुलाई, थोक भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाएं सृजित की जा रही हैं।

(ii) **सांड उत्पादन कार्यक्रमः** यह राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों, डेयरी सहकारिताओं, प्रजनक संघों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा क्षेत्रीय निष्पादन रिकार्डिंग कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इस घटक के तहत, बेहतर जर्म प्लाज्म की पहचान एवं टैगिंग तथा मुर्राह भैंसो के मामले

एन पी सी बी बी के चरण-2 में गोपशु और भैंस के प्रजनन योग्य मादाओं के 80% को उच्च गुणवत्ता सांडों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान के जरिए संगठित प्रजनन के अंतर्गत लाकर बोवाईन संख्या में वृद्धि करने की व्यवस्था है। इसमें आनुवंशिक स्वरूप के साथ-साथ उनकी उपलब्धता में सुधार के साथ स्वदेशी गोपशु और भैंसों के लिए नस्ल को बेहतर करने के लिए कार्यक्रम की भी व्यवस्था है।

में प्रजनन उम्र एवं गोपशु सांडों के मामले में 1 वर्ष तक प्रजनन के लिए उपयुक्त नर बछड़ों के पालन का कार्य किया जा रहा है। इस घटक के तहत किसानों को प्रोत्साहन भी स्वीकार्य है। इस घटक के तहत आयात किए गए भ्रूण एवं वीर्य से बेहतर विदेशी एवं वर्ण संकरित सांडों का उत्पादन भी प्रारंभ किया जाएगा।

(iii) **उच्च आनुवंशिक वरीयता के साथ गुणवत्ता सांडों को शामिल करना:** चरण-1 के दौरान स्थापित संतति परीक्षण कार्यक्रम (पीटीपी) के पुर्नभिमुखीकरण एवं बढोत्तरी, नए क्षेत्रों/दुग्ध पाकेटों में पीटीपी कार्यक्रमों की स्थापना, ओपन न्यूक्लियस प्रजनन पद्धति (ओएनबीएस) की स्थापना तथा सांड माता फार्मों का सुदृढ़ीकरण के माध्यम से इसे पूरा किया जाता है।

(iv) **कृत्रिम गर्भाधान की पहुंच से बाहर प्रजनन पद्धति का अध्ययन:** इस घटक का लक्ष्य उन क्षेत्रों में प्राकृतिक सेवा के लिए गुणवत्ता सांडों का वितरण करना है जो कृत्रिम गर्भाधान कवरेज के तहत नही है। प्रजनन क्षेत्रों में स्वदेशी नस्लों वाले पशुओं के कुछ पशु स्वामी अपने पशुओं के लिए प्रजनन के संबंध में कृत्रिम गर्भाधान को स्वीकार नहीं करते तथा वे प्राकृतिक समागम पर विश्वास करते हैं। इन प्रजनकों को उनके स्टाक के कमतर प्रजनन को दूर करने के लिए गुणवत्ता प्रजनन सांड प्रदान किए जाते हैं।

(v) **स्पर्म केन्द्रों, वीर्य बैंकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर सामानों तथा सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण:** चरण-1 के दौरान हुए फायदों का संकलन, स्पर्म केन्द्रों का और आगे सुदृढ़ीकरण, मौजूदा वीर्य केन्द्रों का पुनः स्थापना, वीर्य प्रमाणीकरण प्राधिकरण की स्थापना तथा नजदीक से निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) के साथ कम्प्यूटर नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से इसे प्राप्त किया गया।

(vi) **दरवाजे तक डिलीवरी के लिए निजी स्वचालित कृत्रिम गर्भाधान व्यवसाय का विस्तार:** इसे क्रियान्वित किया गया है ताकि 20,000 नए निजी कृत्रिम गर्भाधन कार्मिकों को शामिल करके दरवाजे तक डिलीवरी के लिए निजी स्वचालित कृत्रिम गर्भाधान व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान में मूलभूत प्रशिक्षण, उपकरणों के अधिग्रहण के लिए सहायता, प्रारंभिक व्यवसाय अवधि के दौरान अनुदान की व्यवस्था तथा हिमित वीर्य की नियमित डिलीवरी के लिए प्रावधान एवं तरल नाइट्रोजन की लागत के जरिए इसे पूरा किया जाता है।

(vii) **स्थायी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को स्वचालित केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करना:** इसे क्रियान्वित किया गया है ताकि शेष स्थायी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को स्वचालित केन्द्रों में परिणत किया जा सके। पोर्टेबल क्रायो-कन्टेनरों, कृत्रिम गर्भाधान किटों को प्रदान करके तथा गुणवत्ता प्रजनन आदानों की आपूर्ति एवं कृत्रिम गर्भाधान की घरद्वार तक डिलीवरी के लिए निजी व्यवसाय को प्राधिकृत करके इसे प्राप्त किया जाएगा ताकि किसानों को अत्यधिक प्रभावी एवं समयोनुकूल सेवाएं प्रदान की जा सके।

3.6.11.4 संभावित परियोजना के फायदे

(i) प्रजनन योग्य मादाओं के कवरेज में बढ़ोत्तरी एवं सुधार। गोपशुओं एवं भैंसों की कुल वयस्क मादाओं में से 80% मादाएं संगठित प्रजनन क्रियाकलाप (कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक सेवा) के तहत लाई जाएगी।

(ii) लगभग 20,000 निजी कृत्रिम गर्भाधान व्यवसायियों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें स्वरोजगार दिया जाएगा।

(iii) उन्नत पशुओं द्वारा कम उत्पादन करने वाले गैर प्रजातीय गोपशुओं एवं भैंसों का बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन।

(iv) कृत्रिम गर्भाधन को पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में करीब 80,000 पेडीग्रीड सांडों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(v) ग्रामीण स्वरोजगार के अवसरों तथा फार्म आय में बढ़ोत्तरी। ग्रामीण घरेलूओं में कम संसाधन वाले कृषकों को इस परियोजना से सीधा लाभ प्राप्त होगा।

(vi) कृषकों के दरवाजे तक कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क एवं उनकी डिलीवरी।

(vii) वीर्य, वीर्य केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान सांडों के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय निगरानी कक्ष की स्थापना।

3.7 कुक्कुट एवं छोटे पशुओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय परियोजना

3.7.1 10वीं योजना के दौरान विभाग ने मौजूदा तीन घटकों एवं तीन नए घटकों के साथ कुक्कुट एवं छोटे पशुओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय परियोजना नामक एक मेक्रो योजना को क्रियान्वित करने पर विचार किया था। योजना के घटक इस प्रकार थेः-

(क) केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना

(ख) राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता

(ग) पशुधन के विलुप्त प्राय नस्लों का संरक्षण

(घ) ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास (नई)

(ड.) छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का एकीकृत विकास (नई)

(च) सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता (नई)

10वीं योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान तीन नए घट कों को क्रियान्वित किया जाना था। तथापि, नए घटक अनुमोदित नहीं किए गए थे। यह महसूस किया गया था कि नए घटकों को 10वीं योजना के आवधिक वर्ष में आरंभ किए जाने के स्थान पर, 11वीं योजना के दौरान आरंभ किए जाए। योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि विभाग में चारा विकास, कुक्कुट विकास, सूअर विकास और छोटे जुगाली करने वाली पशुओं के विकास के लिए अलग योजनाएं होनी चाहिए। विभाग योजना आयोग के सुझावों से सहमत है और इन बिन्दुओं पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

3.8 आहार और चारा विकास

3.8.1 आहार और चारे का पोषक महत्व पशुधन की उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। खाद्यान, तिलहन और दाल उगाने के लिए भूमि पर बढ़ते दवाब के कारण चारा फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, अपशिष्टों के विविध उपयोग के कारण चारे की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ रहा है। योजना आयोग के दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुपालन और डेयरी पर कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध चारे से पशुधन के मात्र 46.7% मांग को पूरा किया जा सकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्किंग ग्रुप, नाबार्ड, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एनीमल न्यूट्रीशन एण्ड फिजियोलॉजी भी देश में आहार और चारा की कमी को आंका है। विभाग की दो योजनाएं है नामतः (1) केंद्रीय चारा वकास संगठन और (2) केंद्रीय प्रायोजित योजना, आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता। केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना को 1.4.2005 से क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसके चार घटक है।

3.9 केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना

3.9.1 आहार एवं चारा विकास क्षेत्र में यह योजना राज्यों को उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना निम्नलिखित चार घटकों के साथ 2005-06 से क्रियान्वित की जा रही है।

(क) चारा ब्लॉक बनाने वाले एककों की स्थापना

(ख) घास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास

(ग) चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम

(घ) बायो प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं

क. चारा ब्लॉक बनाने वाले एककों की सहायता

3.9.2 पशुधन आहार इस समय मुख्य रूप से फसलों के सूखे चारे पर आधारित है। चारा, थ्रेसिंग के बाद पुआल तथा भूसें की थोक सघनता बहुत ही कम है तथा अतः इसके लिए एक बड़े भंडारण स्थल की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए, किसानों के पास न तो पर्याप्त जगह है, न ही पके फसल को काटने एवं अगले मौसमी फसल को बोने के बीच समय है। इसके परिणामस्वरूप, फसल अपशिष्ट जो आहार खिलाने के लिए उपयुक्त है, को खेतों में अक्सर जला दिया जाता है। भारत वार्षिक रूप से लगभग 393.9 मिलियन टन फसल अपशिष्ट पैदा करता है जो देश के पशुधन की संख्या को खिलाने के लिए लाभदायक हो सकते हैं। कंपेक्ट ब्लॉकों में चारे तथा बेकार फसल अपशिष्टों की सघनता पशुधन

आहार प्रबंधन के लिए एक प्रभावी समाधान है। यह भी संभव है कि भूसें तथा गुड़, सांद्रण, खनिज तथा नमक जैसे आहार परिपूरकों का उपयोग करके पूर्ण पशु आहार ब्लॉक तैयार किया जाए। अतः, फसल अपशिष्टों की उत्पादन उपयोगि ाता में उक्त क्रिया-कलाप एक महत्वूपर्ण भूमिका अदा करती हैं। इससे चारा ब्लॉकों के रूप में सघनता युक्त चारे की सक्षम लागत तथा प्रभावी ढुलाई हो सकेगी। एक ट्रक में 4 टन ढ़ीले चारे की तुलना में 10 टन आहार ब्लॉकों तक के चारे की ढुलाई आसानी से की जा सकती है। यहाँ मुख्य जोर चारा ब्लॉकों तथा गठरियों के रूप में परिवर्तित करके पशुधन आहार के लिए फसल अपशिष्ट की बर्बादी संबंधी रोकथाम संस्थान तथा इसकी अनुवर्ती उपयोगिता पर है।

3.9.3 ऐसे एककों की स्थापना करने संबंधी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इस योजना के तहत 25% तक की पूँजी निवेश लागत सहायता प्रदान की जा सकती है। यह सहायता सरकारी या प्राइवेट उद्यमियों के अंतर्गत यूनिटों के लिए दी जाती है, जिसमें सहकारिता और स्व सहायता वर्ग शामिल है। संबंधित परियोजनाओं को नाबार्ड या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

ख. घास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास

3.9.4 इस योजना में वनस्पति कवर के माध्यम से निम्न स्तर की चराई भूमि के सुधार तथा क्षारीय अम्लीय एवं कठोर भूमि जैसी समस्यायुक्त भूमि के पुर्नवास पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, विशेष प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त विशिष्ट घासों तथा लेग्युमों के पौधों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि निम्न स्तर के क्षेत्रों का पुनर्वास करने के साथ-साथ चारा प्रदान करने के लिए एक वनस्पति कवर प्रदान किया जा सके। उपयुक्त लेग्युमों को शामिल करके भूमि की उर्वरता स्थिति में भी सुधार किया जाता है। योजना के तहत बायोटिक अंतरण को बंद करके/पृथक करके प्राकृतिक रिकवरी की पद्धति के माध्यम से पुनःसृजन करने वाली चराई भूमि वित्त पोषण के लिए अनुकूल है। इसमें क्षेत्र का घेराव करना, भूमि की स्थापना तथा कोंटर बंडिंग, फुरोबिंग, जोतना, उर्वरक आदि जैसे प्राकृतिक पुर्नःसृजन को सहायता संबंधी नमी संरक्षण स्थिति शामिल है। भूमि की किस्म पर आधारित चराई भूमि विकास के लिए ऐसी भूमि का 10 हेक्टेयर एकक अधिकतम 10.00 लाख प्रति एकक तक प्रदान किया जाता है।

3.9.5 उपयुक्त घास कवर को शामिल करके उसी पर निम्न स्तर की चराई भूमि में धीरे-धीरे सुधार किया जाएगा। इन भूमियों पर मौजूदा समय में हो रहे विस्तृत भू-क्षरण को कम किया जाएगा। उत्पादित बायो-मास उपलब्धता तथा आवश्यकता के बीच खाई को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। चारा जिसे इन भूमियों से प्राप्त किया जाएगा का उपयोग, चारा बैंक डिपो की स्थापना करने के लिए किया जा सकता है। चराई भूमि से बायो-मास उत्पादन और सस्ता होगा तथा यह पशु उत्पादन को सहायता प्रदान करेगा। भारत सरकार निम्न स्तर के पाश्चर/चारागाह के पुनर्वास के लिए पशुपालन विभाग और वन विभाग को 100% अनुदान सहायता प्रदान करती है। पंचायत भूमि और अन्य साझा सम्पत्ति संसाधनों पर चारागाह के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाता है। 2007-08 के दौरान, 1527 हैक्टेयर भूमि को विकसित किया गया था और 2008-09 में, राज्य सरकारों को 966 हैक्टेयर चारागाह/गोचारागाह का विकास करने के लिए 535.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था नामतः गुजरात (165 लाख

रुपए), मिजोरम (30 लाख रुपए), झारखंड (93.50 लाख रुपए) और मध्य प्रदेश (110 लाख रुपए) मणिपुर (80 लाख रुपए) और जम्मू एवं कश्मीर (56.70 लाख रुपए)।

ग. चारा बीज उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम

3.9.6 चारे की खेती के तहत क्षेत्र और अधिक मूल्यवर्धक अनाजों, तिलहनों तथा अन्य नकदी फसलों के लिए वरीयता के अनुसार स्थायी हो चुका है। अतः, यह अपेक्षित है कि चारा उत्पादन को और अधिक मूल्यवर्धक बनाने के लिए उच्च किस्म के चारा बीज का उत्पादन किया जाए। राज्यों में चारा बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि किसानों से चारा बीजों के वाय-बैंक के लिए व्यवस्था करने के जरिए चारा बीजों की उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। इस घटक के तहत, किसानों से चारा बीजों की खरीद के लिए 75% अधिप्राप्ति मूल्य प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार ऐसे किसानों से चारा बीज की खरीद के लिए एक फर्म वचनवद्धता प्रस्तुत करेगी। वाय बैंक व्यवस्था चारा बीज उत्पादन क्रियाकलाप प्रारंभ करने में किसानों के हित को सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार, अपने प्रस्ताव में, चारा बीजों का ब्यौरा, क्षेत्र की सीमा, किसान जिससे इस व्यवस्था की रूपात्मकता के साथ-साथ वायबैंक तैयार कर चुके हैं का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार राज्य क्रियान्वयन एजेंसी/सहकारिता/एनजीओ को शामिल कर सकते हैं। 2007-08 के दौरान, 4,425 क्विंटल चारा बीज का उत्पादन किया गया था और 2008-09 में, 15,900 क्विंटल चारा बीजों का उत्पादन करने के लिए पंजाब, मिजोरम और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को 389.71 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

घ. जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं

3.9.7 घटक के तहत आहार एवं चारा के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाएँ/विशेष अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए आहार एवं चारा पर अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ किए जा सकते है जिसके लिए 100% केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है। 2008-09 के दौरान, उपयुक्त परियोजना उपलब्ध न होने के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

3.10 केन्द्रीय चारा विकास संगठन

3.10.1 इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में स्थित चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए 7 क्षेत्रीय केन्द्र, 1 केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर, चारा फसलों पर केन्द्रीय मिनिकट परीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनिकट परीक्षण कार्यक्रम भी वित्तपोषित किया जा रहा है। ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र और केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा

3.10.2 चारा संबंधी फसलों तथा चारागाह घास/फली की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा प्रचार के लिए सरकार ने मामडिपल्ली, हैदराबाद(आंध्र प्रदेश), गांधी नगर(गुजरात), हिसार(हरियाणा), सूरतगढ़(राजस्थान), साहेमा(जम्मू एवं कश्मीर), अलामाधि (तमिलनाडु) तथा कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में सात क्षेत्रीय केन्द्र तथा हैस्सरघट्टा, बंगलौर में एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए हैं। ये केन्द्र फील्ड प्रदर्शनों तथा कृषक मेलों/फील्ड दिवसों के माध्यम से विस्तार गतिविधियां भी चलाते हैं। 2007-08 के दौरान, इन स्टेशनों द्वारा 264.42 टन चारा बीज का उत्पादन किया गया, 5,241 प्रदर्शन आयोजित किए गए, 91 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 81 कृषक मेले/फील्ड दिवस आयोजित किए गए। 2008-09 के दौरान, इन स्टेशनों में 278.52 टन चारा बीज उत्पादित किए गए, 6,854 प्रदर्शन आयोजित किए गए, 122 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 128 कृषक मेले/फील्ड दिवस आयोजित किए गए।

3.11.2 देश में वाणिज्यिक तर्ज पर कुक्कुट पालन को संवर्धित करने के लिए केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों द्वारा दी गई प्रांरभिक गति के बाद कुक्कुट क्षेत्र काफी बढ़ा है और अब लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन प्रबंधन तथा विपणन अत्यधिक संगठित क्षेत्र के अधीन है। शेष 30 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र पर, जिसके योगदान को सुदृढ़ करने की जरूरत है, अब घरेलू कुक्कुट को संवर्धित करके ध्यान दिया जा रहा है।

ख. चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम

3.10.3 चारा मिनीकिट प्रदर्शन का उद्देश्य हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चारा संबंधी फसलों की अधिक उपज देने वाली नवीनतम किस्मों तथा उन्नत कृषि विज्ञान संबंधी पद्धतियों के बारे में क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए किसानों को शिक्षित करना है। चारा मिनिकटों में उच्च पैदावार वाली चारा फसलों/घासों/लैग्यूमों के बीजों को राज्यों को आगे किसानों में मुफ्त वितरण के लिए आबंटित किया गया है। प्रति किट बीजों की मात्रा चारा फसलों की किस्म और प्रकार के आधार पर एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक होती है। वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न राज्यों को 6.34 लाख मिनीकिट आबंटित किए गए।

भारत विश्व में प्रथम तीन अंडा उत्पादक और प्रथम पांच चिकन मीट उत्पादक देशों में है। देश के उत्पादन का 77% हिस्सा औद्योगिक कुक्कुट से आता है और 23% ग्रामीण कुक्कुट से। अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5% है, जबकि ब्रॉयलर उत्पादन की 12%। अंडा और कुक्कुट मीट से उत्पादन मूल्य 23,443 करोड़ रुपए है (2007-08 में चालू मूल्य पर)।

3.11 कुक्कुट विकास

3.11.1 कुक्कुट विकास में पिछले तीन दशकों में अत्यधिक प्रगति हुई है और यह घरेलू प्रणाली से बाहर निकल कर औद्योगिक संवर्धन का उद्यम बन गई है। भारत विश्व मानचित्र पर एक अग्रणी अंडा उत्पादक देश है जो प्रतिवर्ष 51 बिलियन अंडों का उत्पादन करता है। 2007 के लिए एफ ए ओ आंकड़ों के अनुसार भारत में वार्षिक चिकन मीट उत्पादन लगभग 2.2 मिलियन मी. टन है।

3.12 राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता

3.12.1 यह योजना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है। सहायता की पद्धति सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 100 प्रतिशत है जबकि अन्य राज्यों के मामले में इसका अनुपात केन्द्र और राज्यों के बीच क्रमशः 80:20 का है। प्रत्येक फार्म के लिए 85.00 लाख रुपए की अधिकतम राशि प्रदान की है। राज्य हिस्सेदारी की गणना करते हुए उपलब्ध कराई गई भूमि और अन्य आदानों को भी उनकी हिस्सेदारी के रूप में शामिल किया जाता है। राज्य फार्मों के मौजूदा परिसर में कुक्कुट, गिनी फाउल, बटेर, टर्की पालन को भी विविधता गतिविधि के रूप में शुरू किया जा सकता है। आहार मिल की व्यवस्था और उनकी गुणवत्ता निगरानी व घर में रोग नैदानिक सुविधाओं के साथ पक्षियों के हैचिंग, ब्रूडिंग और पालन के संबंध में

उन्हें सुदृढ़ करने के लिए एक बार में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये फार्म इस विभाग द्वारा, अभिज्ञात अल्प आदान प्रौद्योगिकी पक्षियों का ही रखरखाव करते हैं। तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए, योजना के अंतर्गत परामर्श घटक की व्यवस्था है। प्रतिस्थापन प्रजनन स्टॉक, आहार अवयवों, ढुलाई, दवाओं व टीकों इत्यादि की खरीद के लिए परिक्रामी कोष की भी इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। 2007-08 में 16 नवीन एवं 50 शेषांश फार्मों को सहयोग प्रदान करने के लिए 18.43 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है जबकि 2008-09 में 7 नवीन एवं 25 शेषांश फार्मों को सहयोग प्रदान करने के लिए 9.74 करोड़ रुपए जारी किए गए है।

3.13 केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन

3.13.1 संबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हिस्सर घठा बंगलौर (दक्षिणी क्षेत्र), भुवनेश्वर (पूर्वी क्षेत्र), चण्डीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) और मुम्बई (पश्चिमी क्षेत्र) में 4 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन काम कर रहे हैं।

(i) **गुणवत्ता चूजों को उपलब्ध कराना** - ग्रामीण कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लिए उनके संबंधी क्षेत्रों में सभी राज्यों में अभिज्ञात अल्प आदान प्रौद्योगिकी कुक्कुट पक्षियों का बहुलीकरण और आपूर्ति किया जाता है। ये संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन आदि द्वारा विकसित अल्प आदान प्रौद्योगिकी का प्रजनन स्टॉक खरीदते हैं। 2008-09 के दौरान, इन संगठनों ने लगभग 1.18 लाख पैरेंट चूजों की आपूर्ति की। इसके अतिरिक्त एक दिन के वाणिज्यिक चूजों का उत्पादन करने के लिए 10.17 लाख वाणिज्यिक चूजे और लगभग 15.70 लाख हैचिंग चूजे आपूर्ति किए गए।

(ii) **विविधिकरण कार्यक्रम** - अब तक कुक्कुट विकास केवल एक प्रजाति अर्थात् मूर्गीयों पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहा है। विभाग ने इस कार्यक्रम के विविधिकरण को एक बलित क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है जिसके तहत बत्तख (दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र), जापानी बटेर (पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र), टर्की (दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र) तथा गिनी फाउल (पूर्वी क्षेत्र) को कुक्कुट उद्योग को गति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। भारत में इस पक्षी को लोकप्रिय बनाने के लिए पायलट परियोजना के आधार पर केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन (दक्षिणी क्षेत्र) में इमू पालन शुरू किया गया था। 4 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठनों ने लगभग 4.34 लाख बत्तख चूजें, टर्की, पूट्स, गिनी फाउल किट्स और जापानी बटेर चूजों का उत्पादन किया है।

(iii) **आहार गुणवत्ता निगरानी विंग का सुदृढ़ीकरण** - आहार विश्लेषण प्रयोगशाला अपनी गतिविधियां रासायनिक के साथ-साथ अत्याधुनिक नियर इंफ्रा रेड एनालाइजर के साथ विभिन्न आहार/आहार अवयवों के विश्लेषण और स्थानीय रूप से उपलब्ध अवयवों पर आधारित अल्प लागत आहार निर्माण विकसित करने संबंधी गतिविधियों पर केन्द्रित कर रहा है। लगभग 4500 आहार/अवयव नमूनों को 2008-09 के दौरान विश्लेषित किया गया है।

(iv) **प्रशिक्षण कार्यक्रम**- प्रशिक्षकों, कुक्कुट किसानों, महिला लाभार्थियों, विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कुक्कुट संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकों, सहकारिताओं तथा विदेशी प्रशिक्षणार्थियों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 2008-09 के दौरान, सी पी डी ओ द्वारा कुल 2632 कृषकों और 193 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया।

(v) **यादृच्छिक नमूना परीक्षण** -हर वर्ष एक लेयर और 2 ब्रायलर परीक्षण में कुक्कुट के विभिन्न स्टॉकों के उत्पादन निष्पादन का आंकलन करने के लिए समान पर्यावरण और मानक प्रबंधन प्रणालियों के तहत परीक्षण किए जाते हैं। गुड़गांव (हरियाणा) स्थित केन्द्रीय यादृच्छिक कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र देश में उपलब्ध कुक्कुट के विभिन्न स्टॉक के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र केंद्र हैं।

3.14 कुक्कुट उद्योग को राहत उपाय

3.14.1 एवियन इंफलूएंजा के कारण बुरी तरह प्रभावित कुक्कुट किसानों/उद्योगों को आर्थिक राहत

प्रदान करने के लिए 19 फरवरी, 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राहत संबंधी घोषित मुख्य उपाय इस प्रकार हैं-

(i) कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर किश्तों के रूप में बकाए ब्याज व मूलधन तथा सावधिक ऋणों के ब्याज जो बर्ड फ्लू यानि 31 दिसम्बर, 2007 के परिणामस्वरूप बकाया भुगतान तथा शेष बकाए राशि को सावधिक ऋणों में बदल दिया जाए। इन परिवर्तित ऋणों को एक वर्ष के आरंभिक अधिस्थगन के साथ तीन वर्षों की अवधि तक अपेक्षित आगामी आय पर आधारित किश्तों में वसूला जाए। (पुनः अदायगी का पहला वर्ष अधिस्थगन की अवधि की समाप्ति के बाद निर्धारित किया जाए।)

(ii) सावधिक ऋणों की शेष राशि को अधिस्थगन अवधि की तरह पुनः अनुसूचित किया जाए जो यूनिट की नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर होगा।

(iii) पुनः अनुसूचन/रूपांतरण का कार्य 30 अप्रैल, 2008 अथवा उसके पहले पूरा कर लिया जाए।

(iv) पुनः अनूसूचित/रूपांतरित ऋणों को चालू बकाए के तौर पर देखा जाए।

(v) उपरोक्त के अनुसार रूपांतरण अथवा परिवर्तन के बाद, ऋणग्राही आवश्यकता आधारित नए वित्तपोषण का पात्र होगा।

(vi) उपरोक्त के अनुसार राहत के उपाय को कुक्कुट उद्योग के उन सभी खातों को प्रदान किए जाएं, जिन्हें 31 दिसम्बर, 2007 को मानक खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

3.14.2 पश्चिम बंगाल में वर्ष 2008 के दौरान बर्ड फ्लू का प्रकोप होने के कारण, भारत सरकार ने 01.01.2008 से 31.03.2009 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल के कुक्कुट यूनिटों को 01.01.2008 तक बचे हुए पुराने ऋण राशि पर प्रति वर्ष 4% तक ब्याज अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

3.15 संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण

3.15.1 वर्ष 2008 के दौरान, इस योजना के नाम को संशोधित कर "पशुधन के संकटाधीन नस्लों का संरक्षण " कर दिया गया है तथा 11वीं योजना के आबंटन को 16.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। संशोधित योजना में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं-

(i) पशुधन की वे नस्लें जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा जिनकी संख्या 10,000 के आस-पास रह गई है, को कवर किया जाएगा।

(ii) कुक्कुट और बत्तख की नस्लों को भी कवर किया जाएगा।

(iii) केन्द्रीय प्रजनन यूनिटों की स्थापना के अलावा नीति तथा संस्थागत संरचना को तथा अनुसंधान एजेंसियों के साथ संपर्क सुदृढ़ करना।

(iv) छोटे तथा बड़े पशुओं के लिए अनुमत्य परिवर्तनशील परियोजना अवधि।

(v) राज्यों को पशुधन नस्लों तथा उनकी किस्मों की फेहरिश्त तैयार करने की आवश्यकता है।

3.15.2 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान योजना के अंतर्गत 1.90 करोड़ रुपए आबंटित किया गया था। जिसमें से 194.95 लाख रुपए जारी कर दिया गया था। 2008-09 के दौरान सूरती बकरी के संरक्षण के लिए गुजरात राज्य को सहायता दी गई (32.25 लाख रुपए), अट्टापदी बकरी के संरक्षण के लिए केरल पशुधन विकास बोर्ड को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंगामली सूअर (9.20 लाख रुपए) के संरक्षण के लिए 134.70 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। जंसकरी टट्टू के संरक्षण के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को (6.00 लाख रुपए) सहायता दी गई है। बीटल बकरी के संरक्षण के लिए गुरू अंगद देव पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना को 30.00 लाख रुपए और गुजरात राज्य को कच्छ ऊंट के संरक्षण के लिए 68.00 लाख रुपए दिए गए हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के विकास कार्य को पूरा करने के लिए नैबकॉन्स को 2.25 लाख रुपए दिए गए हैं।

3.16 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार(हरियाणा)

3.16.1 चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान फार्म की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य मैकेनिकल भेड़ पालन में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए और विभिन्न राज्य भेड़ पालन फार्मों को वितरित करने के लिए अनुकूल विदेशी भेड़ों का उत्पादन करना। समय के साथ और विशेषज्ञों की सिफारिशों से, वर्ण संकरित भेड़ों (नली X रामब्यूलेट और सोनड X कोरिडेल) के साथ-साथ बीतल बकरी का उत्पादन करने के लिए फार्म के प्रजनन कार्यक्रम को संशोधित किया गया।

3.16.2 वर्ष 2008-09 के दौरान, इस फार्म ने 613 मेड़ा तथा 95 मृगों की आपूर्ति की। मशीनी भेड़ कतरन में 44 किसानों तथा 633 किसानों को भेड़ प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया था। ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के टीकाकरण कार्यक्रम तथा हेमोकोसिस के प्रकोप के नियंत्रण के लिए चलाए गए पाश्चर प्रबंधन कार्यक्रम से पशुओं की मृत्यु तथा उनके स्वास्थ्य सुधार में उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आए हैं।

3.17 पशुधन स्वास्थ्य

3.17.1 सघन वर्ण संकरण प्रजनन कार्यक्रमों के जरिए पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के साथ पशुओं में विदेशी बीमारियों सहित विभिन्न रोगों के होने की सभावना बढ़ गयी है। रुग्णता और नश्वरता कम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा सचल पशुचिकित्सा औषधालयों सहित पोलीक्लीनिकों/पशुचिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के जरिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोगों के तीव्र और विश्वसनीय निदान के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 27,562 पॉलीक्लीनिक/अस्पताल/औषधालय और 25,195 पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र (स्टाकमेन केंद्रों/स्वचालित औषधालयों सहित), जो लगभग 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित हैं, कार्य कर रहे हैं।

पशुचिकित्सा संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-XI में दिया गया है। राज्यों में मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त नैदानिक सेवाए प्रदान करने के लिए, एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं भी कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त रोग निरोधक टीकाकरण के माध्यम से प्रमुख पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकों की अपेक्षित मात्रा का देश में 27 पशुचिकित्सा टीका उत्पादन इकाइयों में उत्पादन होता है। इनमें से 21 सार्वजनिक क्षेत्र में और 6 निजी क्षेत्र के हैं। आवश्यकता होने पर टीकों का आयात भी अनुमत्य है। पशु चिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-XI में दिया गया है।

3.17.2 जबकि देश में बेहतर पशुधन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने संबंधी प्रयास किए गए हैं, साथ ही देश के बाहर से रोगों के प्रवेश की रोकथाम करने तथा पशुचिकित्सा औषधियों के मानको का रख-रखाव करने एवं उसे तैयार करने के प्रयास भी किए जाते हैं। इस समय, इस विभाग के परामर्श से भारत के औषधी नियंत्रक पशुचिकित्सा औषधियों तथा जैविकियों की गुणवत्ता को विनियमित करते हैं।

3.17.3 पशु स्वास्थ्य निदेशालय

क. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं

3.17.3.1 इस सेवा का उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके भारत में पशुधन रोगों के प्रवेश को रोकना है तथा पशुधन एवं पशुधन उत्पादों, जिसका निर्यात भारत से किया जाता

रोगों के शीघ्र और विश्वसनीय निदान के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 27,562 पॉलीक्लीनिक/अस्पताल/औषधालय और 25,195 पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र (स्टाकमेन केंद्रों/स्वचालित औषधालयों सहित), जो लगभग 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित हैं, कार्य कर रहे हैं।

है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्यात प्रमाणीकरण प्रदान करना है। नई दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई तथा कोलकत्ता स्थित चार मौजूदा संगरोध केन्द्र कार्यरत हैं जिसमें एक छोटा प्रयोगशाला शामिल है। इस योजना से मेड-काऊ रोग (बीएसई), अफ्रीकन स्वाईन फीवर, संक्रामक इक्वीन मेट्रीटिटिस और कई अन्य विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने में सहयोग मिला है। पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदर्शित पशुधन एवं पशुधन उत्पाद का विवरण अनुबंध-XII में दिया गया है।

ख. राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र, बागपत

3.17.3.2 इस समय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान टीकों तथा जैविकों की गुणवत्ता की निगरानी कार्य में सहयोग दे रहा है किन्तु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के एक अलग स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए, बागपत, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैविकीय उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र (राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान) स्थापित किया जा रहा है। संस्थान के मुख्य कार्यालय परिसर और प्रयोगशाल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। संस्थान में अंतिम कार्य और उससे संबंधित कार्य अंतिम स्तर पर है। इस वर्ष यह संस्थान पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर देगा। संस्थान के निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक और एकाउंटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

ग. केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

3.17.3.3 राज्यों में मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक केन्द्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र केन्द्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विश्लेषण प्रयोगशाला, पुणे, पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता, पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान बंगलौर तथा पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानपाड़ा, गुवाहाटी क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं जिन्हें क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय रोग नैदानिकी प्रयोगशालाओं (आरडीडीएल) के रूप में जाना जाता है।

3.18 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

3.18.1 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 2003-04 से कुछ संशोधन के साथ सभी चालू योजना स्कीमों के साथ मिलाकर मेक्रो प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(i) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)

(ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआइई)

(iii) व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

(iv) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमएफडी-सीपी)

3.18.2 पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

3.18.2.1 इस घटक के तहत, राज्य/संघ शासित सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006-07और 2007-08 के दौरान, 105 मिलियन और 150 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में 150 मिलियन और 248 मिलियन टीके लगाए गए हैं। 2008-09 के दौरान, 175 मिलियन टीके के लक्ष्य की तुलना में लगभग 210 मिलियन टीके लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से होने वाले विभिन्न

पशुधन और कुक्कुट रोगों पर सूचना एकत्र करने और इसे संपूर्ण देश के लिए समेकित करने की व्यवस्था है। इस प्रकार एकत्र की गई सूचना को सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों एवं आफिस इंटरनेशनल इपीजूटिस (ओआईई), एशिया एवं प्रशांत पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य आयोग (एपीएचसीए) जैसे संगठनों को अर्धवार्षिक/वार्षिक पशुरोग निगरानी बुलेटिन के रूप में प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस सूचना प्रणाली को ओआईई की दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है। सभी संबंधितों को सूचना का बेहतर प्रचार-प्रसार करने के लिए अधिकांश राज्य स्थानीय भाषा में भी रिपोर्टें प्रकाशित कर रहे हैं। वर्ष 2007 के दौरान भारत में हुई पशुधन और कुक्कुट रोगों का विवरण अनुबंध-XIII में है।

3.18.2.2 2008-09 के वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 104.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

3.18.3 व्यावसायिक दक्षता विकास

3.18.3.1 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुचिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने तथा पशुचिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्टर के रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए 'व्यावसायिक दक्षता विकास' कार्यक्रम को 'पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण' नामक मुख्य योजना के एक घटक के रूप में जारी रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम कार्यक्रम के अन्तर्गत उन राज्यो/संघशासित क्षेत्रों में जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को अपना लिया है, राज्य स्तर पर राज्य पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना का प्रावधान है। केन्द्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना की गयी है।

3.18.3.2 पशुचिकित्सा व्यवसायियों की दक्षता में सुधार के लिए, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद सतत पशुचिकित्सा शिक्षा (सीवीई) के जरिए अद्यतन तकनीकी जानकारी के संबंध में प्रशिक्षण दे रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 20 बैचों (प्रत्येक बैच में 20 पशुचिकित्सक) के लक्ष्य की तुलना में सीवीई कार्यक्रम के तहत पशुचिकित्सकों के 25 बैचों को प्रशिक्षित किया गया है।

3.18.3.3 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 4.20 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

3.18.4 राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एनपीआरई)

3.18.4.1 पशप्लेग फटे हुए खुरों वाले पशुओं का अत्यधिक संक्रामक वायरल (मोर बिल्ली वायरस संक्रमण) रोग है जो गोजातिय पशुओं के साथ-साथ छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में अत्यधिक मृत्यु का कारण बनता है। नियंत्रण प्रयास काफी पहले 1871 में आरंभ कर दिया गया था जब गोपशु प्लेग आयोग गठित किया गया था। मौजूदा राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

3.18.4.2 इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर में पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करके पशुप्लेग तथा संक्रामक बोवाईन प्लूरो न्यूमोनिया (सीबीपीपी) का उन्मूलन करना तथा ऑफिस इंटरनेशनल देस इपीजूटिस (ओआईई), पेरिस द्वारा निर्धारित पाथवे का अनुपालन करके पशुप्लेग तथा सीबीपीपी संक्रमण से मुक्ति प्राप्त करना है।

3.18.4.3 देश पशुप्लेग तथा संसर्गजन्य बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया से मुक्त है, तथापि, रोग मुक्त स्थिति को कायम रखने के लिए देश भर में पशुप्लेग तथा संसर्गजन्य बोवाईन प्लूरोन्यूमोनिया के किसी प्रकार के पुनः प्रकोप का पता लगाने के लिए गांव, स्टाक मार्ग तथा संस्थागत तलाशी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

3.18.4.4 वर्ष 2007-08 के दौरान लक्षित 1,50,000 गांव, 15,000 स्टाक मार्गों और 75,000 संस्थागत तलाशी की तुलना में लगभग क्रमशः 4,37,000, 1,19,000 और 70,000 गांव, स्टाक मार्गों और

देश पशुप्लेग तथा संसर्गजन्य बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया से मुक्त है, तथापि, रोग मुक्त स्थिति को कायम रखने के लिए देश भर में पशुप्लेग तथा संसर्गजन्य बोवाईन प्लूरोन्यूमोनिया के किसी प्रकार के पुनः प्रकोप का पता लगाने के लिए गांव, स्टाक मार्ग तथा संस्थागत तलाशी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

संस्थानों की तलाशी ली गई थी। 2008-09 के दौरान इसी लक्षित 3,50,962 गांवों, 1,27,706 स्टाक मार्गों और 77,148 संस्थानों की तलाशी ली गई है।

3.18.4.5 पशुप्लेग के पुनः होने की दशा में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए देश भर के 6 टीका बैंकों में पशुप्लेग टीकों की 2.5 मिलियन खुराकों का सामरिक रिजर्व रखा जा रहा है।

3.18.4.6 देश में एक होमोलोगस पेस्ट देस पेटिस रूमानेट टीके को क्रियान्वित किया गया है। टीके के उत्पादन के लिए 6 राज्य जैविकीय उत्पादन यूनिटों की पहचान की गई है। देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनके द्वारा पीपीआर का उत्पादन किया जा रहा है।

3.18.4.7 इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 4.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

3.18.5 खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.18.5.1 खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए देश के 54 विनिर्दिष्ट जिलों में 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित पोषण से 'खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम' क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, राज्य सरकार मानव शक्ति, बुनियादी सुविधाएं और संभारतंत्रीय समर्थन उपलब्ध करा रही है।

3.18.5.2 2003-04 से 2008-09 के अवधि के दौरान सात दौरों में 2296.52 लाख टीके लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा भाग लेने वाले सभी राज्यों में टीकाकरण का आठवां दौर भी पूरा हो चुका है। 2008-09 के दौरान 350.00 लाख टीकों के लक्ष्य की तुलना में 350.00 लाख टीकाकरण किए गए थे।

3.19 एवियन इंफ्लूएंजाः तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम

3.19.1 कुक्कुट में एवियन इन्फ्लूएंजा की मौजूदा लहर (जिसे आम तौर पर बर्ड फ्लू के रूप में माना जाता है) 1997 में हांगकांग में शुरू हुई थी। इसने 2003 के अंत से एशिया, यूरोप, अमरीका तथा अफ्रीका में पक्षियों की अनेक प्रजातियों को प्रभावित किया है। 2003-2009 की अवधि के दौरान धरेलू कुक्कुट/वन्य जीव में कुल 62 देशों ने एवियन इंफ्लूएंजा की रिपोर्ट दी जिसमें से 45 देशों में इस रोग को धरेलू कुक्कुट में बताया है। वर्ष 2009 के दौरान, 8 देशों में एवियन इन्फ्लूएंजा की रिपोर्ट दी गई है।

3.19.2 यद्यपि यह रोग प्रजाति विशिष्ट है, कभी-कभी यह प्रजातियों की सीमा को लांघ कर मनुष्यों में भी हो जाता है। 2003 से 15 देशों से एवियन इन्फ्लूएंजा के 423 पुष्ट मानव मामलों की रिपोर्ट दी गई है जिसमें से 258 की मौत हुई है।

3.19.3 भारत में एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप

3.19.3.1 भारत में एवियन इंफ्लूएंजा के पहले प्रकोप की रिपोर्ट फरवरी, 2006 में महाराष्ट्र के नन्दूरवार जिले और गुजरात के सूरत जिले से मिली थी। इसके बाद, इस रोग का दूसरा प्रकोप मार्च-अप्रैल, 2006 में महाराष्ट्र के जलगांव जिले और मध्य प्रदेश के बहरनपुर जिले में हुआ था। एवियन इंफ्लूएंजा का तीसरा प्रकोप जुलाई, 2007 में मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले में चिंगमिरांग में कुक्कुट के एक छोटे से फार्म में हुआ था।

3.19.3.2 देश में एवियन इंफ्लूएंजा का चौथा और सबसे हाल ही का प्रकोप 15.1.2008 से पश्चिम बंगाल के बीरभूम और दक्षिण दीनाजपूर जिलों में जारी था। यह रोग राज्य के 13 और जिलों में फैला, ये जिले हैं- मुर्शिदाबाद, वर्धवान, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली, हावड़ा, कूचबिहार, मालदा, पश्चिम मेदनीपुर, बांकुरा और पुरलिया जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग । यह प्रकोप पश्चिम बंगाल के 15 जिलों में 55 ब्लाकों और 2 नगर पालिकाओं तक सीमित था। एवियन इंफ्लूएंजा

की अंतिम धटना 16 मई, 2008 को अधिसूचित की गई थी। पश्चिम बंगाल में नियंत्रण और रोकथाम प्रचालन के दौरान, कुल 42.62 लाख पक्षी मारे गए, 15.60 लाख अंडे (लगभग) और 89,823 कि.ग्रा. आहार सामग्री नष्ट की गई।

3.19.3.3 7 अप्रैल, 2008 को त्रिपुरा के धालाई जिले के सलेमा ब्लॉक में भी एवियन इंफ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि हुई थी। तत्पश्चात्, पश्चिमी त्रिपुरा जिले के दो अन्य ब्लॉक नामतः मोहनपुर और विशालगढ़ भी इसके चपेट में आ गए। एवियन इंफ्लुएंजा प्रकोप पर अंतिम अधिसूचना 24 अप्रैल, 2008 को पूर्वी त्रिपुरा के विशालगढ़ ब्लॉक में अधिसूचित किया गया था। एवियन इंफ्लुएंजा के नियंत्रण एवं रोकथाम प्रचालन के दौरान त्रिपुरा में कुल 0.19 मिलियन पक्षियों को मारा गया था।

3.19.3.4 सफलतापूर्वक नियंत्रण एवं रोकथाम प्रचालन के बाद, 4 नवम्बर, 2008 को भारत को रोग मुक्त घोषित किया गया था।

3.19.4 हाल में असम में एवियन इंफ्लूएंजा की घटना तथा पश्चिम बंगाल में इसकी पुनरावृत्तिः

3.19.4.1 एक महीने की खामोशी के बाद 27.11.2008 को असम के कामरूप जिले में एवियन इंफ्ल्यूएंजा के एक और प्रकोप की पुष्टि हो गई। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के आठ अन्य जिले नामतः कामरूप (मेट्रो), बारपेटा, नालबारी, चिराग, डिब्रूगढ़, बोगाँईगावं, नोगांव और बक्सा इसकी चपेट में आ गए। इस प्रकोप ने असम के 9 जिलों के 13 प्रखंडों तथा 2 नगरपालिकाओं को अपने चपेट में ले लिया। राज्य में एवियन इंफ्लूएंजा की अंतिम घटना 24 दिसम्बर, 2008 को घटी।

3.19.4.2 15 दिसम्बर, 2008 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिशबाजार प्रखंड में एवियन इंफ्ल्यूएंजा के प्रकोप की फिर सूचना मिली। तदुपरान्त, यह रोग पश्चिम बंगाल के चार जिलों के और आठ ब्लॉकों में फैल गया। एवियन इंफ्लूएंजा की अंतिम घटना उत्तर दिनाजपुर जिले में 27 मार्च, 2009 को अधिसूचित किया गया था। दक्षिण सिक्किम के रावोगँला नगर पालिका में भी इस प्रकोप की सूचना मिली थी।

3.19.4.3 सभी अधिकेन्द्रों में नियंत्रण एवं रोकथाम कार्य पूरा कर लिया गया था। सिक्किम के एकमात्र अधिकेन्द्र, असम के 18 अधिकेन्द्रों में से 17 में और पश्चिम बंगाल के 10 अधिकेन्द्रों में से 6 में पोस्ट आपरेशन निगरानी भी पूरी कर ली गई थी।

3.19.4.4 भारत सरकार ने एवियन इंफ्लूएंजा के जारी प्रकोप पर नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में इसके प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) 0-5/0-3 कि0मी0 की परिधि में जैसा उपयुक्त हो, सभी कुक्कुटों को मारना।

(ii) प्रयोगशालाओं के उन्नयन, मानवशक्ति के प्रशिक्षण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामग्रियों का स्टॉक बनाने के संदर्भ में भविष्य में किसी भी घटना का सामना करने के लिए तैयारियों का निरंतर सुदृढ़ीकरण।

(iii) पशुचिकित्सा कर्मियों को तैयारी, नियंत्रण तथा रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण जारी है। 75% से अधिक पशुचिकित्सा कार्यबल को नियंत्रण और रोकथाम कार्य में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

सभी अधिकेन्द्रों में नियंत्रण एवं रोकथाम कार्य पूरा कर लिया गया था। सिक्किम के एकमात्र अधिकेन्द्र, असम के 18 अधिकेन्द्रों में से 17 में और पश्चिम बंगाल के 10 अधिकेन्द्रों में से 6 में पोस्ट आपरेशन निगरानी भी पूरी कर ली गई थी।

(iv) नियंत्रण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री के रिजर्व को विकसित कर लिया गया है। विभाग ने कुक्कुट के लिए एवियन इंफ्लयूएंजा के 45 मिलियन खुराकों की क्षमता के साथ टीका बैंक की व्यवस्था कर ली है।

(v) इनको एजुकेशन तथा कम्यूनिकेशन आईईसी अभियानों के माध्यम से एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में आम लोगों को संवेदनशील बनाना।

(vi) न केवल प्रकोपों बल्कि कुक्कुट में असामान्य बीमारी/मृत्यु दर के संबंध में भी सूचना देने के प्रति पारदर्शी दृष्टिकोण।

(vii) यदि कोई हो, सभी राज्य सरकारों को रोग के प्रकोप के प्रति सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है।

(viii) एचपीएआई पॉजिटिव देशों से कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ix) पड़ोसी देशों से सटे सीमा चेक पोस्टों को सुदृढ़ किया गया है।

(x) कुक्कुट पालकों को दिशानिर्देश देने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

3.20 पशुपालन सांख्यिकी

3.20.1 इस विभाग का पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग राज्य/संघ शासित प्रदेशों के सहयोग से मुख्य पशुधन उत्पादों (एम एल पी) यानि दूध, अंडा, मीट व ऊन के उत्पादन का आंकलन करने के लिए 'एकीकृत नमूना सर्वेक्षण' करता है। यह पशुधन क्षेत्र के विकास से संबंधित राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय विभागों/ संगठनों के साथ सहक्रिया के माध्यम से अन्य पशुधन से जुड़े आंकड़े भी एकत्र करता है। एमएलपी पर प्राक्कलन को, केंद्रीय योजना "एकीकृत नमूना सर्वेक्षण " के अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में आयोजित की जा रही नमूना सर्वेक्षण के आधार पर निकाला जाता है। सभी राज्य/संघ शसित प्रदेश इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। समग्र भारत में पूरे वर्ष सर्वेक्षण किए जाते है, जबकि आंकड़े सामान्यतः नमूना गांवों में केम्पिंग द्वारा एकत्रित किए जाते है। तीन स्तरीय रणनीतियुक्त यादृच्छिक नमूनों को अपनाया जाता है जिससे कि मौसमी आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों के पशुधन उत्पादन के वार्षिक प्राक्कलनों का पता लगाया जा सके और इन्हें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा तैयार नमूना सर्वेक्षण को समेकित वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। इस योजना के तहत, सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकारों को 50: 50 के आधार पर तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% सहायता दी जाती है।

3.20.2 'पशुपालन और डेयरी सांख्यिकी में सुधार लाने हेतु निर्देश के लिए तकनीकी समिति (टी सी डी)' नामक एक विशेषज्ञ समिति पशुपालन सांख्यिकी को सरल बनती है, कमियों का पता लगती है और विभिन्न उपायों को अनुमोदित करती है जिससे देश के विभिन्न भागों में आवधिक बैठक आयोजित करते हुए पशुधन सांख्यिकी में सुधार लाया जा सके। सलाहकार (सांख्यिकी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग और निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई) संयुक्त रूप से समिति की अध्यक्षता करते है। विभाग के सचिव और पशुपालन आयुक्त समिति के मुख्य प्रेक्षक और मार्गदर्शक हैं, जो समिति के कार्यकरण पर नजर रखते है। टी सी डी के सदस्य केंद्र और राज्यों के चुने हुए सांख्यिकी संगठनों/ विभागों के अध्यक्ष और सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन निदेशक ये समिति दूध, अंडा, ऊन और मीट उत्पादन के प्राक्कलनों को अनुमोदित करने के साथ-साथ प्रमुख पशुधन उत्पादों के प्राक्कलन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करती हैं। पशुधन उत्पाद प्राक्कलनों और अन्य संबंधित सांख्यिकी को 'बेसिक एनिमल हस्बेंडरी स्टेटिसटिक्स' नामक द्विवार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन का नवीनतम अंक वर्ष 2006 को प्रकाशित किया गया था।

तीन स्तरीय रणनीतियुक्त यादृच्छिक नमूनों को अपनाया जाता है जिससे कि मौसमी आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों के पशुधन उत्पादन के वार्षिक प्राक्कलनों का पता लगाया जा सके।

3.20.3 दसवीं योजना के दौरान, योजना में दो नए घटक जोड़े गए: एक नमूना सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ा विश्लेषण कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करना और दूसरा योजना से जुड़े प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के स्टाफ के लिए आई एस एस प्रणाली में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित करने के साथ पशुपालन सांख्यिकी में खाली स्थान को पूरा करने के लिए विशेष अध्ययन आयोजित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी सहायता के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान प्रदान किया गया है और शेष राज्यों को 50 : 50 अनुदान प्रदान किया गया है। आई एस एस प्रणाली पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम 2005-06 के दौरान आरंभ किया गया था। इसी समय से, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब (दिल्ली सहित), राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही है और राज्यों ने यह सुझाव भेजा है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण तीन वर्षों की अवधि के दौरान कम से कम एक बार होनी चाहिए।

3.20.4 असंगठित क्षेत्र से मीट उत्पादन, आहार एवं चारा सांख्यिकी, भैंसों के लिए आदान सर्वेक्षण और दूध उत्पादन की लागत पर आंकड़ों में कमी पर विशेष अध्ययन क्रमशः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को दिए गए है। तमिलनाडु ने असंगठित क्षेत्र से मीट उत्पादन के प्राक्कलन के लिए पायलट अध्ययन पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आंध्र प्रदेश ने दूध उत्पादन की लागत पर अध्ययन पूरा कर लिया और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वर्ष 2007-08 के दौरान तमिलनाडु में पशुधन आहार एवं चारा के प्राक्कलन के लिए प्रणाली के विकास पर विशेष अध्ययन कार्य किया गया था।

3.20.5 वर्ष 2008-09 के दौरान, दो और अध्ययन कराए गए थे, एक आई ए आर एस आई (आईसीएआर) नई दिल्ली को 8.9 लाख अनुमानित लागत से "मेघालय में मीट उत्पादन के प्राक्कलन के लिए नमूना प्रणाली " पर आईएसएस प्रणाली में आंकड़ो में कमी पर अध्ययन। अध्ययन का अंतराल दो वर्षों का है। अन्य अध्ययन "उप-हिमालय पश्चिम बंगाल में दूध उत्पादन की अर्थव्यवस्था " पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य दूध उत्पादन इनपुट-आऊटपुट पर सूचना एकत्र करना है। इसे उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह अध्ययन 3.69 लाख रुपए के अनुमानित लागत से डेढ़ वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

3.20.6 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना जारी रखने को अनुमोदित करते समय प्रमुख पशुधन उत्पादों का अनुमान लगाने के लिए प्रणाली को संशोधित करने और नीति तैयार करने के लिए और अतिरिक्त घटकों की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया था। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत प्रणाली का संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया है और इसकी पहली बैठक फरवरी, 2009 में आयोजित की गई थी।

3.21 पशुधन संगणना

3.21.1 विभिन्न प्रजातियों की पशुधन की संख्या का प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित इस 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना के आधार पर गणना की जाती है। पशुधन क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की उचित योजना तथा उसे तैयार करना, विभिन्न प्रजातियों के पशुधन की संख्या, उनकी आयु/लिंग, नस्ल तथा उनके स्थानीय वितरण की सूचना की उपलब्धता पर निर्भर है। पशुधन संगणना एकमात्र स्रोत है जो कि ऐसी विस्तृत सूचना देता है। यह कुक्कुट, कृषि उपकरण तथा मशीन और मात्स्यिकी सांख्यिकी के संबंध में भिन्न प्रकार की सूचना भी प्रदान करता है। 1997 में आयोजित 16वीं पशुधन संगणना तक कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय संगणना आयोजित करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी था। 17वीं पशुधन संगणना का कार्य पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यवेक्षण में राज्य सरकारों के पशुपालन विभागों द्वारा किया गया था।

3.21.2 18वीं पशुधन संगणना देशभर में 15 अक्टूबर, 2007 में आयोजित की गई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में गणना कार्य पूरा हो चुका है। 29 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से

18वीं पशुधन संगणना देशभर में 15 अक्टूबर, 2007 में आयोजित की गई थी।

तत्काल परिणाम प्राप्त हो चुके है और शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में डाटा प्रविष्टि कार्य प्रगति पर है। जून, 2009 तक अनंतिम रिपोर्ट आने की संभावना है।

3.21.3 मौजूदा संगणना में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए नस्ल-वार आंकड़ों पर सूचना एकत्र करने पर अधिक जोर दिया गया है। 18वीं पशुधन गणना के दौरान, धरों में आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा बाद में पशुधन, कुक्कुट, बुनियादी सुविधाओं, पशुओं से की जाने वाली कृषि उपकरणों और पशुधन, कुक्कुट, मात्स्यिकी तथा पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत घरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति द्वारा पशुधन की जोत प्रणाली के लिए इस्तेमाल उपकरणों के संबंध में विभिन्न रिपोर्टें प्रकाशित करने के संदर्भ में आंकड़ों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण करने की योजना बनाई गई है।

3.21.4 2008-09 के लिए 130.00 करोड़ बजटीय आबंटन में से, इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 126.69 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, एन आई सी पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को इस संगणना के कम्प्यूटरीकरण कार्य के खर्चे को पूरा करने के लिए 11.18 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।

3.21.5 17वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में पशुधन की स्थिति अनुबंध-XIV में दी गई है।

3.22 पशुधन बीमा

3.22.1 गोवा को छोड़कर, शेष राज्यों में क्रियान्वित की जा रही इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के दो उद्देश्य हैः मृत्यु के कारण किसी भी प्रकार की आकस्मिक हानि से किसानों तथा गोपशु पालकों को बचाना तथा लोगों को पशुधन बीमा के लाभ को दिखाना; तथा पशुधन तथा उनके उत्पादों में गुणात्मक सुधार की प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य के साथ इसे लोकप्रिय बनाना। योजना के अंतर्गत प्रीमियम राजसहायता प्रदान करने, पशुचिकित्सा प्रेक्टिशिनरो को उनकी सेवा के लिए मानदेय देने और लक्षित वर्गों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान के लिए धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। प्रीमियम का 50% लाभार्थी द्वारा और 50% भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। योजना को संबंधित राज्यों के राज्य पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जिन राज्यों में ऐसा कोई बोर्ड मौजूद नहीं है; योजना को राज्य सरकारों के पशुपालन निदेशक के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रीमियम राजसहायता, मानदेय और प्रचार-प्रसार के लिए संपूर्ण धनराशि को राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास रखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान के लिए धनराशि का कुछ अंश प्रयोग किया जा रहा है।

3.22.2 इस योजना से किसान (बड़े/छोटे/सीमांत) और गोपशु पालक लाभान्वित होते है जिनके पास वर्ण संकरित एवं उच्च पैदावार वाले भैंस है। इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना के 2005-06 और 2006-07 के वर्षों के दौरान 120.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ संपूर्ण देश के चुने हुए 100 जिलों में पाईलट आधार पर क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2007-08 के लिए, इस योजना को 16.82 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसी फार्मेट में जारी रखा गया था। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर, पाइलट अवधि के दौरान, 9.55 पशुओं का बीमा किया गया था और 37,776 दावों में से, 30,745 दावों को निपटाया गया था।

3.22.3 वर्ष 2008-09 के दौरान, इस योजना को 100 नए जिलों में क्रियान्वित किए जाने के लिए 22.11.2008 को अनुमोदित किया गया था। चुने गए जिलों की सूची अनुबंध- ज्ज में दी गई है। 2008-09 के दौरान राज्यों को 6.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2008-09 के दौरान 3.28 लाख पशुओं का बीमा किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान, योजना को 2009-10 में क्रियान्वित किए जाने के लिए 30.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों और सुझावों के आधार पर, देश के 200 जिलों में 11वीं योजना की शेष अवधि के लिए संशोधित दिशानिर्देशों सहित पशुधन बीमा पर एक संपूर्ण योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय - 4

डेयरी विकास

डेयरी विकास

4

4.1 नौवीं योजना के दौरान भारतीय डेयरी उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसने 2007-08 के दौरान 104.8 मिलियन टन से भी अधिक दूध की वार्षिक वृद्धि प्राप्त कर ली है। इससे देश ने विश्व में न केवल प्रथम स्थान हासिल किया है बल्कि देश की बढ़ती आबादी के लिए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में सतत वृद्धि सुनिश्चित की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेयरी क्षेत्र करोड़ों गरीब परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण अनुपूरक साधन है तथा उन करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर जुटाने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2007-08 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 252 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गया है, परन्तु विश्व के प्रतिदिन औसतन 265 ग्राम की तुलना में यह बहुत कम है। भारत सरकार, दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी। भारत में दुग्ध उत्पादन तथा विपणन की व्यवस्था अनोखी है। अधिकतर दूध छोटे, सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो ग्रामीण स्तर पर सहकारिता के रूप में संगठित हैं। इन्हें स्थिर बाजार तथा उत्पादित दूध का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में देश में लगभग 1,28,800 ग्रामीण स्तरीय सहकारिता सोसाइटियों के तहत 13 मिलियन किसानों को ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाया गया है।

4.2 डेयरी क्षेत्र में विभाग के प्रयास ऑपरेशन और गैर-ऑपरेशन फ्लड दोनों क्षेत्रों में डेयरी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका जोर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादन करने के लिए राज्यों में सहकारिताओं की ढांचागत संरचना तैयार करना, बीमार डेयरी सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना तथा मूलभूत सुविधाओं का सृजन करने पर है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने 11वीं योजना के दौरान डेयरी क्षेत्र में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नामतः डेयरी/कुक्कुट उद्यम, पूँजीगत निधि सहित चार योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रख रहा है।

4.3 गहन विकास परियोजनाएं (आईडीडीपी)

4.3.1 गहन डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) नामक योजना को गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100% अनुदान सहायता आधार पर 1993-94 में आरंभ किया गया था। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- दुधारू गोपशुओं का विकास;
- तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि;
- लागत प्रभावी तरीके से दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन;
- दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना;
- अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना;
- अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, पौषणिक तथा आर्थिक दर्जे में सुधार।

4.3.2 मार्च, 2005 में योजना का संशोधन किया गया था। संशोधित योजना का नाम "गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) " दिया गया है और पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्रों तथा उन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यकलापों के लिए 50.00 लाख रुपए से कम धनराशि मिली थी।

भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जिसमें 2007-08 में 104.8 मिलियन टन दूध का वार्षिक उत्पादन रिकार्ड किया गया है। वर्ष 2007-08 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 252 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गया है, परन्तु विश्व के प्रतिदिन औसतन 265 ग्राम की तुलना में यह बहुत कम है। इन्हें स्थिर बाजार तथा उत्पादित दूध का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में देश में लगभग 1,28,800 ग्रामीण स्तरीय सहकारिता सोसाइटियों के तहत 13 मिलियन किसानों को ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाया गया है।

4.3.3 संशोधित योजना के अंतर्गत धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों (राज्य दुग्ध परिसंघों/संघों) को जारी किए जाते हैं और राज्य दुग्ध परिसंघों/संघों द्वारा उनकी विशेषज्ञता एवं व्यवसायिकता को देखते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के तहत लिंग एवं वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

योजना की शुरुआत से, 86 परियोजनाओं को आई.डी.पी. के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। इनमें से 55 परियोजनाएं क्रियान्वयनधीन हैं तथा 31 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

4.3.4 योजना की शुरुआत से, कुल 31.3.2009 तक कुल 501.84 करोड़ रुपए के लागत से 25 राज्यों एवं एक संघ शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 207 जिलों सहित 86 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 55 परियोजनाएं क्रियान्वयनधीन हैं तथा 31 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं से 31.12.2007 तक प्रतिदिन 20.08 लाख लीटर दूध की अधिप्राप्ति तथा 16.20 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के विपणन द्वारा विभिन्न राज्यों के 26844 गांवों के 18.79 लाख कृषकों को लाभ हुआ है। इस योजना के तहत 18.49 लाख लीटर की दूध की प्रतिदिन चिलिंग क्षमता तथा 23.96 लाख लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता सृजित की गई है।

4.4 गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना

4.4.1 तथापि, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण तथा प्रसंस्करण में विद्यमान गुणवत्ता मानक में सुधार की आवश्यकता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में संबंधित ज्ञान में कमी और ग्रामों में परवर्ती दुग्ध प्रशीतित सुविधा में कमी होने के कारण दुग्ध की माइक्रोबायलोजिकल गुणवत्ता घटिया है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का डेयरी उत्पादों का उत्पादन आवश्यक हो गया है।

4.4.2 विभाग ने दसवीं योजना के दौरान 30.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 'गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शुरू किया है। इस योजना को 'सघन डेयरी विकास कार्यक्रम' में विलय करके 11वीं योजना में जारी रखा जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में ग्रामीण स्तर पर गुणवत्ता कच्चे दूध के उत्पादन में सुधार लाना है। इसे जिला सहकारिता दुग्ध संघ/राज्य स्तरीय दुग्ध परिसंघों द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत, बेहतर दूध दोहने की प्रक्रिया पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। किसान सदस्यों को प्रशिक्षण, डिटर्जेंट, स्टील के बर्तन, विद्यमान प्रयोगशाला सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण इत्यादि जैसे घटकों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 100ऽ अनुदान के आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। थोक दुग्ध कूलरों के रूप में ग्रामीण स्तर पर दुग्ध प्रशीतन सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तपोषण की प्रक्रिया भारत सरकार तथा संबंधित डेयरी सहकारिता समिति/संघ/राज्य सरकार के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। 2005-06 के दौरान योजना आई डी डी पी के साथ मिला दिया गया था। योजना के मूल्यांकन तथा प्रभाव अध्ययन का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा आरंभ किया जाने वाला है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

शुरुआत से, 'गुणवत्ता दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण' योजना के अंतर्गत, विभाग ने 31 मार्च, 2009 तक 159.32 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 195.17 करोड़ रुपए की कुल लागत से 21 राज्यों को तथा एक संघशासित प्रदेश को शामिल करते हुए 131 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

4.4.3 शुरुआत से, विभाग ने 31 मार्च, 2009 तक 159.32 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 195.17 करोड़ रुपए की कुल लागत से 21 राज्यों को तथा एक संघशासित प्रदेश को शामिल करते हुए 131 परियोजनाओं को अनुमोदित किया। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2008-09 के दौरान 21.92 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

4.5 सहकारिताओं को सहायता

4.5.1 1999-2000 में आरंभ की गई 'सहकारिताओं को सहायताष नामक योजना बीमार डेयरी सहकारी संघों को जिला स्तर पर तथा सहकारी परिसंघों को राज्य स्तर पर पुनर्जीवन देने पर विचार करती है। पुनर्वास योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा राज्य डेयरी परिसंघों/जिला दुग्ध संघों के परामर्श से तैयार किया गया है। प्रत्येक पुनर्वास योजना को इसके अनुमोदन की तारीख से 7 वर्षों के अंदर क्रियान्वित किया जाना है।

4.5.2 आरंभ से, अभी तक विभाग ने 230.94 करोड़ रुपए की कुल लागत तथा 31 मार्च, 2009 तक 115.66 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में दुग्ध संघों के 34 पुर्नवास प्रस्तावों का अनुमोदन किया था। भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ 50:50 की हिस्सेदारी आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आरंभ से 31 मार्च, 2009 तक योजना के अंतर्गत 88.19 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

4.6 डेयरी/कुक्कट उद्यम पूंजीगत निधि

4.6.1 असंगठित क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तनों को लाने के लिए दुग्ध ग्रामीण स्तरीय प्रसंस्करण, लागत प्रभावी तरीके से पाश्च्यूरीकृत दूध की बाजार गुणवत्ता संवर्द्धन और आधुनिक उपकरण तथा प्रवर्धन कुशलता का उपयोग करके वाणिज्यिक स्केल का रखरखाव करने के लिए परम्परागत प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन और नए नस्ल के पक्षियों एवं ग्रामीण किसानों में कुक्कुट पालन के लिए कम आदान वाली प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्यम/कुक्कुट पूंजीगत निधि योजना की नई योजना शुरू की गई थी तथा 11वीं योजना के पहले वर्ष तक जारी रहा। इसके परिणामस्वरूप, 'डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष' नामक योजना अलग कर दिया गया है। तथापि, डेयरी उद्यम/कुक्कुट पूंजीगत निधि कोष के दिशानिर्देशों के अनुसार (कुक्कुट क्षेत्र को ऋण जारी है जब तक कोई नई कुक्कुट योजना आरंभ नहीं होती। इस योजना के तहत बैकयोग्य परियोजनाओं के माध्यम से योजनागत प्रस्ताव के तहत ग्रामीण/शहरी लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में खेतिहर किसान, प्रत्येक उद्यमी, देश के विभिन्न हिस्सों के सहकारिता तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी वर्गों के समूहों को शामिल किया गया है।

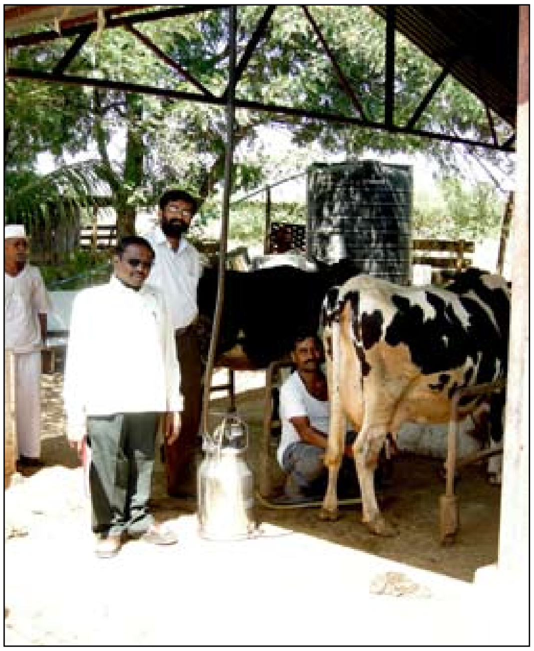

शुरूआत से 'सहकारिताओं को सहायता' योजना के अंतर्गत विभाग ने दुग्ध संघों के 34 पुनर्वास प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

4.6.2 इस योजना को नाबार्ड के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है और योजना के क्रियान्वयन के लिए 31 मार्च, 2009 तक नाबार्ड को 112.99 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसमें 2008-09 में जारी 35.00 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

4.6.3 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक वित्तीय सहायता के पात्र हैंः -

4.6.4 योजना के मूल्यांकन तथा प्रभाव अध्ययन का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आरंभ किया जाने वाला है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

डेयरी क्षेत्रः

क्र.सं.	घटक	अधिकतम कुल परियोजना लागत* (लाख रुपए में)
1.	छोटे डेयरी फार्म स्थापित करना - दुग्ध उत्पादन के लिए दस पशु संयंत्र (भैंस/वर्ण संकरित गाएं)	3.00 लाख रुपए प्रति संयंत्र (दस पशुओं तक) - कोई भी गैर ऑपरेशन फ्लड क्षेत्र। - कुल लागत आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करता है।
2.	मिल्किंग मशीनों/ मिल्कोटेस्टर/ थोक दुग्ध प्रशीतन यूनिट इत्यादि की खरीद	15.00 लाख रुपए मिल्किंग मशीन, मिल्कोटेस्टर तथा थोक दुग्ध प्रशीतन यूनिटों (2000 लाख लीटर क्षमता तक)
3.	स्वदेशी दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद।	10 लाख रुपए प्रति यूनिट यूनिट लागत रखरखाव के लिए दूध की मात्रा तथा विनिर्मित किए जाने वाले उत्पादन के प्रकार पर निर्भर करता है। - कुल लागत ढांचों के निर्माण कार्य, प्रकार और मशीनरी के स्रोत पर निवेश पर निर्भर करता है।
4.	कोल्ड चेन सहित डेयरी उत्पाद की ढुलाई सुविधाएं स्थापित करना।	20 लाख रुपए प्रति यूनिट - यूनिट लागत लाने-ले-जाने/रखरखाव के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रमात्रा/लाने-ले-जाने वाले उत्पादों के प्रकार पर निर्भर करता है। - कुल लागत ढुलाई वाहन एवं मशीनरी के प्रकार एवं स्रोत पर होने वाले निवेश पर निर्भर करता है।
5.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं	25 लाख रुपए प्रति यूनिट - यूनिट लागत भंडारण के लिए दुग्ध/दुग्ध उत्पादों की मात्रा और भंडारण के लिए उत्पादों के प्रकार पर निर्भर करता है। - जबकि लागत प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन के प्रकार एवं स्रोत पर निर्भर करता है।
6.	प्राइवेट पशुचिकित्सा क्लीनिक स्थापित करना	मोबाईल क्लीनिकों के लिए 2.00 लाख रुपए प्रति यूनिट और स्थाई क्लीनिकों के लिए 1.5 लाख रुपए - प्रचालन क्षेत्र 5000 से 6000 गोपशु यूनिटों सहित 8 से 10 गांव

कुक्कुट क्षेत्र::

क्र. सं.	घटक	अधिकतम कुल परियोजना लागत। (लाख रुपए में)
1.	कम आदान वाले प्रौद्योगिकी पक्षियों के साथ-साथ बत्तख/टर्की/गुनिया फाउल/क्वेल/इमू/आस्ट्रीच इत्यादि के लिए भी कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित करना।	30.00
2.	आहार गोदाम, आहार मिल, आहार विश्लेषण प्रयोगशालाएं स्थापित करना।	16.00
3	कुक्कुट उत्पादों का विपणन (विशेष ढुलाई वाहन, शीत गृह भण्डारण सुविधाएं एवं पक्षियों को रखने के लिए शेड इत्यादि)	25.00
4.	निर्यात क्षमता के लिए अण्डा ग्रेडिंग, पैकिंग एवं भण्डारण	80.00
5.	फुटकर कुक्कुट ड्रेसिंग यूनिट (300 पक्षी प्रति दिन)	5.00
6.	कुक्क्ट उत्पादों की बिक्री के लिए अंडा/ब्रायलर कार्ट	0.10
7.	केंद्रीय ग्रोअर यूनिट (12,5000 पक्षी प्रति बैच और प्रति वर्ष 4 बैच)	20.00

* भारत सरकार कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करती है।

4.7 दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 - एक विनियामक अभियांत्रिकी

4.7.1 भारत सरकार ने 1991 में डेरी क्षेत्र का लाईसेंस समाप्त करने के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत 9.6.1992 को दुग्ध तथा दुग्ध आदेश(एमएमपीओ) 1992 लागू किया था। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक दूध अथवा प्रतिवर्ष 500 मीटरी टन से अधिक ठोस दूध का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति/डेरी संयंत्र को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। इस आदेश का प्रमुख उद्देश्य आम जनता के हित में इच्छित गुणवत्ता के तरल दुग्ध की आपूर्ति में वृद्धि और रखरखाव करना है और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा वितरण को विनियमित भी करना है।

4.7.2 डेयरी क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की तेज गति को बनाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर दुग्ध और दुग्ध आदेश 1992 में संशोधन किए हैं ताकि डेरी उद्यमों को सरल बनाने के लिए इसे अधिक उदार और उन्मुख बनाया जा सके। विभाग ने 26.3.2002 को अधिसूचित कार्यलयी राजपत्र में संशोधन का अंतिम प्रस्ताव किया था। अब यह देखते हुए कि एमएमपीओ-1992 की अनुसूची-६ में विनिर्दिष्ट जलबहाव, सफाई की स्थिति, गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है, नए दुग्ध प्रसंस्करण को स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किए गए नए संशोधनों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) मिल्क शेड प्रदान करने का प्रावधान पूरा हो चुका है।

(ii) एमएमपीओ - 92 की अधिसूची-६ में विनिर्दिष्ट जलबहाव, स्वास्थ्य स्थिति, गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा उपायों को एमएमपीओ-92 के तहत पंजीकरण को कवर नहीं करेगा।

(iii) पंजीकरण प्रदान करने के प्रावधान को 90 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया गया है, जो संपूर्ण रूप में आवेदन प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(iv) राज्य पंजीकरण प्राधिकरण की पंजीकरण शक्ति को 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है।

(v) एमएमपीओ-92 के पैरा 5(5) (बी) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए इस विभाग ने पंजीकृत डेयरी यूनिटों की वार्षिक जांच के लिए दो जांच एजेंसियों अर्थात एनपीसी तथा ईआईसी ऑफ इंडिया को अधिसूचित किया है।

4.7.3 आरंभ से, 31.03.2008 को केन्द्रीय तथा राज्य पंजीकरण प्राधिकरणों ने सहकारिता, निजी व सरकारी क्षेत्र में 886.60 लाख लीटर प्रतिदिन की

आरंभ से, 31.03.2009 तक केन्द्रीय तथा राज्य पंजीकरण प्राधिकरणों ने सहकारिता, निजी व सरकारी क्षेत्र में 886.60 लाख लीटर प्रतिदिन की संयुक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के साथ 865 डेयरी यूनिटों को पंजीकृत किया है।

संयुक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के साथ 865 डेयरी यूनिटों को पंजीकृत किया है।

4.7.4 अब इसे खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 99 के तहत दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के रूप में शामिल कर लिया गया है तथा इसे खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका प्रशासन का जिम्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हाथों में है।

4.8 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा - पोस्ट ऑपरेशन फ्लड तथा सहकारी आन्दोलन का समेकन

4.8.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) एक सांविधिक निकाय है जिसे एनडीडीबी अधिनियम, 1987 के तहत संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनडीडीबी सहकारिता के तर्ज पर डेयरी तथा अन्य कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना, योजना बनाना तथा कार्यक्रम आयोजित करता है तथा ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता भी प्रदान करता है।

4.8.2 सहकारिताओं को सुदृढ़ करना

4.8.2.1 2008-09 के दौरान, डेयरी सहकारिताओं को सहकारी कार्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, उत्पादकता संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क तैयार करने के क्षेत्रों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से तकनीकी और वित्तीय समर्थन मिलता रहा। मार्च, 2009 तक 1728.75 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से परिपेक्ष्य योजना 2010 के अंतर्गत डेयरी सहकारिताओं की 97 योजनाओं को स्वीकृत किया गया हैं जिसमें से ब्याज वहन करने वाले ऋणों, ब्याज मुक्त ऋणों और अनुदान के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता 1435.11 करोड़ रुपए के बराबर है। 293.64 करोड़ रुपए की शेष राशि दुग्ध संघों/फैडरेशनों द्वारा दिया जाएगा।

4.8.3 पशु प्रजनन

4.8.3.1 एनडीडीबी ने होलिस्टियन फ्रीजियन सांडों तथा मुर्रा भैंस सांडों के वर्ण संकरण के उत्पादन तथा विकास के लिए गुजरात में साबरमती आश्रम गोशाला द्वारा संतति परीक्षण कार्यक्रम को जारी रखने को समर्थन देना जारी रखा। होलिस्टियन फ्रीजियन के लिए कर्नाटक में, मुर्रा भैंस के सांडों के लिए उत्तर प्रदेश में तथा मेहसाना भैंस सांडों के लिए गुजरात में भी संतति परीक्षण कार्यक्रम को आरंभ किया गया है।

4.8.3.2 एनडीडीबी द्वारा प्रबंधित दो वीर्य केन्द्रों - गुजरात में विदाज स्थित साबरमती आश्रम गोशाला और उत्तर प्रदेश में सलोन स्थित पशु प्रजनन केन्द्र को केन्द्रीय मोनीटरिंग यूनिट (सी एम यू) द्वारा 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया था और देश भर में इनका पहला और दूसरा स्थान है। सी एम यू को हिमित वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकोल के क्रियान्वयन के लिए देशभर के हिमित वीर्य केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हिमित वीर्य उत्पादन केन्द्रों में सी एम यू ने तीन केन्द्रों को 'ए' तीन अन्य को 'बी' और एक वीर्य केन्द्र को 'सी' ग्रेड दिया है।

4.8.3.3 वर्ष के दौरान चुनिंदा नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए उनके मूल क्षेत्रों में स्वदेशी नस्ल विकास परियोजना की सहायता को जारी रखा गया था, नामतः राजस्थान के बीकानेर एवं श्री गंगान-गर जिलों में राठी गोपशु नस्ल पर परियोजना तथा गुजरात के बनसंकका एवं पाटल जिले में कंकरेज गोपशु पर परियोजना उत्कृष्ट गायों की पहचान करने तथा सांड माताओं के रूप में उनका उपयोग करने के लिए एक दुग्ध रिकार्डिंग कार्यक्रम इस परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है। अधिप्राप्ति से पहले नर बछड़ों की जांच करने डीएनए फिंगर प्रिटिंग प्रौ-द्योगिकी का उपयोग करके तथा क्षय रोग जोन्स रोग एवं ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों से उनकी रोग मुक्त स्थिति की सही प्रतिशतता सुनिश्चित करने के संबंध में व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक सेवा अथवा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के माध्यम से आगे प्रसार-प्रचार के उद्देश्य से परियोजना के तहत सृजित सांड पालन सुविधाओं पर ऐसे अधिप्राप्त सांड बछड़ों का पालन किया जाता है। इसके अलावा, गीर, हरियाणा, कंकरेज, खिल्लड, राठी लाल सिंधी, सैवाल और

थारपरकर जैसे गोपशु की नस्लों और जाफराबादी, मुर्रा, पंधरपुरी और टोडा जैसी भैंस की नस्लों में हिमित भ्रूण तथा वीर्य खुराक के माध्यम से इन विट्रो पद्धति से गोपशु व भैंसों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के प्रयास जारी हैं।

4.8.3.4 डेयरी पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने को लक्षित करके की गई किसी पहल की सफलता के लिए उपयुक्त निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय सूचना का होना आवश्यक है। एनडीडीबी सूचना और प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का उपयोग करके प्रजनन, पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक एकीकृत सूचना तंत्र विकसित कर रहा है। पायलट टेस्ट के लिए 'पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क' नामक एप्लीकेशन के शीघ्र तैयार हो जाने की संभावना है।

4.8.4 पशु पोषाहार एवं आहार प्रौद्योगिकी

4.8.4.1 डेयरी सहकारिताओं के गोपशु आहार आहार संयंत्रों ने अपनी उपयोगिता क्षमता को 90% से भी अधिक तक बढ़ा लिया है, उसमें इसे एनडीडीबी से तकनीकी समर्थन से आंशिक सहायता प्राप्त होती है। कुछ गोपशु आहार संयंत्रों को छोटे बछड़ों के लिए काफ-स्टार्टर तथा उन्नत दुग्ध उत्पाद के लिए अनुपूरक/आहार प्रोटीन बाईपास के उत्पादन में समर्थन दिया गया था। सहकारिता आहार संयंत्रों की सहकारिता द्वारा तैयार किए गए 90% आहार तथा लवण मिश्रण मानक विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं।

4.8.4.2 राशन संतुलन कार्यक्रम (आर बी पी) के क्रियान्वयन के लिए बारह जिलों की पहचान की गई है, इसमें प्रत्येक जिले के पास 200 गांवों का माड्यूल होगा, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। आरबीपी को स्थानीय संस्था की मदद से ग्राम आधारित स्थानीय संसाधन में प्रशिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। एनडीडीबी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर लोड किए व्यक्तिगत डिजीटल उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय संसाधन व्यक्ति प्रत्येक पशु के लिए संतुलित राशन तैयार करेंगे। आर बी पी के क्रियान्वयन से होने वाले लाभों के आकलन के लिए दुग्ध उत्पादन और दुग्ध में सुधार तथा वसा निर्माण के लागत को प्रभावित करने वाले आंकड़ों को भी रिकार्ड किया जाएगा। यह भी प्रदर्शित किया गया है कि आरबीपी जुगाली करने वाले पशुओं में से होने वाले मिथेन के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। आहार तथा प्रबंधन के विभिन्न परिस्थितियों में मिथेन उत्सर्जन पर आरबीपी के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में ऐसे अध्ययनों को नियोजित किया जा रहा है।

4.8.4.3 बिहार राज्य के लिए लवण मैपिंग कार्यक्रम पूरा हो गया था। पशुओं के राशन में कैल्सियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर और जिंक की कमी पाई गई है। लवण मैपिंग कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर इस राज्य के लिए एक क्षेत्र विनिर्दिष्ट लवण मिश्रण सूत्र तैयार किया गया था। समस्तीपुर जिले में एक लवण मिश्रण संयंत्र लगाया गया जिसमें क्षेत्र विनिर्दिष्ट लवण मिश्रण का उत्पादन आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश में भी लवण मैपिंग आरंभ किया गया है।

4.8.4.4 डेयरी सहकारिताओं को पहले से चारे की खेती में लगी भूमि से हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रजनक बीज और रूट स्लिपों की अधिप्राप्ति को आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है।

4.8.5 पशु स्वास्थ्य

4.8.5.1 एनडीडीबी राज्य में खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए गोरक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए केरल सरकार को वित्तीय औरे तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम क्रियान्वयन के अंतिम वर्ष में है। इस कार्यक्रम के तहत सामूहिक टीकाकरण, पशु आवाजाही प्रबंधन, प्रकोप प्रबंधन, सेरो मानीटरिंग, रोग निगरानी, विस्तार तथा प्रचार-प्रसार जैसी क्रियाकलापों को नियमित आधार पर पूरा किया जा रहा है।

4.8.5.2 एनडीडीबी की आर एंड डी प्रयोगशाला ने बेहतर उत्पादकता के लिए रोग मुक्त पशुयूथ के रख-रखाव के लिए बोवाईन ब्रूसेलोसिस, संक्रामक बोवाईन रिनोट्रेकेटिस (आई बी आर), बकोवाईन ट्यूबरक्लोसिस, जानस रोग(जेडी) तथा खुरपका और मुंहपका रोग (एफ एम डी) के लिए संगठित फार्मों को रोग नैदानिक सेवाएं प्रदान करना जारी

रखा। यह प्रयोगशाला आनुवंशिक रूप से असामान्य प्रजनन सांडों तथा अशुद्ध जनकता वाले सांड बछड़ों की पहचान करने के लिए कारयोटाइपिंग प्रमुख आनुवंशिक रोगों के मोलीक्यूलर निदान तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। देशभर की विभिन्न वीर्य केन्द्रों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है तथा इससे उन्हें प्रजनन स्टॉक से अवांछित सांडों को हटाने में मदद मिली है।

4.8.5.3 इस प्रयोगशाला ने त्वरित तथा सटीक रोग निदान के लिए आईबीआर, ब्रूसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, जेडी तथा एफ एम डी के लिए अतिसंवेदनशील तथा विनिर्दिष्ट नई पीढ़ी के रोग निदान जांच को विकसित तथा उसे मानकीकृत किया है। पशु रोगों के लिए उन्त टीकों का अनुसंधान किया गया तथा रेबीज तथा बहुप्रजातीय टिक आक्रमणों के लिए डीएनए टीके वायरस जैसे एमएफडी के लिए पार्टिकल्स, आई बी आर तथा ब्रूसेलोसिस के लिए मार्कर टीका के विकास में बड़ी प्रगति की है। टिक टीकों का प्रयोग करके किया जाने वाला प्री-क्लीनिकल टॉकसीमॉलाजिक परीक्षणों को पूरा कर लिया गया है तथा 2009-10 के दौरान फील्ड परीक्षण किए गए जाएंगे।

4.8.6 प्रबंधन गुणवत्ता

4.8.6.1 एनडीडीबी ने दूध की गुणवत्ता के उन्नयन को लक्ष्य करके स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्य को जारी रखा तथा कच्चे दूध की गुणवत्ता के उन्नयन तथा मानीटरिंग के लिए रणनीतियां तैयार की। प्रशिक्षण, जतागरूकता पैदा करने तथा दुग्ध उत्पादकों तथा सहकारिताओं के अन्य दुग्ध चेन सदस्यों को संवेदनशील बनाने तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में नई पीढ़ी की सहकारिताओं और दुग्ध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन के महत्व के प्रति उन्हें जागरूक बनाने पर इसका बल है। प्रौद्योगिकियों में निवेश जैसे बल्क मिल्क कूलरों, आटोमोटिक दुग्ध एकत्रण यूनिटों इलैक्ट्रानिक वसा टेस्टरों, दुग्ध एनालाइजरों, इंसुलेटिड दुग्ध वैन तथा कोल्ड कैबिनेट को सुलभ बनाया गया था। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए एनडीडीबी द्वारा विकसित शैक्षणिक सामग्रियों को आगे और बढ़ाया गया। ये सब स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्य में अमल में लाने के लिए दुग्ध उत्पादकों में जागरूकता उत्पन्न करने में प्रभावकारी है।

4.8.6.2 'दुग्ध गुणवत्ता मानकों पर देशव्यापी डाटाबेस' परियोजना के तहत रसायनिक के लिए दुग्ध नमूनों की जांच तथा माइक्रोबायोलॉजिकल मानक जारी रखने गुणवत्ता सुनिश्चिय करने के लिए नीति निर्णयों को सुलभ बनाने के लिए देश में गुणवत्ता दूध का डाटा बैंक बनाना इस परियोजना का उद्देश्य है। एनडीडीबी सहकारिता डेयरियों की गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्रों के क्रियान्वयन में सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। एनडीडीबी ने संयंत्रों के प्रचालन, बर्बादी को कम करने तथा ऊर्जा बचाने क लिए दुग्ध संघों के अनुरोध पर 16 अध्ययन आयोजित किए।

4.8.7 दूध खरीद और विपणन

4.8.7.1 2008-09 के दौरान डेयरी सहकारिताओं द्वारा औसत दुग्ध खरीद 247.18 लाख किलोग्राम प्रतिदिन (अनन्तिम) थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान लगभग 228.73 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की खरीद की गई थी, जो 8.1% की वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल और दिसम्बर, 2007 के बीच सहकारिताओं द्वारा 189.62 लाख लीटर प्रतिदिन की तुलना में 199.5 लाख लीटर प्रतिदिन औसत दूध का विपणन किया गया था जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान लगभग 5.2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

4.8.8 नई पीढ़ी की सहकारिताएं

4.8.8.1 कंपनी अधिनियम,1956 के उत्पादक कंपनी अध्याय के तहत शामिल दुग्ध उत्पादक कंपनियां उसी कार्य को करते हुए तथा उसी विनायामक ढांचे के भीतर सहकारिताओं के उसी स्वरूप को रखते हैं जैसा कि कंपनियों द्वारा रखा जाता है। यही कारण है कि सामान्यतः उत्पादक कंपनियों को नई पीढ़ी की सहकारिताएं कहा जाता है।

4.8.8.2 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने उत्पादक समूहों को तैयार करने के लिए दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करके गैर सरकारी संस्थानों को बढ़ावा देने संबंधी प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। ये उत्पादक समूह थोक दुग्ध कूलिंग एककों, जो कि दुध एकत्रित करने के लिए स्थापित किए गए हैं, के आस पास है। मार्च, 2009 के अंत तक लगभग 6,900 दुग्ध उत्पादक समूहों जो कि आठ प्रदेशों में थे, में करीब

1,20,000 दुग्ध उत्पादक शामिल थे जिन्होंने औसतन 6.35 लाख किलोग्राम दूध का उत्पादन प्रतिदिन के दर से 2008-09 में किया। जिन 8 राज्यों में इनकी पहल की गई है, वे इस प्रकार हैं- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। संचालनो में दूरदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दूध उत्पादकों को सीधे दूध संकलन, परीक्षण तथा भुगतान के लिए इसके बदले में कुछ सुधारात्मक व्यवसाय किया गया है जिससे दुग्ध उत्पादकों में अत्यधिक आत्मविश्वास आया है।

4.8.8.3 कालांतर में, उत्पादक अपनी उत्पादक कंपनी को बढ़ावा देगा तथा प्रतिनिधियों को बोर्ड ने निदेशकों के रूप में चयन करेगा। संभार तंत्र के क्षेत्र तथा कार्यक्षमता की किफायत को सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को जिले की सीमा में नहीं बांधा जाएगा। संचालन संबंधी पैमाने को प्राप्त करने के बाद बोर्ड का चयन हो सकेगा तथा सक्रिय दुग्ध उत्पादकों यह जिम्मेदारी होगी कि वे चयनित बोर्ड सदस्यों की जिम्मेवारी लें तथा कारोबार का प्रबंधन करने के लिए व्यवसायियों का नियुक्त करें।

4.8.9 राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क का सृजन

4.8.9.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क के सृजन में सहायता करना जारी रखा जिसमें डेयरी सहकारिताएं प्रमुख भागीदार तथा इंटरनेट आधारित डेयरी सूचना प्रणाली की उपयोगकर्ता है। यह प्रयास डेयरी सहकारिताओं को समयबद्ध तरीके से सूचना संकलित करने में समर्थन प्रदान करता है तथा उपयुक्त स्तर पर उन्हें प्रभावी निर्णय लेने में भी मदद करता है।

4.8.10 परियोजनाएं

4.8.10.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने नई दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद निर्माण बुनियादी सुविधाओं के सृजन और टर्नकी अथवा परामर्शदायी आधार पर मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने/ सुदृढ़ करने के लिए देश भर में विभिन्न सहकारी दुग्ध संघों को तकनीकी सहायता देना जारी रखा। एनडीडीबी सहकारिता दुग्ध संघों तथा परिसंघों को उपयुक्त तथा खर्च वहन योग्य तकनीकी समाधान को टर्न-की या परामर्श आधार पर प्रदान करता है। 2008-09 के दौरान, डेयरी और गोपशु आहार प्लांटों के लिए 6 टर्नकी परियोजनाएं और 5 परामर्शदायी परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं। इसके अतिरिक्त, 14 टर्नकी परियोजनाएं और 6 परमार्शदायी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी और उपयोगिताओं से संबंधित विभिन्न कोड को अद्यतन करने में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विभिन्न तकनीकी उप समितियों को भी सहायता प्रदान करता है।

4.8.11 उत्पाद एवं प्रसंस्करण का विकास

4.8.11.1 एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं को उनके उत्पाद के किस्मों के विविधीकरण के लिए उत्पाद एवं प्रसंस्करण विकास में समर्थन देकर अधिशेष दुग्ध में मूल्य संवर्धन करने के लिए उन्हें सहायता देना जारी रखा। एनडीडीबी ने पनीर उत्पादन की प्रौद्योगिकी को महाराष्ट्र स्थित जलगांव दुग्ध संघ को अंतरित किया। फल तथा स्वास्थ्यवर्द्धक प्रोबायोटिक बैक्टिरिया वाले प्रोबायोटिक डेयरी के उत्पादन के लिए एनडीडीबी की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके मदर डेयरी, दिल्ली ने आम और रसभरी के स्वाद वाले प्रोबायोटिक पेय की शुरूआत की है। दही तथा मिस्टी दोही के उत्पादन की प्रौद्योगिकी को उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर दुग्ध संघ को अंतरित करने की पहल कर दी गई थी।

4.8.11.2 क्रीम चीज के बनाने व इसके प्रसंस्करण के मानकों को मानकीकृत किया गया। उच्च फाईबर कम वसा वाले प्रोबायोटिक पेय, निम्न शर्करा-फाईबर युक्त प्राबायोटिक पेय, दही से बने स्प्रेड, दही के पानी वाले पेय तथा कैल्शियम युक्त मक्खन पर काम चल रहा है।

4.9 दिल्ली दुग्ध योजना

4.9.1 दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना 1959 में की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर सम्पूर्ण दूध की सप्लाई करना तथा दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना था। घी, टेबल बटर, योगर्ट, पनीर, छाछ और फ्लेवर्ड दूध जैसे दुग्ध उत्पादों के निर्माण और ब्रिक्री के कार्य को भी सहायक गतिविधि के रूप में शुरू किया गया

है। दिल्ली दुग्ध योजना की प्रारंभिक स्थापित क्षमता 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्करण/पैकिंग करने की थी तथापि शहर में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस क्षमता को 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर तक चरणों में विस्तारित किया गया है। विभाग ने http://dms.gov.in नामक वेबसाइड तैयार की है ताकि संबंधित उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल कर सके।

4.9.2 प्रबंधन

4.9.2.1 महाप्रबंधक दिल्ली दुग्ध योजना के प्रमुख होते हैं। उनकी सहायता वरिष्ठ अधिकारी अर्थात उप महाप्रबंधक (प्रशासन), उप महाप्रबंधक (तकनीकी) और वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी करते हैं।

4.9.2.2 इसकी एक प्रबंधन समिति है जिसके पास (पदों के सृजन, हानि को बट्टेखाते में डालने और मूल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की धनराशि के पुनर्विनियोजन को छोड़कर) भारत सरकार के विभाग की शक्तियां हैं। मौजूदा प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), निदेशक (वित्त), अध्यक्ष, भारतीय डेयरी संघ, नई दिल्ली, प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि0, चंडीगढ़ तथा महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना इसके सदस्य हैं।

4.9.3 आईएसओ 9001 / 2000- प्रमाणीकरण

4.9.3.1 दिल्ली दुग्ध योजना को मैसर्स एसजीएस यूनाईटेड किंगडम लिमिटेड (प्रणाली एवं सेवा प्रमाणीकरण) से प्रमाणपत्र संख्या एसजी 06/0827 के तहत आई एस ओ प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, जो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संबंध में कच्ची सामग्री की खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण के लिए 12.4.2006 से 11.4.2009 तक के लिए वैध है। यह सरकारी संगठन के लिए उच्च एवं मूल्यवान प्रमाणपत्रों में से एक है, जो यह सिद्ध करता है कि दिल्ली दुग्ध योजना सिद्ध प्रौद्योगिकी एवं कार्य कौशल का प्रयोग करके सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की अन्य डेयरियों के समान कार्य कर रहा है।

4.9.4 एचएसीसीपी प्रमाणीकरण

4.9.4.1 खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता उत्पादों के आश्वासन के लिए प्रमाणपत्र संख्या आईएन 06/ एनए 09.0112 के तहत मैसर्स एचएसीसीपी कोडक्स एलीमैंटेरियस से जोखिम विश्लेषण एवं क्रिटीकल नियंत्रण मुद्दे (एचएसीसीपी) प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है जो अच्छी किस्म के उत्पादों के निर्माण एवं विपणन में ठीक प्रकार से काम करने के लिए 22.3.2006 से 21.3.2009 तक वैध है। यह प्रमाणपत्र सुनिश्चित करता है कि दिल्ली दुग्ध योजना अपने उपभोक्ताओं कोस गुणवत्ता उत्पादों को देने को तैयार है।

4.9.5 दुग्ध खरीद

4.9.5.1 दिल्ली दुग्ध योजना पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के राज्य डेयरी फेडरेशनों से कच्चा/ताजा दूध खरीदती रही है और सहकारिता समितियों से भी यह कुछ मात्रा में दूध की खरीद करती है ताकि उनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

4.9.5.2 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 2004-2005 से खरीदे गए दूध की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

(आंकड़े लाख कि0ग्रा0 में)

वर्ष	खरीदे गए दूध की कुल मात्रा	औसत/प्रतिदिन
2004-05	992.16	2.71
2005-06	1029.33	2.82
2006-07	601.63	1.92
2007-08	872.77	2.38
2008-09	1100.38	3.01

4.9.5.3 वर्ष 2005-06 की तुलना में 2006-07 में दूध की खरीद में कमी आई है जिसका मुख्य कारण है सहकारिता सोसायटियों द्वारा दूध की आपूर्ति न किया जाना/राज्य डेयरी परिसंघों (एसडीएफ) और सहकारिता सोसायटियों के बीच विभिन्न नियम एवं शर्तों और दूध खरीद मूल्यों में अंतर होने के कारण निविदा को अंतिम रूप न दिया जाना है। सरकार द्वारा अनुमोदित, संशोधित दूध खरीद नीति के अनुसार,

अंतर को हटा दिया गया है और 31.3.2009 तक राज्य डेयरी परिसंघ, सहकारिता सोसायटियों/उत्पादक कंपनियां और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों जैसे विभिन्न एजेंसियों के साथ दूध खरीद के लिए ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है। ठेके को अंतिम रूप देने के साथ, दिल्ली दुग्ध योजना ने 2008-09 के दौरान, प्रतिदिन लगभग 3.01 लाख कि0ग्रा0 दूध की खरीद की।

4.9.6 दुग्ध उत्पादन और वितरण

4.9.6.1 दिल्ली दुग्ध योजना निम्नलिखित किस्म के दूध को उसके सामने दिए गए बिक्री मूल्य पर प्रसंस्कृत और आपूर्ति कर रही हैः-

क्र. सं.	दूध की किस्म	वसा	एस एन एफ	दर/प्रति लीटर	से प्रभावी
1.	टोंड दूध (पाली पैक)	3.0%	8.5%	21.00 रुपए	25.09.2008
2.	टोंड दूध (खुला)	3.0%	8.5%	19.00 रुपए	24.10.2007
3.	डबल टोंड दूध	1.5%	9.0%	18.00 रुपए	24.10.2007
4.	फुल क्रीम दूध	6.0%	9.0%	26.00 रुपए	25.09.2008

4.9.6.2 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादनों की बिक्री के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के समूचे शहर में 1430 बूथ और 443 पूर्ण दिवसीय दूध स्टाल तथा 198 खुले दूध वाले बिक्री केन्द्र हैं, जो इस प्रकार हैः-

(क) डी एम एस बिक्री केन्द्र(433 पूर्णदिवसीय दुग्ध केन्द्र सहित)	1077
(ख) सरकारी भवनों में स्थित पूर्णदिवसीय दुग्ध केन्द्रों की संख्या	15
(ग) खुले दूध बिक्री केन्द्र	198
(घ) संस्थानों की संख्या	140
कुल	**1430**

4.9.6.3 दूध बूथों को छात्रों, पूर्वसैनिकों, सेवा निवृत्त सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों, अपंग व्यक्तियों, विधवाओं, बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना अस्पतालों, सरकारी कैंटीनों, होस्टलों तथा रक्षा यूनिटों आदि जैसे लगभग 140 संस्थानों को भी दूध की आपूर्ति करता है।

4.9.7 निष्पादन उपयोगिता

4.9.7.1 दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन लगभग 3.85 लाख लीटर दूध की बिक्री कर रहा है जिसमें मदर डेयरी के ग्राहकों के लिए पैकिंग शामिल है। डीएमएस के पास अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता का लाभ उठाने के लिए, मदर डेयरी, दिल्ली के लिए प्रतिदिन लगभग 70,000 लीटर दूध का पैकिंग किया जा रहा है।

4.9.7.2 डीएमएस की बिक्री और मदर डेयरी दूध के लिए डीएमएस द्वारा पारम्परिक पैकिंग से यह 3.85 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुँच गया है जिससे डीएमएस संयंत्र की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोगिता में वृद्धि के कारण, दूध के मूल्य में कमी आई है, जो निम्न प्रकार हैः-

वर्ष	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में)	दूध की बिक्री (लाख लीटर में)	परिवर्ती लागत	निर्धारित लागत	कुल लागत (प्रति लीटर)
2004-05	70.2	1212.68	14.63	2.64	17.27
2005-06	73.0	1276.39	14.35	2.23	16.58
2006-07	60.2	1000.69	15.84	2.26	18.1
2007-08	67.2	1219.27	17.80	2.33	20.70
2008-09	76.0	1371.72	18.10	2.60	20.70

4.9.7.4 डीएमएस घी और टेबल बटर का भी उत्पादन तथा बिक्री कर रहा है। 2004-05 से घी और टेबल बटर का उत्पादन तथा बिक्री की जानकारी नीचे दशाई गई हैः-

(आंकड़े मी0 टन में)

वर्ष	घी		टेबल बटर	
	उत्पादन	बिक्री।	उत्पादन	बिक्री।
2004-05	483.91	576.15	25.20	41.18
2005-06	658.88	593.95	38.85	33.84
2006-07	293.29	375.95	31.40	37.06
2007-08	651.78	505.17	46.45	38.75
2008-09	493.40	605.93	27.78	36.71

टिप्पणीः- * बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।

4.9.7.5 डीएमएस दिल्ली के नागरिकों को आपूर्ति करने के लिए योगर्ट (कुल्हड़ों में), फ्लेवर्ड मिल्क (पाउच में), पनीर (200 ग्राम/1कि0ग्रा0 पैक में) तथा छाँच (200 मि0ग्रा0 पाउच में) का भी उत्पादन तथा विपणन कर रहा है। 2004-05 से उत्पादन

दिल्ली दुग्ध योजना के समूचे शहर में 1430 बूथ और 443 पूर्ण दिवसीय दूध स्टाल तथा 198 खुले दूध वाले बिक्री केन्द्र हैं, दिल्ली दुग्ध योजना की मौजूदा बिक्री मदर डेयरी के लिए कस्टम पैकिंग सहित लगभग 3.85 लाख लीटर प्रतिदिन है।

किया गया फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, पनीर तथा छाछ की मात्रा नीचे दशाई गई है:-

(हजार संख्या में)

वर्ष	फ्लेवर्ड मिल्क (200मि0ली0 पाउच में)		योगर्ट (100 ग्राम कप एवं कुल्हड़ों में)	
	उत्पादन	बिक्री*	उत्पादन	बिक्री
2004-05	617	611	1389	1323
2005-06	517	514	1354	1344
2006-07	112**	115	695	688
2007-08	शून्य	114**	372	360
2008-09	शून्य	299	674	586

टिप्पणी:- * बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।
** जुलाई, 2007 से फ्लेवर्ड दूध का उत्पादन/बिक्री बंद कर दी गई है। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना ने 7.11.2007 से स्वच्छ फ्लेवर्ड दूध की आपूर्ति करना आरंभ कर दिया है।

वर्ष	पनीर (200ग्राम/1कि0 ग्रा0 पैक में) (मीट्रिक टन में)		छाँच (200 मि0ली0 पाउच/हजार संख्या में)	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री*
2004-05	59.72	59.58	151	147
2005-06	59.98	59.74	195	193
2006-07	33.68	33.61	109	109
2007-08	35.51	35.22	92	86
2008-09	38.18	37.84	129	124

टिप्पणी:- * बिक्री में पिछले वर्ष का स्टॉक भी शामिल है।

4.9.8 वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

4.9.8.1 2007-2008 तथा 2008-2009 की दुग्ध अधिप्राप्ति, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों (घी और मक्खन) का उत्पादन/बिक्री से संबंधित लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं:-

क्र. सं.	योजना के प्रमुख घटक	2007-08		2008-09	
		लक्ष्य *	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (नवम्बर, 07 तक)
1.	दुग्ध की अधिप्राप्ति (लाख किलोग्राम)	1200.00	872.77	912.50	1100.38
2.	दूध की बिक्री(लाख लीटर में)	1332.25	1219.27	1478.25	1371.72
3.	उत्पादन	725 #			
	(i) घी(मी.टन)		651.78	650.00	493.40
	(ii) टेबल बटर(मी.टन)		46.45	35.00	27.78

घी और टेबल बटर सहित।

4.9.9 वित्तीय परिव्यय

कच्चे दूध,एस एम पी, बटर ऑयल, सफेद बटर आदि जैसे आदानों पर व्यय सहित सभी लेखों पर व्यय तथा पूंजीगत मदों को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के वार्षिक बजट आबंटन के माध्यम से भारत सरकार के संचित निधि से पूरा किया जाता है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के बिक्री की रकम को सरकारी राजस्व के खाते में डाला जाता है। बजट प्राक्क्लन तथा संशोधित प्राक्कलन में वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009 के लिए प्रदत्त तथा 2009-10 के लिए आबंटित निधियां नीचे दर्शाई गई हैं:

(रुपए करोड़ में)

शीर्ष/योजना	2007-2008		2008-09			2009-10
	संशोधित प्राक्क-लन	व्यय	बजट प्राक्क-लन	संशोधित प्राक्क-लन	व्यय	बजट प्राक्कलन
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-योजना	243.54	232.89	319.27	288.00	282.84	393.37
II. योजना (i) उपकरणें की खरीद/बूथों के निर्माण के लिए	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50
(ii) सीपीडब्लयू के माध्यम से सिविल तथा इलैक्ट्रिक निर्माण कार्य का निष्पादन	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50
कुल (2)	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**0.98**	**1.0**

4.9.10 उत्पादन लागत और हानि

4.9.10.1 हानि के मुख्य कारण हैं:

(1) कच्ची सामग्री, लाइट, डीजल ऑयल, पानी, पॉलिथिन फिल्म, बिजली तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं के लागत मूल्य में निरन्तर वृद्धि।

(2) 2000-01 से 2004-05 के दौरान संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग।

(3) संयंत्र और मशीनरी के प्रमुख हिस्सों का कोई उन्नयन नहीं हुआ।

4.9.11डीएमएस के कार्यकरण/कुशलता में सुधार

4.9.11.1 **गुणवत्ता नियंत्रण उपाय:** गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को सख्त किया गया है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों में मिश्रित न्यूट्रलायजरों अथवा सक्षारीय बेकार पदार्थों का शीघ्र जायजा/पहचान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के संस्थापित उपकरण

में एक सोडियम मीटर तत्काल लगा दिया गया है। दूध में संदूषक तथा गंदगी का पता लगाने के लिए एक गैस तरल क्रॉमेटो ग्राम 2 मिल्को स्कैन-133 बी और इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टिंग सेंट्रीफिंग्स भी स्थापित किए गए है।

4.9.12 दुग्ध विपणन

- रूके हुए क्षमता का उपयोग करने के लिए मदर डेयरी के लिए 70,000 लीटर दूध का पारम्परिक पैकिंग।
- डीएमएस दूध के बूथों का आधुनिकीकरण।
- दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को लाने-ले-जाने के लिए बाहरी स्रोत से वाहनों की व्यवस्था करना।
- दूध की बिक्री के संवर्धन के लिए वितरकों/ डीलरों को नियुक्त करना।
- बाजार के मांग के अनुसार नियमित एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- डीएमएस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

4.9.13 कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

4.9.13.1 दिल्ली दुग्ध योजना का संयंत्र 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्कृत/पैक करने की क्षमता वाला है। 1.3.2000 से दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत में हुई वृद्धि के कारण दूध की बिक्री 4.5 लाख लीटर प्रतिदिन से घटकर लगभग 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन रह गई है। दूध की बिक्री ने अप्रैल, 2003 से गति पकड़ना शुरू किया और 2005-06 तक 3.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन (औसत) जा पहुंचा। वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों में बारिस, बाढ़ और सूखा के कारण डी एम एस पर्याप्त दूध नहीं खरीद सका। अतः यह अपनी क्षमता के केवल 60.2% का ही उपयोग कर सका जिसमें मदर डेयरी के ग्राहकों के लिए की गई पैकिंग शामिल है।

4.9.13.2 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से डीएमएस की वर्तमान बिक्री लगभग 3.15 लाख लीटर दूध प्रतिदिन है। डीएमएस की संयंत्र क्षमता के उपयोग को बढ़ाते हुए, डीएमएस की बिक्री तथा मदर डेयरी के ग्राहकों के लिए की गई पैकिंग को मिलाकर कुल 3.85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन तक जा पहुंचा है।

4.9.14 हानि कम करने के लिए किए गए उपाय

4.9.14.1 सरकार संपूर्ण कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विपणन, यातायात तथा संयंत्र प्रचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर दृष्टिकोण अपना रही है।

4.9.14.2 लागत कम करने के लिए पुराने संयंत्रों, मशीनरी तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण आरंभ किया जा रहा है।

4.9.14.3 डीएमएस के विभिन्न कार्यकौशल मानकों जैसे दूध की प्रतिदिन औसत बिक्री, बिजली की प्रति यूनिट की हैंडलिंग तथा तरल दूध की बर्बादी का प्रतिशत की माहवार मानीटरिंग।

4.9.15 डीएमएस के स्टाफ की संख्या में कमी

4.9.15.1 सरकारी मशीनरी में कमी करने तथा प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, डीएमएस द्वारा स्टाफ की संख्या को कम करने का निर्णय लिया गया हैः-

श्रेणी	31.03.2003 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	31.3.2006 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	1.03.2009 तक स्वीकृत स्टाफ की संख्या	30.03.2009 तक वास्तविक संख्या
"क"	25	25	25	18
"ख"	46	47	47	24
"ग"	853	674	632	401
"घ"	1222	1021	909	735
कुल	2146	1767	1613	1178

4.9.16 दूध की वापसी एवं वसा और एसएनएफ हानि में कमी

4.9.16.1 डीएमएस को वापिस आने वाली दूध को पुनः प्रसंस्करण के कारण, दिल्ली दुग्ध योजना को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था और संगठन को आवर्ती हानि होती थी। अब कई उपाए किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप, वापस आने वाली दूध की मात्रा घटकर उन्नयन/स्वचालन के बिना न्यूनतम स्तर पर आ गई है।

4.9.16.2 वसा और एसएनएफ हानियों में भी कमी आई है जो इस प्रकार हैः-

वर्ष	वसा में हानि (%)	एसएनएफ हानि (%)
2004-05	2.42	1.68
2005-06	2.78	2.23
2006-07	2.15	1.49
2007-08	1.66	0.88
2008-09	1.77	1.29

4.9.17 दूध की ढुलाई के लिए परिवहन की बाहर से व्यवस्था करना

4.9.13.4.1 परिवहन की बाहर से व्यवस्था चरणों में की जा रही है। 1.10.2007 तक 58 मार्गों पर बाहर से व्यवस्था की गई जिसमें सुबह के 42 मार्ग और शाम के 16 मार्ग शामिल हैं। दिल्ली दुग्ध योजना के परिवहन बेड़े से वाहनों को हटाने से श्रमिकों और कैश कलेक्शन कार्यों के साथ और इंसुलेटिड वाहनों को दिल्ली दुग्ध योजना की आवश्यकता के अनुसार लगाई जाएगी।

4.9.18 दिल्ली दुग्ध योजना के प्लांट का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

4.9.18.1 दिल्ली दुग्ध योजना का प्लांट जिसे शुरूआत में स्थापित किया गया था बहुत पुराना हो चुका है और अत्यधिक बिजली की खपत हो रही है और इस प्रकार संगठन की हानि में वृद्धि हो रही है। प्लांट की स्थापित वर्तमान क्षमता प्रतिदिन 5.00 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करना है। दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन लगभग 4.0 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण कर रहा है। चूंकि यह प्लांट पुराना है, यह अपने अधिकतम क्षमता तक कार्य कर रहा है और इस प्रकार इसकी स्थापित क्षमता तक [illegible] का प्रसंस्करण उन्नयन/स्वचालन के बिना संभव [illegible] पायगा।

4.9.18.2 दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान क्षमता उपयोगिता 80% से अधिक है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाते हुए इसकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे है जिससे हानि में कमी हो।

4.9.19 दिल्ली दुग्ध योजना का निगमीकरण

4.9.19.1 दिल्ली दुग्ध याजना की गतिविधियां पूर्णतया वाणिज्यिक प्रकृति की है और इसलिए इसे वाणिज्यिक तर्ज पर चलाने तथा इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली दुग्ध योजना को स्वायत्त बनाने के लिए इसके निगमीकरण के लिए विभाग के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'सैद्धान्तिक रूप' से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट/ए ओए/एम ओ ए आदि को तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन के तीन प्रयासों के बावजूद, अब तक किसी भी एजेंसी का पता लगाना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि प्राप्त प्रस्तावों में से कोई भी जी एफ आर के अनुरूप नहीं पाए गए। अब एनडीडीबी इस विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिससे नियम जी एफ आर के 176 के अनुसार सीधी बातचीत/समझौता द्वारा इस कार्य को करने का अनुरोध किया गया है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग केन्द्रीय मंत्रिमंडल से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के निगमीकरण पर एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करेगा।

अध्याय- 5

मात्स्यिकी

मात्स्यिकी

5

> भारत विश्व में मत्स्य उत्पादन में तीसरे नम्बर पर है और विश्व में ताजा जल मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2007-08 के दौरान अनुमानित मत्स्य उत्पादन 71.20 लाख टन है।

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 मात्स्यिकी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और यह देश में लगभग 14.49 मिलियन लोगों को जीविका प्रदान कर रहा है। इसे एक सशक्त आय और रोजगार सृजनकर्त्ता के रूप में पहचाना गया है क्योंकि यह अनेक सहायक उद्योगों के विकास को गति देता है और विदेशी मुद्रा अर्जक के अलावा यह सस्ते और पोषक खाद्यान्न का भी स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का जीविका का स्रोत है। देश में मात्स्यिकी विकास जिन प्रमुख चुनौतियां का सामना कर रहा है उनमें शामिल हैं:- फिन और शैल मत्स्य पालन के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास, उत्पादन को अनुकूलतम बनाना, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों के लिए बुनियादी सुविधाएं तथा मात्स्यिकी यानों के लिए लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं।

5.2 बलित क्षेत्र

5.2.1 मात्स्यिकी राज्य का विषय है और इस प्रकार इसके विकास की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मात्स्यिकी विकास में प्रमुख जोर उत्पादन और उत्पादकता को अनुकूलतम बनाने, समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और मछुआरों के कल्याण और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने पर रहा है।

5.3 चल रही योजनाएं

(1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास

(2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

(3) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

(4) मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

(5) मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता

5.4 अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास

5.4.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। चल रही इस योजना में ताजा जल, खारा जल, शीत जल, जल भराव क्षेत्रों, जलकृषि के लिए लवणीय/क्षारीय भूमि तथा कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों (जलाशय/नदियां आदि) के रूप में देश में सभी अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों को शामिल किया गया है। इस योजना को छः घटकों के साथ क्रियान्वित किया गया है। ये घटक हैं: ताजा जल जलकृषि का विकास, खारा जल जलकृषि का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में शीत जल मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास, जलभराव क्षेत्रों का जलकृषि संपदा के रूप में विकास, जलकृषि और अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (जलाशय/नदियां आदि) के लिए अंतर्देशीय लवणीय/क्षारीय भूमि का उपयोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन के लिए 2008-09 में एक नवीन परियोजना नामक एक नया घटक (सातवीं घटक) शामिल किया गया है। ताजा जल जलकृषि का विकास और खारा जल जलकृषि का विकास नामक दो घटकों को संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में एक ही एजेंसी अर्थात् मत्स्य कृषि विकास एजेंसी(एफ एफ डी ए) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। देश में कुल 429 एफ एफ डी ए स्थापित किए गए हैं। पहले दो घटकों के बारे में संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है:-

5.4.2 ताजा जल जलकृषि का विकास

5.4.2.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मत्स्यपालन को लोकप्रिय बनाया जाए, रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं और जलकृषि प्रणालियों को विविधता प्रदान की जाए तथा मत्स्य किसानों को सहायता दी जाए ताकि ऐसे प्रशिक्षित और सुसंगठित मत्स्य किसानों का एक कैडर तैयार किया जा सके जो पूरी तरह से जलकृषि के काम में लगा हो।

5.4.2.2 अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से नए तालाबों के निर्माण, तालाबों और टैंकों के पुनरुद्धार/नवीकरण, पहले वर्ष के आदानों (मत्स्य बीज, उर्वरक, खाद आदि), एकीकृत मत्स्यपालन, बहते पानी में मत्स्यपालन, मत्स्य बीज हैचरियों और मत्स्य आहार मिलों की स्थापना आदि के लिए मत्स्य किसानों को राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मत्स्य उत्पादकता में और वृद्धि करने के लिए एरेटरों की खरीद के लिए प्रगतिशील मत्स्य किसानों को सहायता भी दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मत्स्य किसानों को ऊपरउल्लिखित गतिविधियों के लिए उच्च दर पर राजसहायता प्रदान की जाती है। ताजा जल प्रॉन बीज हैचरी, प्रयोगशाला, भूमि और जल परीक्षण किटों, सजावटी मछली के लिए एकीकृत यूनिटों और पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों की ढुलाई के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। विकासीय गतिविधियों पर व्यय भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है।

सभी राज्यों और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश में संभावित जिलों को कवर करते हुए 429 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफ.एफ.डी.ए.) के एक नेटवर्क को स्वीकृत दी गई थी। 2008-09 तक एफ. एफ.डी.ए. के जरिए वैज्ञानिक मत्स्य पालन के अंतर्गत लगभग 8.93 लाख हैक्टेयर जल क्षेत्र को लाया गया है। 9.56 लाख मत्स्य कृषकों/मछुआरों को बेहतर प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया है और 2008-09 तक 13.30 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

5.4.2.3 2007-08 के दौरान 26,413 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को मत्स्यपालन के तहत लाया गया था और 37,074 मछुआरों को उन्नत प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया था। इस योजना से लगभग 41,406 लोग लाभान्वित हुए हैं। मत्स्यपालन की उन्नत प्रौद्योगिकी के शुरू होने और एफ एफ डी ए के प्रयासों के कारण इस कार्यक्रम के तहत कवर किए गए तालाबों और टैंकों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता 2500 किलोग्राम/हैक्टेयर/प्रतिवर्ष के स्तर पर पहुंच गइ है। इस योजना के शुरू होने से 2007-08 तक लगभग 7.47 लाख हैक्टेयर जल क्षेत्र को मत्स्यपालन के तहत लाया गया है और 9.00 लाख मछुआरों को मत्स्यपालन की उन्नत प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया है तथा इस कार्यक्रम के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या लगभग 12.79 लाख है।

5.4.3 खारा जल जलकृषि का विकास

5.4.3.1 लघु क्षेत्र में झींगा किसानों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी तटवर्ती राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 39 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं। 2007-08 के दौरान लगभग 2338 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को झींगा पालन के तहत लाया गया था और 4888 मछुआरों को उन्नत प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया था।

5.4.3.2 योजना के शुरू होने से 2007-08 तक लगभग 30,889 हैक्टेयर जल क्षेत्र को झींगा पालन के तहत लाया गया है और 31,624 झींगा किसानों को झींगा पालन की उन्नत प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया है तथा इस कार्यक्रम के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या लगभग 25,664 है।

5.4.4 2007-08 और 2008-09 के दौरान योजना की प्रगति

5.4.4.1 वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 12.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान मत्स्यपालन के तहत 40,000

हैक्टेयर जल क्षेत्र को शामिल करने और 27,000 मत्स्य किसानों के प्रशिक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 13.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.5 समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

5.5.1 समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रम

5.5.1.1 विभाग पारंपरिक यानों के मोटरीकरण, ईंधन पर उत्पाद शुल्क पर राजसहायता देकर लघु यांत्रिकृत क्षेत्र को सहायता देने, सुरक्षित लैंडिंग, बर्थिंग और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना जैसी अनेक केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समुद्री क्षेत्र के विकास और उसके द्वारा पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के वास्ते वित्तीय सहायता देता रहा।

5.5.1.2 शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के आधार पर चल रही योजनाओं को 10वीं पंचवर्षीय योजना से आवश्यक संशोधनों के साथ एक व्यापक योजना यानि 'समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना' के तहत लाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की स्कीम के तीन प्रमुख घटक हैं अर्थात् (1) समुद्री मात्स्यिकी का विकास, (2) बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा (3) नवीन गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए प्रावधान।

5.5.2 योजना का घटकवार ब्यौरा

5.5.2.1 समुद्री मात्स्यिकी का विकास

5.5.2.1.1 पारंपरिक यानों का मोटरीकरण: उत्पादन उन्मुखी योजना अर्थात् पारंपरिक यानों का मोटरीकरण योजना को सातवीं योजना के दौरान शुरू किया गया था जिसके उद्देश्य हैं:- (1) पारंपरिक मात्स्यिकी क्षेत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन, (2) मछुआरों की शारीरिक थकावट को कम करने में उनकी मदद करना और (3) मुख्य रूप से पकड़ी गई मछलियों की मात्रा को बढ़ाने, आय बढ़ाने और उसके द्वारा उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उनके मत्स्य संचालनों की परिधि का विस्तार करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना के शुरू होने से अब तक लगभग 45,000 पारंपरिक यानों का मोटरीकरण किया गया है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संशोधन के साथ जारी है कि राजसहायता का लाभ 8-10 एच पी की आउटबोर्ड मोटर और इनबोर्ड मोटर दोनों को दिया जाएगा। इस घटक के तहत अधिकतम 30,000 रुपए/ओ बी एम/आई बी एम की सीमा के अधीन 50% यूनिट लागत राजसहायता के रूप में दी जाती है जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से वहन किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार समूची यूनिट लागत राजसहायता की पूर्ति करती है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्रमशः 66.10 लाख रुपए और 176.30 लाख रुए की राशि जारी की गई है।

5.5.2.1.2 समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा: समुद्री मात्स्यिकी के खतरनाक स्वरूप के कारण प्रायः जानमाल और मछली पकड़ने की नौकाओं की हानि होती है और साथ ही चोट लगने और स्थायी रूप से अपंगता का खतरा भी बना रहता है। हाल ही के अध्ययनों से यह पता चला है कि आपदाएं अधिकांशतः यानों में पर्याप्त उपकरण न होने और बोर्ड पर पूर्व चेतावनी प्रणाली की अनुपलब्धता

के कारण होती हैं। इस घटक का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में सुधार करना है जिससे समुद्र में मानव जानमाल की हानि को कम किया जा सके। इस घटक के तहत जी पी एस, संचार उपकरण, इको साउंडर तथा खोज और बचाव बीकॉन की किट की यूनिट लागत का 75% तक राजसहायता दी जाती है। इन सभी उपकरणों की कुल लागत मिलाकर लगभग 1.50 लाख रुपए आती है और इसका 75% राजसहायता के रूप में दिया जाता है। इस घटक का क्रियान्वयन राज्य मात्स्यिकी फेडरेशनों/निगमों तथा पंचायतीराज संस्थानों के माध्यम से किया जाता है।

5.5.2.1.3 एच एस डी ऑयल पर मछुआरा विकास राहतः बीस मीटर से कम लंबाई वाले मात्स्यिकी यानों द्वारा प्रयुक्त एच एस डी ऑयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना को 1990-91 के बाद शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य इन यानों की संचालनात्मक लागत को कम करने के लिए छोटे यांत्रिकृत मछली स्वामियों/ऑपरेटरों की सहायता करना और उसके द्वारा उन्हें मात्स्यिकी दिवसों को बढ़ाने, मछली पकड़ने तथा आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। 11वीं योजना के लिए पुनःसंरचित योजना के तहत सक्रिय मात्स्यिकी महीनों के दौरान 500 लीटर प्रति नौका प्रतिमाह की सीमा के साथ एच एस डी ऑयल की 3 रुपए/लीटर की सीमा के साथ केन्द्रीय राजसहायता पर मात्स्यिकी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त एच एस डी ऑयल पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा बिक्री कर की 50% राहत के समतुल्य केन्द्रीय राहत प्रदान की जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से पहले पंजीकृत 20 मीटर से कम आकार के यानों को राजसहायता प्रदान की जाती है जिनका स्वामित्व गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के मछुआरे होते हैं। इस घटक के तहत वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को क्रमशः 1764.25 लाख रुपए और 1500 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.5.2.1.4 उन्नत डिजाइन के माध्यमिक यानों को शुरू करनाः संभावित समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के अनुमानित 3.9 मिलियन टन में से लगभग 3.00 मिलियन टन क्षमता का दोहन कर लिया गया है। शेष 1 मिलियन टन क्षमता मुख्यतः गहरे समुद्र में मौजूद है और वह देश के छोटी मात्स्यिकी नौकाओं की मात्स्यिकी क्षमता से बाहर है। देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की मछली पकड़ने योग्य की क्षमता का विवेकपूर्ण दोहन करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त रूप से डिजाइन की हुई नौकाओं की आवश्यकता होगी। तद्नुसार, उपयुक्त डिजाइन हासिल करने और नई पीढ़ी के इस यान को लेने के लिए मछुआरा समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए इस घटक को शामिल किया गया था। लगभग 18 मीटर की लंबाई वाले संसाधन विशिष्ट मात्स्यिकी यानों की बहुदिवसीय माध्यमिक श्रेणी संबंधी इस घटक को 60.00 लाख रुपए की यूनिट लागत के साथ क्रियान्वित किया जाना है जिस पर लागत के 10% के समतुल्य, जो 6.00 लाख रुपए तक सीमित रहेगी, राजसहायता प्रदान की जाएगी। इस घटक को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। नए माध्यमिक वैसल डिजाइनों का प्रोटोटाइप अध्ययन केन्द्रीय मात्स्यिकी नौ-चालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जाता है।

5.5.2.1.5 यान निगरानी प्रणाली के संचालन की स्थापनाः अनन्य आर्थिक क्षेत्र(ई ई जेड) में मात्स्यिकी यानों की निगरानी, नियंत्रण और निगरानी के लिए यान निगरानी प्रणाली (वी एम एस) को सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन के रूप में माना गया है। अतः इस घटक को 11वीं योजना के दौरान भी जारी रखा गया है ताकि ई ई जैड में मात्स्यिकी यानों के संचालन को विनियमित करने के लिए वी एम एस को स्थापित और संचालित किया जा सके। इस प्रणाली की समूची लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। एंट्रिक्स कार्पोरेशन बंगलौर ने वी एम एस के लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया है और भारतीय तटरक्षक बल, पौरबंदर, गुजरात के परिसर में पेडेस्टल रिफलेक्टर आदि सहित एक 6.3 मीटर एंटिना प्रणाली स्थापित की है। नियंत्रण स्टेशन से संबंधित सिविल कार्य पूरा हो गया है और विभाग ने मोबाईल उपग्रह सेवा के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग से आवेदन किया है।

5.5.2.1.6 ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल मात्स्यिकी प्रणालियां संवर्धित करनाः यह एक नया घटक है जिसे 11वीं योजना के दौरान शुरू किया गया था। मछुआरे अपने ईंजनों को चलाने के लिए केरोसीन, डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ईंधन न केवल वायु को

प्रदूषित करते हैं बल्कि धीरे-धीरे समुद्री पर्यावरण को भी बिगाड़ते हैं। इसके अलावा, इन पारंपरिक ईंधनों की बढ़ रही कीमतों की वजह से मात्स्यिकी उद्यम तेजी से खर्चीला होता जा रहा है। पी डी एस के माध्यम से केरोसीन की कमी में कुछ राज्यों में मछुआरों पर पहले ही बोझ डाल दिया है। इससे निपटने के लिए आउटबोर्ड मोटरों पर इस्तेमाल के लिए एल पी जी किट सतत अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से हाल ही की एक घटना है। एक पायलट अध्ययन से प्राप्त परिणामों से सकारात्मक बातों का पता चलता है जैसे कि ईंजनों का कम खराब होना, संचालनों के कम लागत और उत्सर्जन में सतत कमी। अतः पर्यावरणीय रूप से अनुकूल मात्स्यिकी के लिए आउटबोर्ड मोटरों में एल पी जी किट के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता है। इस घटक के तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपए की सीमा के साथ एल पी जी किट की 30% लागत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक को राज्य मात्स्यिकी फैडरेशनों/निगमों तथा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5.5.2.1.7 समुद्री मात्स्यिकी का प्रबंधनः क्षमता से अधिक और अत्यधिक मत्स्यन दो ऐसे अभिज्ञात कारक हैं जो समुद्री कैप्चर मात्स्यिकी के संसाधनों में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। विश्व के महासागरों के कई भागों में उनके प्रमुख वाणिज्यिक स्टॉक या तो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं या खतरनाक रूप से खत्म होने की ओर अग्रसर हैं। असतत मात्स्यिकी प्रणालियों, समुद्री वास को क्षति तथा अवैध, अल्प विनियमित और रिपोर्ट न की गई मात्स्यिकी अन्य ऐसी प्रमुख गतिविधियां हैं जो स्टॉक के स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रही हैं। मत्स्य उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने और विभिन्न विकासीय रणनीतियों के माध्यम से अधिकतम निर्यात करने की गतिविधियां स्वतंत्रता के बाद से हमारे मात्स्यिकी नियोजन का केन्द्र बिन्दु रहे थे। चूंकि प्रादेशिक जल में मत्स्य संसाधनों का दोहन या तो अनुकूलतम स्तर पर पहुंच गया या कुछ मामलों में वह उससे भी अधिक हो गया, अतः इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त साधन और तकनीकों के विकास के साथ हमारी समुद्री मात्स्यिकी के वैज्ञानिक प्रबंधन की ओर ध्यान बदलना पड़ा। इस नए घटक का उद्देश्य समुद्री मात्स्यिकी का वैज्ञानिक आधार प्रबंधन शुरू करना है। इस घटक के तहत शुरू की गई गतिविधियों में शामिल हैं (1) जागरूकता कार्यक्रम चलाना, (2) उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता क्रियान्वित करना, (3) क्षमता मूल्यांकन, (4) सतत मात्स्यिकी पर समुदाय पहुंच कार्यक्रम चलाना और (5) अत्यधिक मात्स्यिकी/अत्यधिक क्षमता संबंधी श्रव्य दृश्य तैयार करना। भारत सरकार इन गतिविधियों को चलाने के लिए 100% वित्तीय सहायता देती है। इस घटक को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, पंचायती राज संस्थानों, केन्द्रीय मात्स्यिकी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और मछुआरा संगठनों/सोसाइटियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5.5.2.2 बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

5.5.2.2.1 मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना

5.5.2.2.1.1 मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो समुद्री मत्स्य उत्पादन और इसके निर्यात को बढ़ाने में योगदान देता है। मात्स्यिकी क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक मात्स्यिकी यानों, यांत्रिकृत मात्स्यिकी जलयानों और गहरे समुद्र में मात्स्यिकी जलयानों की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1964 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सृजित सुविधाएं हैंः मात्स्यिकी बंदरगाह और मछली उतारने के केन्द्र जिनमें खारा जल, वार्फ, जैटी, ड्रेजिंग, पुनरूद्धार, क्वे, नीलामी हॉल, स्लिपवे, वर्कशॉप, जाल बुनने के शेड और अन्य सहायक सुविधाएं शामिल हैं।

5.5.2.2.1.2 योजना के शुरू होने के बाद से विभिन्न तटवर्ती राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन के लिए 7 बड़े मात्स्यिकी बंदरगाहों, 61 छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और 190 मछली उतारने के केन्द्रों को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया है। इसके अलावा, 12 छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और 11 मछली उतारने के केन्द्रों को मरम्मत करने और उनका पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण करने के लिए हाथ में लिया गया है।

5.5.2.2.1.3 दसवीं पंचवर्षीय योजना से इस योजना को 'मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना' संबंधी घटक के रूप में समुद्री मात्स्यिकी,

'समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाएं तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास' योजना के शुरू होने के बाद से मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना के लिए विभिन्न तटवर्ती राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन के लिए 7 बड़े मात्स्यिकी बंदरगाहों, 61 छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और 190 मछली उतारने के केन्द्रों को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया है। इसके अलावा, 12 छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और 11 मछली उतारने के केन्द्रों को मरम्मत करने और उनका पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण करने के लिए हाथ में लिया गया है।

बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के साथ मिला दिया गया है। इस घटक के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदान की जाती है जिसमें शामिल हैं (1) तटवर्ती राज्यों, पोर्ट ट्रस्ट, मछुआरा सहकारी समितियों/संगठनों/एसोसिएशनों को 75% और (क) छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण और (ख) मौजूदा छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के उन्नयन/विस्तार/मरम्मत/ पुनरूद्धार के लिए संघ शासित प्रदेशों को 100%, (2) मौजूदा बड़े बंदरगाहों के विस्तार/आधुनिकीकरण सहित बड़े मात्स्यिकी बंदरगाहों के निर्माण के लिए तटवर्ती राज्यों, पोर्ट ट्रस्ट, मछुआरा सहकारी समितियों/संगठनों/एसोसिएशनों को 100% सहायता और (3) बनाओ, चलाओ और अंतरण करो (बी ओ टी) के आधार पर बड़े/छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए छोटे उद्यमियों को 50% सहायता।

5.5.2.2.1.4 वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने की सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न लाभार्थी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को क्रमशः 2054.25 लाख और 2828.70 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

5.5.2.2.2 पोस्ट हार्वेस्ट बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

5.5.2.2.2.1 आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्रियान्वित केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत एक घटक के रूप में पुनः शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य मत्स्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजी मछली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सुविधाएं सृजित करना था। इस योजना के तहत राज्य मात्स्यिकी सहकारिताएं, सहकारी फैडरेशन और प्राथमिक सहकारिताओं की आदर्श विपणन प्रणाली के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को न्यूनतम करने के लिए उनकी विपणन संबंधी बुनियादी सुविधाओ को सुदृढ़ करने में सहायता की जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को पुनः शुरू करने के बाद से देश में 13 शीत संयंत्र/कोल्ड स्टोरेज, 45 मत्स्य रिटेल आउटलेट/क्योस्क/31 इंसुलेटिड/रेफ्रिजरेटेड वाहन स्थापित किए गए थे।

5.5.2.2.2.2 चल रही योजना अवधि के तहत घटक में तीन उपघटक शामिल हैं अर्थात् (1) मत्स्य संरक्षण और भंडारण बुनियादी सुविधाओं का विकास, (2) रिटेल मत्स्य विपणन बुनियादी सुविधाओ का विकास, (3) मत्स्य ढुलाई बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता और (4) मेट्रो और बड़े शहरों में केन्द्रीय मत्स्य बाजारों का विकास। इस कार्यक्रम को सरकारी उपक्रमों, निगमों, फेडरेशनों, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, स्वसहायता महिला समूहों, अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वसहायता समूहों, मछुआरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली निजी कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5.5.2.2.2.3 वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान विभिन्न लाभार्थियों को क्रमशः 179.123 लाख रुपए और 186.22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

5.5.2.2.3 मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की ड्रेजिंग के रखरखाव के लिए सहायता

5.5.2.2.3.1 देश के तट पर चल रहे विभिन्न श्रेणी के मात्स्यिकी यानों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और

बर्थिंग सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समुद्री राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मात्स्यिकी बंदरगाह और मछली उतारने के केन्द्रों की सुविधाओं का विकास किया गया है। प्रत्येक मात्स्यिकी बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्र प्राकृतिक घटना के कारण गाद के अधीन हैं। बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्र को सुरक्षित नौचालन के लिए ठीक रखने के लिए ड्रेजिंग का आवधिक रखरखाव अनिवार्य है।

5.5.2.2.3.2 मौजूदा मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों द्वारा सामना की जा रही गाद की समस्या को महसूस करते हुए 1248.00 मिलियन जापानी येन की सहायता से जापानी अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत एक ट्रेलिंग सक्शन होपर ड्रेजर 'टी एस डी सिंधुराज' को खरीदा गया है। गदले पानी में ड्रेजिंग के लिए ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज सबसे उपयुक्त है। 2.00 से 2.50 मीटर ड्रनवीाफ्ट वाले ड्रेजर और 200 घन मीटर होपर क्षमता वाले ड्रेजर वर्ष में लगभग 2.00 लाख घन मीटर गाद निकाल सकते हैं।

5.5.2.2.3.3 ड्रेजर का संचालन और रखरखाव पोर्ट विभाग, केरल सरकार के माध्यम से किया गया है जिसके लिए रखरखाव की लागत और बीमा आदि का खर्च योजना के तहत केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, मौजूदा मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की ड्रेजिंग/गाद हटाने के लिए विभिन्न क्रियान्वयन एजेसियों को मौजूदा मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों पर ड्रेजिंग/गाद हटाने की 50% लागत तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में ड्रेजिंग के रखरखाव की 100% लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

5.5.2.3 नवीन गतिविधियां चलाने के लिए प्रावधान

5.5.2.3.1 यह एक नया धटक है, जिसे 11वी योजनावधि के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत शुरू किया गया था। इस घटक के तहत समुद्री मात्स्यिकी/बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन विकास में नवीन गतिविधियां चलाने, मात्स्यिकी प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन, मात्स्यिकी में अनुसंधान और विकास अध्ययनों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.5.2.4 गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास

5.5.2.2.1 भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले जलयानों को अनुमति देने के लिए नवम्बर, 2002 के दौरान विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर भारतीय कंपनियों को संसाधन विशिष्ट जलयानों के संचालन और आयात अनुज्ञप्ति पत्र (एलओपी) जारी किए जाते है। वर्ष 2008-09 के अंत तक 18 भारतीय कंपनियों/फर्मों से संबंधित 74 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के पास वैध एलओपी है और वे क्षेत्रीय जलक्षेत्र से आगे भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए प्राधिकृत है।

5.5.3 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान योजना की प्रगति

5.5.3.1 समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास संबंधी योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसियों को 2007-08 के दौरान 41.49 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और 2008-09 के दौरान 49.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.6 राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम योजना, मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार

5.6.1 इस योजना के निम्नलिखित चार घटक हैः

(क) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

(ख) सक्रिय मछुआरों के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा

(ग) बचत-सह-राहत

(घ) प्रशिक्षण और विस्तार

5.6.1.1 इन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(i) **आदर्श मछुआरा गांवों का विकासः** इस घटक का उद्देश्य मछुआरों को आवास, पेयजल और सामुदायिक हॉल के निर्माण जैसे बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। एक मछुआरा गांव में 10 घरों से कम नहीं होंगे। गांवों को एक ट्यूबवेल दिया जाएगा और प्रत्येक 20 घरों के लिए एक ट्यूबवेल होगा। मनोरंजन और सामान्य कार्यस्थल के लिए कम से कम 75 घरों वाला मछुआरा गांव सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। इस योजना के तहत एक घर के लिए 50,000 रुपए, ट्यूबवेल के लिए 30,000 रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र केह लिए 35,000 रुपए) और सामुदायिक हॉल के लिए 1,75,000 रुपए की यूनिट लागत है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में समूचा खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। सरकार ने मछुआरा घरों की यूनिट लागत 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है।

(ii) **सक्रिय मछुआरों के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमाः** इस घटक का उद्देश्य मात्स्यिकी में सक्रिय रूप से कार्यरत मछुआरों को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सक्रिय मछुआरों का दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता के लिए एक वर्ष के लिए 1,00,000/- रुपए और स्थायी रूप से आंशिक अपंगता के लिए 50,000/- रुपए का बीमा किया जाता है। बीमा प्रीमियम की ऊपरी सीमा 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। 50% वार्षिक प्रीमियम को केन्द्र द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राजसहायता दी जाती है और शेष 50% को राज्य सरकार द्वारा। संघ शासित प्रदेशों के मामले में 100% प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जो राज्य/संघ शासित प्रदेश फिशकॉपफेड के माध्यम से भाग ले रहे हैं उन सभी के मामले में एकल नीति अपनाई जाती है। सरकार ने बीमे की राशि को बढ़ाकर दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता के लिए 1,00,000/- रुपए तथा स्थायी रूप से आंशिक अपंगता के लिए 50,000/- करने का फैसला किया है। तद्नुसार, बीमा प्रीमियम की ऊपरी सीमा बढ़कर 30/- रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है जिसे केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा।

(iii) बचत-सह-राहतः इस घटक का उद्देश्य कमी के मौसम के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत लाभार्थी को अधिकता वाले महीनों के दौरान अपनी कमाई का एक भाग देना होता है। समुद्री मछुआरों का मासिक योगदान आठ महीनों के लिए 75/- रुपए है जबकि अंतर्देशीय मछुआरों का योगदान नौ महीनों के लिए 50/- रुपए है। समान योगदान के साथ समतुल्य राशि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और इस प्रकार जमा राशि को समुद्री/अंतर्देशीय मछुआरों को 300/- रुपए प्रतिमाह की दर से चार/तीन समान किश्तों में वापस वितरित की जाती है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में समूची समतुल्य भागीदारी केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस घटक को समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों दोनों के लिए समान रूप से क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है। मात्स्यिकी अवधि के नौ महीनों में 600/- रुपए का योगदान मछुआरे द्वारा किया जाएगा और 1200/- रुपए का योगदान केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर किया जा-

एगा। मछुआरों को कमी वाले मौसम के तीन महीनों के लिए 600/- रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 1800/- रुपए वितरित किए जाएंगे।

(iv) प्रशिक्षण और विस्तारः इस घटक के मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है ताकि मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से चलाने में उनकी मदद की जा सके। यह योजना मछुआरों को उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता देती है। प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण/जागरुकता केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए भी सहायता दी जाती है। वर्ष 1999-2000 से इस योजना को राज्यों के मामले में 80% केन्द्रीय सहायता और संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य संगठनों के मामलों में 100% केन्द्रीय सहायता के साथ चलाया गया है। योजना के अन्य घटक पर्याप्त विस्तार सामग्री उपलब्ध कराने, प्रौद्योगिकियों पर वीडियो फिल्म बनाने और उनके प्रचार, राष्ट्रीय महत्व की बैठकें/कार्यशालाएं/सेमिनार आदि आयोजित करने के लिए मैनुअल प्रकाशित करने के लिए हैं। इस योजना को 2005-06 के दौरान 'मछुआरा कल्याण कार्यक्रम' के साथ मिला दिया गया है।

5.6.2 वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान योजना की प्रगति

5.6.2.1 5807 घरों के निर्माण के लिए बचत-सह-राहत घटक के तहत 1.08 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए, सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के तहत 19.7 लाख मछुआरों को कवर करने तथा मत्स्य किसानों के प्रशिक्षण के लिए 2007-08 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/फिशकॉपफेड को 21.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.6.2.2 वर्ष 2008-09 के दौरान मछुआरों के लिए 5921 घरों के निर्माण के लिए बचत-सह-राहत घटक के तहत लगभग 2.12 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए, सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के तहत 33.2 लाख मछुआरों को कवर करने तथा मत्स्य किसानों के प्रशिक्षण के लिए 2008-09 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/फिशकॉपफेड को 18.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.6.2.3 भारत सरकार ने राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना को 180.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्त पोषण की प्रणाली में भी फेरबदल करने का अनुमोदन किया है जो अब केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्य के बीच 50:50 के स्थान पर 75:25 होगी ताकि उक्त पहले तीन घटकों के संबंध में इन राज्यों के विकास को गति प्रदान की जा सके।

5.7 मात्स्यिकी क्षेत्र का डाटाबेस और भोगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

5.7.1 मात्स्यिकी क्षेत्र का डाटाबेस और भोगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को 100% केन्द्रीय सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैंः-

(i) अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों और उनकी क्षमता तथा मत्स्य उत्पादन के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण।

(ii) समुद्री मात्स्यिकी संबंधी गणना।

(iii) अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी के लिए कैच मूल्यांकन सर्वेक्षण।

(iv) जी आई एस का विकास।

(v) तटवर्ती राज्यों में मत्स्य उत्पादन क्षमता का आकलन।

(vi) मूल्यांकन अध्ययन/व्यावसायिक सेवाएं।

5.7.2 इन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(i) **अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों और उनकी क्षमता तथा मत्स्य उत्पादन के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण**ः अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन की संभावना के साथ अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के बेंचमार्क अनुमान तैयार

करने के लिए उपयुक्त नमूना डिजाइन के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक बार नमूना सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि मानक त्रुटियों के साथ अपेक्षित अनुमान राज्य/संघ शासितवार तथा अखिल भारतीय स्तर पर समेकित अनुमान तैयार किए जा सकें। इस कार्य को केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को सौंपा गया है। 3-4 राज्यों के 20 जिलों में पायलट अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

(ii) **समुद्री मात्स्यिकी संबंधी गणना:** समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में विकासीय कार्यक्रम नियोजित करने के लिए भारत की विभिन्न तटीय राज्यों में मत्स्यन गांवों, लैंडिंग केन्द्रों की संख्या, मछुआरों की संख्या, सक्रिय मछुआरों की संख्या, मात्स्यिकी यानों और गियरों की संख्या जैसी सूचना अनिवाय है। केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान 1947 में अपने अस्तित्व में आने के बाद से देश के दोहन किए गए समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना एकत्र कर रहा है, उसका प्रसंस्करण और प्रसार कर रहा है। पिछली गणना वर्ष 2005 में की गई थी और अगली गणना 2010 में की जाएगी।

(iii) **अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी के लिए कैच मूल्यांकन सर्वेक्षण :** सी आई एफ आर आई द्वारा अंतर्देशीय और सी एम एफ आर आई द्वारा समुद्री मात्स्यिकी के लिए वैज्ञानिक नमूना तकनीकी के आधार पर संसाधन और कैच मूल्यांकन विकसित किया गया है। 2007-12 के दौरान सभी राज्यों को तालाबों, टैंकों और जलाशयों के तहत संसाधन और कैच के मूल्यांकन के लिए कवर किया जाना है।

(iv) **मात्स्यिकी क्षेत्र की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) का विकास:** जी आई एस को विकसित करने का काम केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर को सौंपा गया है। प्रारंभ में जल निकायों के आकार-प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए एन आर एस ए से मानसून बाद की अवधि के लिए आई आर एस - 1डी से उपग्रही तस्वीरें हासिल की गई थी। बाद में अंतर्देशीय मात्स्यिकी की गणना के घटक को जी आई एस के विकास संबंधी घटक के साथ मिला दिया गया था। संशोधित प्रक्रिया के तहत अंतर्देशीय जन निकायों की भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास सी आई एफ आर आई, बैरकपुर द्वारा समूचे देश के लिए मानसून पूर्व और उसके बाद की अवधि के लिए बहु स्पेक्ट्रल बैंडों में रेज्यूलेशन 5.8 मीटर की एल आई एस एस - तीन का उपयोग करके किया जाएगा तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में दो मौसमों में ब्लैक एंड व्हाइट में एल आई एस एस - 4 की तस्वीरों का उपयोग करके जी आई एस का विकास किया जाएगा। 30% जिलों में 10 हैक्टेयर से ऊपर के जल निकायों के लिए ग्राउंड ट्रूथिंग की जाएगी। ग्राउंड ट्रूथिंग के दौरान जन निकायों के प्रकार, जल फैलाव क्षेत्र, जलभराव, मात्स्यिकी के उपयोग आदि जैसे विभिन्न मानकों के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी जिसे बाद में जी आई एस में शामिल किया जाएगा। इस संशोधित प्रणाली से परियोजना की लागत बढ़कर 758.24 लाख रुपए हो गई है। भावी नियोजन और विकास के लिए मानचित्रों में संभावित क्षेत्रों को प्रतिलक्षित किया जाएगा। एक भू-संदर्भित मात्स्यिकी आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाएगी और सूचना को उपयोगकर्त्ताओं के लिए जोड़ा जाएगा। मानसून बाद की अवधि के लिए जल निकायों की मैपिंग सभी राज्यों के लिए पूरी हो चुकी है और मानसून पूर्व अवधि के लिए कार्य चल रहा है।

(v) **तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन क्षमता का आकलन :** उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता के क्रियान्वयन संबंधी राष्ट्रीय समिति ने तटवर्ती क्षेत्रों के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की क्षमता का आकलन और पुनर्वैधीकरण की सिफारिश की थी। यह आवश्यक है कि खारा जल जलकृषि फार्मों से हार्वेस्ट की गई विभिन्न प्रजातियों के संबंध में आंकड़ों को शामिल किया जाए ताकि सही उत्पादन आंकड़े प्राप्त किए जा सके। किसानों/एकत्रीकरण केन्द्रों/प्रसंस्करण संयंत्रों के माध्यम से इस सूचना को तैयार

करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी और संभावित अनुमान का सर्वेक्षण करने का कार्य या तो सी आई एफ आर आई या राज्य सरकारों को सौंपा जा सकता है। 2009-2010 के लिए बजट प्रावधान 15 लाख रुपए है।

(vi) **मूल्यांकन अध्ययन/व्यावसायिक सेवाएं :** योजना अथवा योजना के किसी विशेष घटक की प्रगति का आकलन करने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन करना आवश्यक है। व्यावसायिक सेवाओं के रूप में चल रही योजना का पर्यवेक्षण करने लिए विशेज्ञों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल्यांकन अध्ययनों/व्यावसायिक सेवाओं के लिए 15 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2009-2010 के लिए 1 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

5.7.3 2007-08 और 2008-09 के दौरान योजना का प्रगति

5.7.3.1 वर्ष 2007-08 के लिए 2.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और 2008-09 के दौरान 2.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.8 मात्स्यिकी संसाधनों का सहायता

5.8.1 केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान(सिफनेट), कोची

5.8.1.1 केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान(सिफनेट) की स्थापना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1963 में कोची में की गई थी। उसके बाद इस संस्थान की दो और शाखाएं चेन्नई और विशाखापटनम में स्थापित की गई थी। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य मात्स्यिकी यानों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों और तटीय प्रतिष्ठानों के लिए तकनीशियनों को उपलब्ध कराना है।

5.8.1.2 संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम चलाता है जिनमें शामिल हैं (1) यू जी सी द्वारा मान्यताप्राप्त कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अनुमोदित और संबद्ध मात्स्यिकी विज्ञान(नौचालन विज्ञान) का चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम; (2) राष्ट्रीय व्यावयिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दो-दो वर्ष की अवधि के दो ट्रेड पाठ्यक्रम जलयान नेविगेटर और मैरीन फीटर; और (3) व्यावसायिक कॉलेजों, संबद्ध संगठनों, राज्य सरकारों की मात्स्यिकी विभागों आदि के छात्रों के लाभ के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.8.1.3 2007-08 और 2008-09 के दौरान इन दो प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में क्रमशः 96 और 95 लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, उक्त वर्षो के दौरान मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी, गियर प्रौद्योगिकी, समुद्री इंजीनियरिंग आदि में प्रायोजित/विभागीय उम्मीदवारों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 762 और 904 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।

5.8.1.4 वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमशः 4.39 करोड़ रुपए और 7.02 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

5.8.2 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन

5.8.2.2 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में समेकित मात्स्यिकी परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया था। संस्थान के दायित्व इस प्रकार हैं:-

- परामर्शी सेवा और रोजगार के माध्यम से लाभार्थियों को प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण जिनमें ग्रामीण मछुआरा समुदाय, लघु उद्योग और निर्यात प्रसंस्करण घराने शामिल हैं।
- अल्प मूल्य, अपराम्परिक प्रजातियों और मौसमी मछलियों सहित सभी प्रकार की मछलियों से प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण के द्वारा मूल्यवर्धित उत्पाद विकास।
- पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी, रेफ्रिजरेशन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यवर्धित उत्पादों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना।

- मत्स्य प्रसंस्करण में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए परामर्शी सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना, स्थानीय मत्स्य किसानों, मात्स्यिकी समुदाय के स्वसहायता समूहों, काम कर रहे मछुआरा सहकारी समितियों और पंचायती राज संस्थानों को समर्थन देना।
- अल्प मूल्य, अपराम्परिक प्रजातियों और मौसमी मछलियों सहित सभी प्रकार की मछलियों के मूल्यवर्धित उत्पादों को लोकप्रिय बनाना और उनका परीक्षण, विपणन करना।
- नए क्षेत्रों में मूल्यवर्धित उत्पादों का विस्तार करना, उन्हें लोकप्रिय बनाना और उनका परीक्षण विपणन करना तथा सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से बाजार विकसित करना जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उत्साही उद्यमियों पर इस बात के लिए अधिक ध्यान दिया गया हो कि उन्हें सीफूड प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

5.8.2.2.3 वर्ष 2007-08 के दौरान 124.13 टन मछली का प्रसंस्करण किया गया था और 116.27 टन मछली का विपणन किया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान संस्थान ने 221.89 टन मछली का प्रसंस्करण किया है जिसमें बाहरी पक्षों के लिए कार्य भी शामिल है तथा स्टालों, मोबाइल यूनिटों, निविदा बिक्री आदि के माध्यम से 60.77 लाख रुपए मूल्य के 139.15 टन मछली और मछली उत्पादों की बिक्री की है। संस्थान ने वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न विधाओं में कुल 523 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है और सभी स्रोतों से 99.76 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

5.8.2.2.4 वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमशः 1.40 करोड़ रुपए और 1.94 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

5.8.3 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)

5.8.3.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण भारतीय आर्थिक अनन्य क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और आकलन के लिए उत्तरदायी है और इसका मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पश्चिमी तट पर मुम्बई, मोरमुगांव और कोची, पूर्वी तट पर चेन्नई और विशाखापटनम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर्टब्लेयर में 6 कार्यात्मक बेस हैं। मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण और निगरानी के लिए कुल 13 महासागरीय अनुवर्ती सर्वेक्षण जलयान तैनात किए गए हैं। संसाधन सर्वेक्षणों के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विनियमन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की निगरानी करता है, गहरे समुद्र और महासागरीय मात्स्यिकी के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और गियर की उपयुक्तता का आकलन करता है, सिफनेट/पॉलीटेक्निक प्रशिक्षणार्थियों को जलयान पर ही प्रशिक्षण देता है, मात्स्यिकी समुदाय, उद्योग, अन्य प्रयोगकर्त्ताओं आदि को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मात्स्यिकी संसाधनों संबंधी जानकारी देता है। संस्थान का सर्वेक्षण बेड़ा बाटम ट्रॉल सर्वेक्षण करता है, मिडवाटर/कालमनार संसाधनों का सर्वेक्षण करता है और डीमर्सल, कॉलमनर तथा अन्य महासागरीय टूना तथा सहायक संसाधनों के लिए और महासागरीय शार्कों के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण भी करता है।

5.8.3.2 2007-08 और 2008-09 की अवधि के दौरान सर्वेक्षण यानों ने मिलकर क्रमशः 1624 मात्स्यिकी दिवस तथा 1480 मात्स्यिकी दिवस बिताए जिसमें 4365 घंटे और 2989 घंटों के कुल मात्स्यिकी प्रयास शामिल थे तथा क्रमशः 277735 हुक और 254178 हुकों का संचालन किया।

5.8.3.3 वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमशः 28.13 करोड़ रुपए और 31.81 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था।

5.8.3.4 संस्थान ने दो पुराने जलयानों के बदले 2005 में दो मोनोफिलामेंट लॉंगलाइनर खरीदे। इन जलयानों ने बोर्ड पर ही वैज्ञानिक कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनका इस्तेमाल महासागरीय टूना संसाधनों का सर्वेक्षण करने के अलावा मछुआरों को मोनोफिलामेंट मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है।

5.8.4 केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर

5.8.4.1 केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, जिसका नाम पहले मात्स्यिकी बंदरगाहों का पूर्व निवेश

सर्वेक्षण कार्यालय था, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के खाद्य और कृषि संगठन की तकनीकी और मानव शक्ति सहायता से जनवरी, 1968 में हुई थी। इस संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के तट पर मौजूद संभावित मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों का पता लगाया जा सके ताकि मात्स्यिकी बंदरगाहों का विकास हो सके, चुनिन्दा मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों के लिए इंजीनियरी और आर्थिक अन्वेषण किया जा सके तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की जा सकें। मात्स्यिकी बंदरगाहों का पूर्व निवेश सर्वेक्षण कार्यालय का नाम बदलकर अगस्त, 1983 में केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान कर दिया गया था और इसे जल झींगा पालन फार्मों के विकास के लिए सभी समुद्री राज्यों में मौजूद उपयुक्त स्थलों के चयन के लिए सर्वेक्षण करने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। इस संस्थान के मुख्यय उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- मात्स्यिकी बंदरगाहों, मछली उतारने के केन्द्रों और खारा जल झींगा पालन फार्मों के विकास के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करना।
- इंजीनियरी और आर्थिक अन्वेषण करना, मात्स्यिकी बंदरगाहों, मछली उतारने के केन्द्रों, खारा जल झींगा पालन परियोजनाओं के विकास के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत चल रहे मात्स्यिकी बंदरगाहों के निर्माण और खारा जल झींगा पालन परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सहायता देना।

5.8.4.2 इस संस्थान ने मार्च, 2009 के अंत तक 78 स्थानों पर मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए इंजीनियरी और आर्थिक सर्वेक्षण किए हैं तथा 77 स्थानों के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की हैं। इस संस्थान ने लगभग 66,200 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र की सिफारिश की है और खारा जल झींगा पालन परियोजनाओं के विकास के लिए सभी समुद्री राज्यों में 15,600 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इंजीनियरी अन्वेषण किए हैं।

5.9 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

5.9.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना सितम्बर, 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बोर्ड की स्थापना अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य कैप्चर, पालन, प्रसंस्करण और विपणन में मात्स्यिकी क्षेत्र की दोहन न की गई क्षमता का उपयोग करने तथा मात्स्यिकी के अनुकूल उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करके मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए की गई थी।

Proposed Building of NFDB

5.9.2 बोर्ड की गतिविधियों का जोर देश के मछली उत्पादन को बढ़ाकर 10.3 मिलियन टन के स्तर पर करने, निर्यात को 7 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा-कर 14 हजार करोड़ रुपए करने और अंतर्देशीय, खारा जल तथा समुद्री क्षेत्रों के तहत गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को सहायता देकर 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देने पर है। यह मात्स्यिकी के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए प्लेटफॉर्म का प्रसार करेगा।

> राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का उद्देश्य है अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य कैप्चर, पालन, प्रसंस्करण और विपणन में मात्स्यिकी क्षेत्र की दोहन न की गई क्षमता का उपयोग करने तथा मात्स्यिकी के अनुकूल उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करके मात्स्यिकी क्षेत्र का समग्र विकास करना।

5.9.3 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

(i) मात्स्यिकी और जलकृषि से संबंधित प्रमुख गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना और उन्हें व्यावसायिक प्रबंधन के तहत लाना;

(ii) केन्द्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों को समन्वित करना तथा राज्य/संघ शासित प्रदेशों के साथ भी समन्वय करना;

(iii) उत्पादों और कल्चर मात्स्यिकी के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, ढुलाई और विपणन में सुधार करना;

(iv) मत्स्य स्टॉक सहित प्राकृतिक जलीय संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण करना;

(v) मात्स्यिकी से अनुकूलतम उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के आधुनिक उपकरणों को लागू करना;

(vi) मात्स्यिकी के लिए आधुनिक संरचनात्मक तंत्र उपलब्ध कराना और उनके प्रभावी प्रबंधन और अनुकूल उपयोग का सुनिश्चय करना;

(vii) पर्याप्त रोजगार का सृजन करना;

(viii) महिलाओं को मात्स्यिकी क्षेत्र में प्रशिक्षित और सशक्त करना; और

(ix) खाद्य और पौषणिक सुरक्षा में मछली के योगदान को बढ़ाना।

5.9.4 राष्ट्रीय मात्सयिकी विकास बोर्ड:

(i) **एसपीएफ पी. मोनोडोन गुणन केन्द्र का निर्माण:** प्रतिवर्ष 3 बिलियन विशिष्ट पैथोजन मुक्त बीज का उत्पादन करने क लिए श्री काकुलम जिला, आंध्र प्रदेश मे एसपीएफ पी मोनोडोन झींगा गुणन केन्द्र की स्थापना के लिए वर्ष 2008-09 में 218 लाख रुपए जारी किए गए थे। भूमि ले ली गई है और क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा।

(ii) जम्प-स्टार्ट कार्यक्रम: गुणन केन्द्र के निर्माण का इंतजार किए बिना, जम्प-स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में अब तक किसानों को 102.23 लाख बीजों की आपूर्ति की गई है तथा प्रदर्शनों की प्रगति संतोषप्रद पाया गया।

(iii) जलाशय मात्स्यिकी का विकास: वर्ष 2008-09 में 7.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 2106 जलारशयों में 44.96 लाख मछली फिंगरलिंगों के साथ बीज भंडारण के लिए 13 राज्यों को 3558 लाख रुपए जारी किए गए थे।

(iv) खुले समुद्र में सी-बास का केज कल्चर: एशियन सी बास, मैरीन ओरनामेंटल, लोबस्टर, मुलेट्स पर्ल स्पाट, पम्पफ्रैट तथा समुद्री झींगा

के पालन को शुरू करने के लिए समुद्र तटीय राज्यों में खुले समुद्र में कैज कल्चर प्रदर्शनों की 14 यूनिटों (आंध्र प्रदेश में 4 यूनिटें, गुजरात में 1 यूनिट, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु प्रत्येक में 2 यूनिटें और उड़ीसा में 1 यूनिट) स्थापित करने के लिए सी एम एफ आर आई, कोची को वित्तीय सहायता दी गई है। कैजों में बीज भंडारण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा अन्य कैजों में भंडारण कार्य प्रगति

पर है। समुद्र में कैजों का संपूर्ण प्रबंधन मछुआरा समूह/वैज्ञानिकों/ग्रामीणों के जरिए किया जाता है।

(v) सी आई बी ए के माध्यम से एशियन सी बास प्रदर्शन फार्मः तालाब में पालन प्रणाली मे एशियन सी बास, लेटेस केलकेरीफेर पालन के लिए केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सी आंई बी ए), चेन्नई को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह स्वदेशी कम लागत वाले आहार का उपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में किसानों के चुनिन्दा तालाबों में एश्यन सी बास पालन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का प्रदंर्शन करने क लिए होगा। सी बीस बीजों के भंडारण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(vi) एल वन्नामी पालन - चेन्नई में संगरोध सुविधा की स्थापना के लिए सहायताः एन एफ डी बी तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एम पी ई डी ए) तथा केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सी आंई बी ए) के सहयोग से एस पी एफ - एल. वन्नमी ब्रूड स्टाक के आयात को विनियमित करने के लिए चेन्नई में एक जलीय पशु संगरोध सुविधा स्थापित कर रहा है। बोर्ड ने नीलांकारई, चेन्नई में जलीय पशु संगरोध सुविधाएं स्थापित करने के लिए राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र, एम पी ई डी ए की एक इकाई, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कोची को 1.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है।

(vii) **घरेलू बाजारः** एन एफ डी बी ने भारत में घरेलू बाजार के विकास के लिए तमिल नाडु मात्स्यिकी विकास निगम लिमिटेड को इक्विटी के रूप में 75 लाख रुपए तथा अनुदान के रूप में 100 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 2 मत्स्य ड्रैसिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल को भी 46 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है।

(viii) **टूना प्रसंस्करण यूनिटः** राष्ट्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान(निफफट), विजाग को ससीमी ग्रेड टूना के निर्यात प्रसंस्करण के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए निफफट, कोचीन को 185 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। महाराष्ट्र में टूना तथा अन्य मछलियों के प्रसंस्करण के लिए सस्सोन-डॉक मतुद्योग सहकारा संस्थां को 155 लाख रुपए भीं जारी किए गए थे।

(ix) **पोस्ट हार्वेस्ट प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाएंः** एन एफ डी बी ने कर्नाटक जिले के उत्तरा कन्नड़ के करवर मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए 104 लाख रुपए की वितीय सहायता प्रदान की गई है।

(x) **एच आर डी कार्यक्रमः** परियोजना डिजाइनिंग, परियोजना प्रबंधन तथा वित्तीय प्रबंधन में राज्य मात्स्यिकी के कार्यकर्त्ताओं के कार्यकौशल को बढ़ाने के लिए मात्स्यिकी विकास के बीच अंतर का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन(टी एन ए) के लिए भारतीय प्रशासनिक स्ऑफ कालेज (ए एस सी आंई), हैदराबाद को 8.55 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। प्रशिक्षण का पहला बैच (15 से 19 दिसम्बर, 2008) पूरा हो चुका था। 2008-09 के दौरान, विभिन्न राज्यों के मात्स्यिकी विभाग के 121 अधिकारियों को विस्तार प्रबंधन पर मैनेज में प्रशिक्षित किया गया था।

(xi) कार्यालय कॉम्प्लैक्स का निर्माणः राजेन्द्रनगर, हैदराबाद में कार्यालय काम्प्लैक्स के निर्माण के लिए सी पी डब्ल्यू डी को 5.86 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। एन एफ डी बी तथा सी पी डब्ल्यू डी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, कार्य चल रहा है।

5.9.4 वर्ष 2006-2012 के लिए प्रस्तावित बजट 1550.00 करोड़ रुपए है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में नियत लक्ष्यों को प्रापत करने के लिए 46.90 लाख रुपए जारी किए गए थे।

5.10. तटीय जलकृषि प्राधिकरण

5.10.1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सी ए ए) को तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था तथा 22 दिसम्बर, 2005 के राजपत्र अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि क्रियाकलापों को विनियमित करना है। प्राधिकरण के पास तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और प्रचालन, फार्मों के पर्यावरणीय प्रभाव को निश्चित करने के लिए उनका निरीक्षण, जलकृषि फार्मों के पंजीकरण, आदान तथा छोटी नदियों के लिए मानक तथा करने, प्रदूषण् फैलाने वाले तटीय जलकृषि फार्मों को हटाने या ध्वस्त करने आदि के लिए विनियम बनाने की शक्ति है।

5.10.2 प्राधिकरण की गतिविधियां

5.10.2.1 सी ए ए ने राज्यों तथा जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें सिफारिश के प्रयोजन से गठित किया गया है, की सिफारिश पर झींगा फार्मों के पंजीकरण का कार्य पूरा किया, जो उसके द्वारा पूरा किए गए प्रमुख कार्यों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, प्राधिकरण ने पांच अन्य बैठकों/कार्यशालाओं के अलावा छः नियमित बैठकें की। पंजीकरण के आवेदनों को स्वीकृति देने के अलावा, प्राधिकरण ने हैचरियों के पंजीकरण के लिए मानकों, झींगा में एंटीबायोटिक अपशिष्ट, प्रोबयोटिक्स तथा आहार के लिए मानक, हाई टाईड लाईन(एच टी एल)

तथा इंटर टाईडल क्षेत्रों, पर्यावरण प्रभाव आकलन, स्टाकिंग सघनता आदि जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

अध्यायें 6 से 9

व्यापारिक मामले

6

6.1 प्रस्तावना

6.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया है जिससे आयात प्रक्रिया को विनियंत्रित करने के लिए सभी पशुधन उत्पाद इसके कार्यक्षेत्र में लाए जा सकें। तद्नुसार, पशुधन उत्पादों के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655(ई), मात्स्यिकी उत्पादों के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 1043(ई) और मूल जनक (जी पी) स्टॉक के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2001 की संख्या 1175(ई) जारी की गई जिसमें सभी पशुधन उत्पादों और कुक्कुट के सभी ग्रैंड पैरेन्ट स्टॉक आयात के लिए सफाई आयात परमिट अनिवार्य बना दिया गया। 28.03.2008 को, अधिसूचना संख्या 794(ई) के जरिए, विभाग ने दिनांक 07.07.2001 की अधिसूचना संख्या 655(ई) में और आगे संशोधन किया जिसके द्वारा उन पशुधन उत्पादों को वर्गीकृत किया गया है जिनके लिए स्वच्छता आयात परमिट आवश्यक है। पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवाओं से अनापत्ति प्राप्त होने और उत्पादों लिए स्वच्छता आयात परमिट या अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में उत्पादों को छोड़ा जा सकता है। निर्यात कर रहे देश में रोगों की स्थिति के साथ-साथ देश में रोग की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद ही स्वच्छता आयात परमिट जारी किया जाता है।

6.2 आयात की प्रक्रिया

6.2.1 यह विभाग विभिन्न राज्य सरकारों/फार्मों/संगठनों से प्राप्त आयात/निर्यात/उत्पादन/विपणन के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है। व्यापार और निवेश मामलों पर समिति के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, विभाग के मत को आवश्यक आयात लाईसेंस जारी करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय(डी जी एफ टी)/भारतीय औषध नियंत्रक को भेज दिया गया है। उक्त समिति की बैठक पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में प्रतिमाह नियमित रूप से होती है। समिति की कुल 15 बैठकें हुई हैं और 2008-09 में विभिन्न फार्मों/संगठनों को 183 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी की गई है।

6.2.2 पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक जोखिम विश्लेषण समिति का गठन किया गया है, सभी संयुक्त सचिव जिसके सदस्य हैं। विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा आवेदन पत्र की जांच करने के बाद, आवेदन पत्रों को या तो अस्वीकार करने या स्वच्छता आयात परमिट जारी करने के लिए जोखिम विश्लेषण समिति द्वारा इनकी जांच की जाती है। मात्स्यिकी उत्पादों को शामिल करते हुए विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए 2008-09 में 1923 स्वच्छता आयात परमिट जारी किए गए हैं।

मात्स्यिकी उत्पादों को शामिल करते हुए विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए 2008-09 में 1923 स्वच्छता आयात परमिट जारी किए गए हैं।

6.2.3 विभाग ने पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के क्रियाकलापों से जुड़े विभिन्न फार्मों/संगठनों को स्वच्छता आयात परमिट जारी करने के लिए ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक प्रणाली को आरंभ किया है। स्वच्छता आयात परमिट के लिए ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया विभाग के वेबसाइट (www.dadf.gov.in) में उपलब्ध है।

7

विशेष घटक योजना(एससीपी)/ जनजातीय उपयोजना(टीएसपी)

7.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य पशुधन,डेयरी तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। मछुआरा कल्याण कार्यक्रम को छोड़कर कोई भी योजना सीधी तौर पर लाभार्थी उन्मुख नहीं है। देश के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से जुड़ा एक बड़ा वर्ग तथा महिलाएं पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों की गतिविधियों में लगी हैं। इसके परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। चूंकि इनमें से कोई भी योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित नहीं की जाती हैं, मछुआरा कल्याण कार्यक्रम को छोड़कर कोई भी योजना सीधी तौर पर लाभार्थी उन्मुख नहीं है। विभाग द्वारा इन योजनाओं द्वारा लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का रिकार्ड रखना संभव नहीं है। योजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार/क्रियान्वयन एजेंसियां भी इस तरह का रिकार्ड नहीं रखती है।

महिलाओं का सशक्तिकरण

8

8.1 पशुपालन, डेयरी एवं मातस्यिकी में महिलाएं

8.1.1 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग में कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग हमेशा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में लगी महिलाओं को लाभ देने पर जोर देता रहा है।

8.1.2 पशुपालन क्षेत्र में, कुछ कार्यकलापों में पुरूष तथा महिलाएं साथ-साथ काम करते हैं विशेष रूप से पशुओं को चारा देने, इत्यादि का काम जो अधिकतर महिलाओं एवं पुरुष द्वारा साथ-साथ किए जाते है। अतः पशुपालन के क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाओं की भूमिका एक दूसरे की पूरक है और इनके कार्य को विनिर्दिष्ट रूप से श्रेणीबद्ध कर अलग-अलग करना संभव नहीं है।

8.1.2 पशुपालन क्षेत्र में, कुछ कार्यकलापों में पुरूष तथा महिलाएं साथ-साथ काम करते हैं विशेष रूप से पशुओं को चारा देने, इत्यादि का काम जो अधिकतर महिलाओं एवं पुरुष द्वारा साथ-साथ किए जाते है। अतः पशुपालन के क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाओं की भूमिका एक दूसरे की पूरक है और इनके कार्य को विनिर्दिष्ट रूप से श्रेणीबद्ध कर अलग-अलग करना संभव नहीं है।

8.1.3महिलाएं डेयरी सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रही है जिसे प्रारंभ में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम तथा बाद में सरकार द्वारा क्रियान्वित गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया था।

8.1.4 कुक्कुट क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रामीण कुक्कुट संवर्धन से संबंधित योजना में, इस बात पर जोर दिया गया है कि चूंकि ग्रामीण कुक्कुट एक आय प्रतिपूरक योजना है, और इसे अधिकाशतः महिलाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अतः महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने पर बल प्रदान किया जाना चाहिए।

8.1.5 इसी प्रकार, नस्लों के संरक्षण, भेड़ों के संरक्षण, बकरी तथा छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के संरक्षण की योजनाओं को क्षेत्रों की ओर दिशा दिया जाता है जिसमें ऐसी योजनाओं को आरंभ करने के लिए महिलाओं की पहचान की जा रही है।

8.1.6 महिलाएं सक्रिय रूप से सम्बद्ध मात्स्यिकी क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं जैसे मत्स्य बीज एकत्र करने, छोटी मछली पकड़ना, मुसेल एकत्र करना, एडीवल आएस्टर, समुद्री अपतृण, मत्स्य विपणन, मत्स्य प्रसंस्करण और उत्पाद विकास इत्यादि। मात्स्यिकी क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारिता को और बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, माइक्रो वित्त, उन्हें ग्रुप मे संगठित करना और क्षमता निर्माण करना बलित क्षेत्र है।

8.1.7 विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं/कार्यक्रम महिलाओं के लिए लाभकारी रहे। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस संदर्भ में रिकार्ड रखने के लिए कहा गया है।

भारत में दूध, मीट, अंडा तथा मछली जैसे गैर खाद्य अनाज वस्तुओं के पक्ष में खाद्य उपभोग वस्तुओं में विविधता है। महिलाएं इन मदों के विपणन और मूल्यवर्धन में और बड़ी भूमिका अदा करती हैं।

9 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.1 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यताएं

9.1.1 यह विभाग पशु स्वास्थ्य और मात्स्यिकी संबंधी निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नियमित सदस्य भी है:-

क) ऑफिस इंटरनेशनल देस एपिजूडिस(ओ0आई0ई0), पेरिस, फ्रांस।

ख) इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन(आई0ओ0 टी0सी0), सेशल्स - एफ0ए0ओ0 के तहत एक संगठन।

ग) एनिमल प्रोडक्शन एंड हैल्थ कमीशन फार द एशिया एंड द पैसिफिक (ए0पी0एच0सी0ए0), बैंकाक - एफ ए ओ के तहत एक संगठन।

घ) बंगाल की खाड़ी परियोजना/मात्स्यिकी के संबंध में अंतर सरकारी संगठन (आईजीओ) - जो एफएओ के अधीन एक संगठन है।

(ड0) अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ (2007 से)

9.1.2 भारत आफिस इंटरनेशनल देस एपिजूडिस (ओ आई ई) का एक स्थायी सदस्य है जो पशु स्वास्थ्य मानक स्थापित करने के लिए उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2008 तक एक तीसरी श्रेणी के सदस्य देश के रूप में भारत अब तक ओ आई ई को वार्षिक शुल्क/सदस्यता शुल्क देता रहा है। तथापि, वर्ष 2009 से, भारत ओ आई ई को दूसरी श्रेणी के सदस्य के रूप में वार्षिक अंशदान/सदस्यता प्रदान करेगा।

अध्याय - 10

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी क्षेत्रों की विशेष पैकेज

10

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रों की विशेष पैकेज

10.1 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के कई जिलों में आर्थिक कठिनाई के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या की कई घटनाएं देखी गई हैं। पहचान किए गए ऐसे जिलों की संख्या 31 (आंध्र प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 6 तथा केरल में 3) है। इन जिलों में किसानों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने के लिए विभाग पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों की विशेष पैकेज क्रियान्वित कर रहा है। जिसके 8 घटक इस प्रकार हैः-

(i) **उच्च उत्पादकता वाले दुधारू पशुओं को शामिल करनाः** प्रतिवर्ष प्रति जिला 1000 उच्च उत्पादकता वाले दुधारू पशुओं को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि आर्थिक हताशा के प्रति अधिक संवेदनशील छोटे तथा सीमांत किसानों को आय का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए, कृषकों को पशुओं की खरीद की लागत के 50% तक राजसहायता दी जाती है, जिसमें शेष राशि बैंकों से ऋण के जरिए होगा, जिसके लिए नाबार्ड द्वारा पर्याप्त पुनःवित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। अतः, तीन वर्षों की अवधि यानि 2006-07 से 2008-09 के लिए प्रत्येक प्रभावित जिलों में कुल 3000 उच्च पैदावार वाले दुधारू पशुओं को शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव में गैर-क्रेडिट घटक के क्रियान्वयन अवधि को दो और वर्षों यानि 30 सितम्बर, 2011 तक बढ़ा दिया गया है। उच्च पैदावार वाले दुधारू गोपशु की औसत लागत 30,000 रुपए प्रति पशु है (शेड सहित)। भारत सरकार द्वारा राजसहायता घटक प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किस नस्ल के पशु की खरीद की जाएगी। छोटे बछड़े (एक माह का बछड़ा) के साथ दुधारू पशु की खरीद उपयुक्त है चूंकि कृषक को लैक्टेशन का सबसे अधिक भाग का लाभ होता है। गर्भवती पशुओं की खरीद नहीं की जाएगी, चूंकि लाभार्थी किसान किसी प्रकार का जोखिम नहीं ले सकता। यह सुझाव दिया जाता है कि तीन लोग नामतः लाभार्थी, स्थानीय पशुचिकित्सक और जिला प्रशासन के एक प्रतिनिधि या बैंक पशुओं की खरीद कर सकते हैं। लाभार्थी खरीदने के लिए पशु की पहचान करेंगे, जिसका उक्त दल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि दल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, पशु पर टैग लगाया जाएगा और उसे टीकाकृत किया जाएगा। बैंक खरीद मूल्य सीधे बिक्री करने वाले को देंगे। प्रत्येक लाभार्थी को दो पशु दिए जाएंगे। आरंभ में एक पशु की खरीद की जाएगी और इसकी खरीद के छः से सात माह के बाद दूसरा पशु जिससे कि निरन्तर दूध उत्पादन और आय सृजन के साथ लैक्टेशन चक्र भिन्न-भिन्न समय हो। बचत का उपयोग करते हुए प्रति वर्ष प्रति जिला 1000 से अधिक गोपशु को शामिल करने की भी अनुमति है। ऐसे लाभार्थी जिनके पास पहले से ही शेड है, पशु शेड में निवेश किए बिना 30,000 रुपए की संपूर्ण राजसहायता

की राशि को दो दुधारू पशुओं की खरीद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

(ii) **बछड़ा पालन कार्यक्रमः** तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष प्रति जिला 1000 उच्च उत्पादन वाले दुधारू पशुओं को शामिल करने के परिणामस्वरूप इन प्रत्येक वर्षों में प्रति जिला 500 मादा बछड़ों को भी शामिल करना होगा। चूंकि चुनिन्दा जि-लों में किसान बछड़ों की पालन लागत को पूरा वहन नहीं सकते, यह निर्णय लिया गया है कि एक वर्ष की अवधि के लिए बछड़े की पालन लागत पर 50% राजसहायता दी जाए। दूध, आहार, चारा तथा स्वास्थ्य कवर सहित पालन की लागत प्रतिदिन प्रति पशु 40/- रुपए आंकी गई है। भारत सरकार द्वारा 50% राजसहायता वहन की जाएगी।

(iii) **गोपशु/भैंस प्रजनन सेवाएं प्रदान करनाः** राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) पहले से ही चार राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि गोपशु/भैंस प्रजनन सेवाओं को 31 जिलों में सभी प्रजनन योग्य गोपशु तथा भैंसों के लिए निशुल्क विस्तारित किया जाए और घर-घर जाकर इन सेवाओं को बढ़ाया जाए। यह छूट इन जिलों में प्रत्येक पशु के लिए केवल एक बार लागू है। इसके अलावा, इस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन द्वारा एकबार 70% प्रजनन योग्य पशुओं को कवर करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2006 में घर-द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध कराने की लागत 450/- रुपए प्रति पशु (प्रति सफल गर्भधारण के लिए तीन गर्भाधान मानते हुए) निश्चित की थी, जिसे वर्ष 2007 में कम करके 300/- रुपए प्रति पशु कर दी गई थी। प्रोटोकाल I के लिए इस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की अनुज्ञेय लागत को 650/- रुपए से बढ़ाकर 750/- रुपए कर दिया गया है और प्रोटोकाल II के लिए इसे 800/- रुपए कर दिया गया है। कृत्रिम गर्भाधान के क्रियान्वयन मे मितव्यीता लाकर प्राप्त हुई बचत का उपयोग खनिज मिश्रण तथा जांच के लिए किट, मस्टीटिस का पता लगाने, उसके संरक्षण एवं नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। कृमि नाश को शुरू करने तथा इस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रतिस्थापन के रूप में यूरिया मोलेसिस ब्लॉकों के प्रावधान को भी पशुओं को फरटाइल हीट में लाने की अनुमति दी गई है। इस घटक के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित धनराशि भारत सरकार द्वारा एनपीसीबीबी के तहत प्रदान की जाएगी।

(iv) **डेयरी पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधानः** प्रभावित जिलों में किसान उच्च उत्पादन वाली गायों/भैंसों की उचित स्वास्थ्य देखभाल में होने वाले व्यय को वहन करने में असमर्थ हैं। एक वर्षक की अवधि के लिए शामिल किए गए पशुओं के संबंध में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रतिवर्ष प्रति पशु 300/- रुपए का अनुमान लगाया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा 'पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योकजना के तहत वहन किया जाता है। पैकेज के अंतर्गत शामिल किए गए अतिरिक्त पशुओं को भी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के एक वर्ष की अवधि के लिए स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा।

(v) **दूध प्रशीतन यूनिटों की स्थापनाः** दुग्ध खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए दूध के भंडारण के लिए प्रशीतन केन्द्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। 10,000-12,000 लीटर दूध का उत्पादन करने वाले प्रत्येक डेयरी यूनिट के कलस्टर के लिए प्रशीतन केन्द्रों की स्थापना के लिए इस पैकेज के तहत आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए 50 शीततन यूनिटों की स्थापना के लिए 'सघन डेयरी विकास कार्यक्रमष' (आई डी डी पी) नाम-क केन्द्रीय प्रायोजित योजना के परिव्यय से धनराशि प्रदान की जाएगी। मौजूदा मानकों के अनुसार, आई डी डी पी के तहत धनराशि केवल उन जिलों को प्रदान की जाएगी जिन्हें 'ऑपरेशन फ्लड' के तहत शामिल नहीं किया गया था अथवा जिनका व्यय ऑपरेशन फ्लड के तहत 50 लाख रुपए से कम था। इन 31

जिलों के संबंध में इन शर्तों को हटाने का निर्णय लिया गया है।

(vi) **आहार तथा चारा आपूर्ति कार्यक्रम (नया घटक):** उच्च उत्पादकता वाले दुधारू पशुओं (औसत दुग्ध उत्पादन -10 किलोग्राम/दिन) को प्रतिदिन लगभग 14 से 15 किलोग्राम संतुलित आहार तथा चारे की आवश्यकता होती है, जिसे प्रसंस्करित और ब्लॉक में संघनित किया जा सकता है। ऐसे ब्लॉक का चारा ब्लॉकम बनाने वाली यूनिटों की स्थापना करके वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे ब्लॉकों की आसानी से ढुलाई की जा सकती है और इन्हें बैंक में स्टोर किया जा सकता है तथा किसानों को इनकी साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर आपूर्ति की जा सकती है। 31,000 उच्च उत्पादन वाली गायों तथा भैंसों की दैनिक आवश्यकता 31,000 चारा ब्लॉकों (14-15 किलोग्राम प्रति) की है। ऐसे ब्लॉकों को खिलाने के लिए, 100 रुपए प्रति ब्लॉक की लागत का 25% को केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

(vii) **चारा स्टाक बनाने वाले यूनिटों की स्थापना:** उन प्रभावित जिलों में चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनिटों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जहां पर्याप्त मात्रा में फसल अपशिष्ट, सूखा चारा आदि उपलब्ध है। ऐसी यूनिटों द्वारा उत्पादित चारा ब्लॉकों को उच्च उत्पादन वाली गायों के लिए विटामिनों तथा खनिजों सहित आवश्यक पौषक तत्वों को संतुलित करने के लिए मिलाया जाता है। आहार-चारा ब्लॉक ढुलाई तथा भंडारण के लिए भी सुविधाजनक हैं। इस समय, प्रतिदिन 30 टन के आहार-चारा ब्लॉक की उत्पादन क्षमता के साथ लगभग 85 लाख रुपए की लागत के संयंत्र की स्थापना के लिए 25% की राजसहायता प्रदान की जाती है। छूट देने के लिए, अब ऐसे संयंत्रों के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए और आत्महत्या संभावित जिलों में 20 यूनिटों की स्थापना के लिए राजसहायता को 50% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बाजार में तैयार रूप में उपलब्ध सांद्रित आहार के लिए किसानों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए चारा ब्लॉकों के लिए एक विकल्प के रूप में आहार सांद्रण के प्रावधान की भी अनुमति दी गई है। संपूर्ण पैकेज अवधि के लिए 4.26 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को शामिल करते हुए 10 चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनिटों के स्थान पर, 85 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत पर दो चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनिटों की स्थापना की जाए तथा शेष 3.41 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग लाभार्थियों को 50% की राजसहायता प्रदान करते हुए, लगभग 6.5 लाख प्रति यूनिट लागत से 100 छोटे आहार मिश्रण संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाए। इसके अलावा, 'चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनिटें' घटक से अन्य गतिविधियों अथवा मौजूदा गोपशु आहार संयंत्रों के उन्नयन के लिए धनराशि का पुनः विनियोजन करने की अनुमति है बशर्ते कि ऐसे गोपशु आहार संयंत्रों से उत्पादित आहार की आपूर्ति विशेष पैकेज के अंतर्गत शामिल किए गए पशुओं को राजसहायता दर पर की जाए।

(viii) **मात्स्यिकी कार्यक्रम:** जल निकायों के विकास/सृजन के जरिए मात्स्यिकी की माध्यम से 31 जिलों में किसानों की आय में प्रतिपूर्ति के अवसर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रारंभ में इन जिलों में प्रत्येक में 100 हैक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा योजना 'ताजा जल जलकृषि का विकास' के अंतर्गत एक मात्स्यिकी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह योजना प्रथम वर्ष के लिए तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के लिए आदान लागत के लिए सहायता प्रदान करती है। मानकों के अनुसार, प्रति हैक्टेयर पूंजी लागत 2.00 लाख रुपए तथा आदान लागत 30,000 रुपए आती है। सामान्य श्रेणी के किसानों के मामले में 20% की मौजूदा राजसहायता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों की मौजूदा 25% की राजसहायता को दुगना करके क्रमशः 40% तथा 50% करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में राजसहायता के मौजूदा प्रावधान की तुलना में, इन जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को 100% राजसहायता वहन की जाएगी। इस घटक के अंतर्गत तालाबों के नवीनीकरण तथा मरम्मत भी अनुमत्य गतिविधि है।

(ix) **जननक्षमता कैंप का आयोजन:** पशुओं में प्रजनन की उत्तेजना में लाने के लिए इस्ट्रस

सिनक्रोनाइजेशन का सहारा लेना आवश्यक नहीं होगा। 150/- रुपए प्रति पशु की औसत लागत से मामूली उपायों जैसे माइक्रो लवण पूरक प्रावधानों, वसा घुलाने वाले विटामिनों तथा एंटीबायोटिक थीरेपी से अर्द्ध प्रजनन से पीड़ित कुछ पशुओं में कामोत्तेजना लाई जा सकती है। इस प्रकार, इस्ट्रस सिनक्रोनाइजेशन के लिए हारमोन संबंधी ईलाज पर आने वाली लागत की अपेक्षा कम खर्च पर मादा पशुओं को अधिक संख्या में प्रजनन योग्य बनाया जा सकता है। विशेष पैकेज के प्रजनन सेवा घटक के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जाए।

(x) **गर्भवती पशु आहार कार्यक्रमः** इसमें पशुओं को गर्भधारण के अंतिम दिनों में, छः महीने से आगे तक, एक किलोग्राम पौष्टिक आहार प्रति गोपशु प्रतिदिन प्रदान करने का प्रावधान है। गर्भवती पशुओं के लिए उनके गर्भधारण के अंतिम दिनों में आहार कार्यक्रम से बच्चा जनने के बाद दूध अधिकता में प्राप्त होगा। इसके अलावा, गर्भधारण की तीसरी तिमाही में एंटी-हेल्मेन्टिक की एक खुराक तथा दूध उत्पादन के क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रसव के पहले सप्ताह के दौरान एक खुराक देने को भी स्वीकृत मिल गई है। इस उद्देश्य के लिए 1,010/- रुपए प्रति पशु की राशि को इस पैकेज के प्रजनन घटक के लिए उपलब्ध बची राशि से वहन किया जाएगा।

(xi) **बकरी, सूअर, कुक्कुट और भेड़ पालन का आरंभः** पहचान किए गए जिलों में प्रभावित लोगों की पूरक आय के सृजन के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने के लिए बकरी, सूअर, कुक्कुट और भेड़ पालन को भी विशेष पैकेज में शामिल किया गया है। पहचान किए गए लाभार्थी अपने स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इन विकल्पों को चुन सकते हैं।

(क) **बकरी पालनः** लाभार्थियों को शेड/उपकरण, एक वर्ष के आहार की लागत/स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ 40 मादा मृग तथा 2 मेढ़ों का एक यूनिट दिया जाएगा। इन सब पर 1,00,000/- रुपए का कुल निवेश बैठेगा। राजसहायता के रूप में 51,500/- रुपए की राशि होगी तथा शेष राशि बैंक ऋण के रूप में आएगी। 51,500/- रुपए की राजसहायता में से 32000/- रुपए पशुओं को शामिल करने, 9,540/- रुपए शेड तथा उपकरणों, 5,400/- रुपए आहार लागत तथा 4,060/- रुपए स्वास्थ्य तथा बीमा कवर के लिए है। दूसरे वर्ष से 40,000/- रुपए की वार्षिक लाभ सृजन करने के लिए इस घटक की व्यवस्था की गई है।

(ख) **सूअर पालनः** इस घटक के तहत तीन मादा सूअर तथा एक नर सूअर दिए जाएंगे, जिसमें पशुओं की लागत, शेड/उपकरण, एक वर्ष की आहार लागत, स्वास्थ्य/बीमा कवर पर कुल 90,933/- रुपए का निवेश बैठेगा। राजसहायता घटक में 6,500/- रुपए पशुओं को शामिल करने, 28,666/- रुपए शेड/उपकरणों 11,041/- रुपए आहार लागत तथा 1,300/- रुपए स्वास्थ्य/बीमा कवर के लिए है। आशा है कि यह घटक दूसरे वर्ष से 52,000/- रुपए का वार्षिक लाभ देने में सहायक होगा।

(ग) **कुक्कुट पालनः** इसमें 50-50 के दो समूहों में आहार के अपमार्जक पद्धति में 100 दोहरे प्रयोजन वाले निम्न आदान वाले प्रौद्योगिकी पक्षियों का प्रावधान है। पक्षियों, शेड तथा उपकरणों, अनुपूरक आहार लागत, स्वास्थ्य/बीमा पर कुल 13,000/- रुपए का निवेश है, जिसमें 6,500/- रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 50% की राजसहायता है।

(घ) **भेड़ पालनः** इस योजना के अतिरिक्त घटक के रूप में भेड़ पालन को 50% राजसहायता के साथ 40 भेड़ी और 2

भेड़ की यूनिट के लिए कुल 1 लाख रुपए का परिव्यय है। राजसहायता में 34,500/- रुपए पशुओं की खरीद तथा शेष राशि शेड/उपकरण, आहार लागत तथा स्वास्थ्य/बीमा कवर के लिए है।

(xii) **पेन तथा केज कल्चरः** पेन तथा केज कल्चर मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मत्स्य बीज पालन की आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं। मत्स्य बीज की उत्पादकता को जलाशयों में केज कल्चर के उपयोग के द्वारा कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार, पेन कल्चर कम लागतवाली और प्रभावकारी प्रौद्योगिकी है जो जलाशय के भीतर ही स्पॉन से लेकर फिंगरलिंग्स तक के चरण तक मत्स्य बीज पालन के लिए उपयुक्त है। 54 क्यू. मी. प्रति केज 13.2 किलोग्राम/क्यू. मी. प्रति क्रॉप की दर से फिंगरलिंग्स के उत्पादन के लिए 15,000/- रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें 10,000/- रुपए का पूंजीगत व्यय तथा 5000/- रुपए की प्रचालन लागत शामिल है। 6750/- रुपए की राशि राजसहायता के रूप में दी जाएगी तथा शेष बैंक ऋण के रूप में होगा। इन कार्यों से 6384/- रुपए के शुद्ध लाभ के साथ 21,384/- रुपए की आय के सृजन की व्यवस्था है।

(xiii) **इडुक्की जिले में कृषि निराशा को कम करना तथा कुट्टानड नम भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का विकासः** भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्र के पैकेज के हिस्से के रूप में इन दो तथा मात्सयिकी क्षेत्र के पैकेज के हिस्से के रूप में इन दो पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। 'इडुक्की में कृषि निराशा कम करना' के लिए कुल परिव्यय 91.15 करोड़ रुपए है तथा 'कुट्टानड नम भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास' के लिए कुल परिव्यय 9.50 करोड़ रुपए है। इन दोनों ही मामलों में, केरल सरकार को मौजूदा योजनाओं तथा वित्त पोषण की पद्धति के लिए स्वीकृत दिशा निर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुरूप भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। इन प्रस्तावों की जांच के बाद, आवश्यकता आधारित वित्तीय आबंटन प्रदान किए जाएंगे।

10.6 प्रगति

10.6.1 इस वर्ष क्रियान्वयन ने धीरे-धीरे गति पकड़ी, यद्यपि यह वांछित स्तर तक नहीं पहुंचा सका। 2006-07 से 2008-09 के दौरान जारी 354.86 करोड़ रुपए की राशि में से 132.91 करोड़ रुपए की राशि 2008-09 में जारी की गई है।

अनुबंध

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का संगठनात्मक चार्ट और प्रभागों के बीच कार्य आबंटन

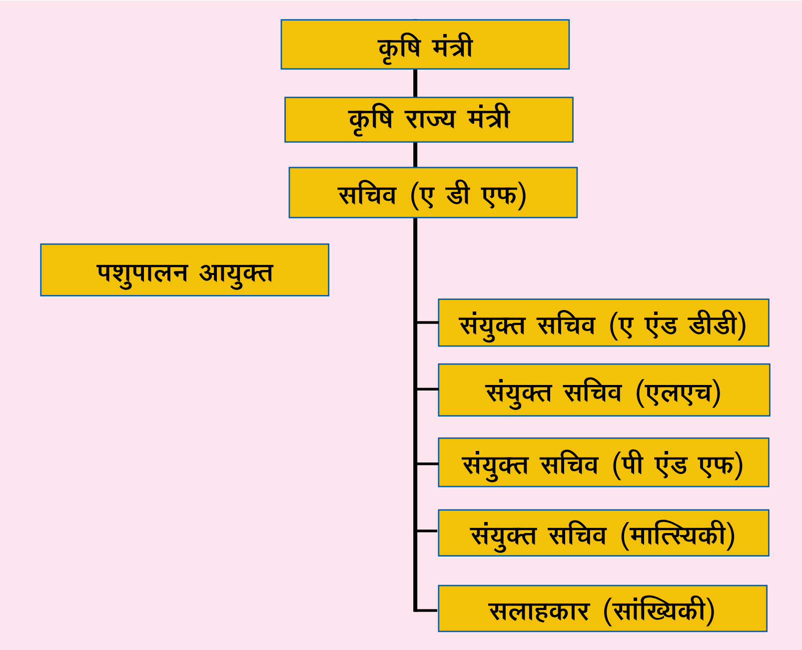

कार्य आबंटन

पशुपालन आयुक्त

राष्ट्रीय पशुधन नीति, जैव विविधता और पशु आनुवंशिक संसाधन, पशु देखभाल/पशु कल्याण ।

संयुक्त सचिव (ए एंड डी डी)

प्रशासन, केंद्रीय गोपशु विकास संगठन, एनपीसीबीबी, डेयरी विकास, दिल्ली दुग्ध योजना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डेयरी प्रभाग से संबंधित सभी मामले, संसद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सतर्कता

संयुक्त सचिव (एल एच)

पशुधन स्वास्थ्य,भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवाएं, योजना समन्वय, व्यापार और कोडेक्स मामले।

संयुक्त सचिव(पी एंड एफ)

कुक्कुट, केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, आहार और चारा, केन्द्रीय चारा विकास संगठन, बकरी, भेड़, सूअर, अश्व एवं भारवाही पशु, बूचड़खाने, मीट और मीट उत्पाद, सामान्य समन्वय, पशुपालन विस्तार, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत।

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)

मात्स्यिकी, मात्स्यिकी संस्थानों नामतः एफएसआई, सिफनैट, एनआईएफपीएचएटीटी और सीआईसीईएफ की नीति, विनियमन तथा विकास से संबंधित सभी मामले और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से संबंधित मामले।

सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगणना, पशुधन बीमा, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले।

II

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को आबंटित विषयों की सूची

भाग-1

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में आते हैं:

1. उद्योग जहां तक पशुधन, मत्स्य और पक्षी आहार तथा डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य उत्पादों के विकास के संबंध में इनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद में पारित विधि द्वारा लोकहित में इस शर्त पर उपयुक्त घोषित किया गया हो कि इन उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्य उनकी मांगों के निरूपण और लक्ष्यों के निर्धारण के कार्यक्षेत्र से बाहर न हों।
2. पशुधन, कुक्कुट और मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क और सहयोग।
3. पशुधन गणना।
4. पशुधन सांख्यिकी।
5. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई पशुधन हानि से संबंधित विषय।
6. पशुधन आयात का विनियमन, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण।
7. मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और प्रादेशिक जल से बाहर)।
8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

भाग-2

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-3 में आते हैं:-

9. पशुचिकित्सा प्रेक्टिस व्यवसाय।
10. पशुओं, मत्स्य, पक्षियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक अथवा संसर्गजन्य रोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाव को रोकना।
11. स्वदेशी नस्लों का परिवर्तन, पशुधन की स्वदेशी नस्लों के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पुस्तक शुरू करना और उसका रख-रखाव।
12. विभिन्न राज्य उपक्रमों को सहायता देने की प्रणाली, राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से डेयरी विकास योजनाएं

भाग-3

केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ऊपर भाग-1 तथा भाग-2 में उल्लिखित विषय जहां तक वे इन प्रदेशों में अस्तित्व में हैं तथा निम्नलिखित विषयों के साथ-साथ जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 में शामिल हैं:

13. स्टॉक का परिरक्षण, संरक्षण तथा सुधार करना और पशु, मछली और पक्षियों के रोगों की रोकथाम, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण एवं प्रेक्टिस।
14. कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स।
15. पशुधन, मछली और पक्षियों का बीमा।

भाग-4

16. गोपशु उपयोग और वध से संबंधित मामले।
17. चारा विकास।

III

सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

I. पशुपालन प्रभाग

1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धाम रोड, जिला सूरत (गुजरात)।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, अंदेशनगर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।
3. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सिमिलीगुड़ी, पोस्ट सुनाबेड़ा, (कोरापुट), उड़ीसा।
4. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, राजस्थान।
5. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, पो0 बसन्तपुर, जिला सम्बलुपर, उड़ीसा।
6. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट अवाड़ी, अलामाधि, मद्रास-600052
7. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट हैस्सरघट्टा, बंगलौर (उत्तरी)।
8. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, बंगलौर(उत्तरी)।
9. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, डब्ल्यू-15, जगदीश कालोनी, रोहतक(हरियाणा)।
10. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, डब्ल्यू-34, जी एन एम कालोनी, कृष्णगंज, अजमेर-305001
11. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, 10, गौत्तम विहार सहकारी आवास समिति, उस्मानपुर, अहमदाबाद।
12. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, संथापेट, ओंगोले-523001, जिला प्रकाशम(आंध्र प्रदेश)।
13. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, नेताजी सुभाष सेनीटोरियम, कल्याणी जिला नाडिया (पश्चिम बंगाल)।
14. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, 48, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर(जम्मू एवं कश्मीर)।
15. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
16. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, पोस्ट टैक्सटाइल मिल, हिसार(हरियाणा)।
17. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, जी.ए., 128/2, सैक्टर नं0 30, गांधीनगर (गुजरात)।
18. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, आवाड़ी, अलामाधि, मद्रास-600052
19. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, मामिडिपल्ली, वाया केशवगिरी, हैदराबाद-500005(आंध्र प्रदेश)।
20. केन्द्रीय चारा बीज फार्म, हैस्सरघ्ट्टा, बंगलौर उत्तर।
21. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, दिल्ली गुड़गांव रोड, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
22. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, बेलिचेरी मेन रोड, पोस्ट पल्लीकरणी गांव, चेन्नई- 501302
23. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, गोपालपुरं गांव, पोस्ट गोपालपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
24. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, मुम्बई-400056
25. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र हैदराबाद ।
26. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, पत्र पेटी सं0 10, हिसार-125011(हरियाणा)।
27. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, दक्षिण क्षेत्र, हैस्सरघट्टा, बंगलौर (उत्तर)।
28. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र,, भुवनेश्वर-751022(उड़ीसा)।
29. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कालोनी, मुम्बई।
30. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़(हरियाणा)।
31. केन्द्रीय कुक्कुट कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र, गुड़गांव(हरियाणा)

II. डेयरी विकास प्रभाग

32. दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

III. मात्स्यिकी प्रभाग

33. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर।
34. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।
35. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।
36. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या - 2003

(आंकड़े हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरियां	सुअर	घोड़े और टट्टू	खच्चर	गधे	ऊंट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
आन्ध्र प्रदेश	9300	10630	21376	6277	570	9	-	33	-	0	0	48195	102278
अरूणाचल प्रदेश	458	11	19	231	330	7	-	0	0	9	192	1257	1743
असम	8440	678	170	2987	1543	12	-	0	0	0	0	13830	21664
बिहार	10729	5743	382	9490	672	117	4	23	1	0	0	27161	13911
छत्तीसगढ़	8882	1598	121	2336	552	4	-	-	-	0	0	13492	8181
गोवा	76	37	0	11	87	-	-	0	-	0	0	212	566
गुजरात	7424	7140	2062	4541	351	18	1	65	53	0	0	21655	8153
हरियाणा	1540	6035	633	460	120	25	14	8	50	0	0	8885	13619
हिमाचल प्रदेश	2236	774	926	1125	3	18	24	9	0	2	0	5117	767
जम्मू एवं कश्मीर	3084	1039	3411	2055	2	172	40	24	2	47	24	9900	5568
झारखंड	7659	1343	680	5031	1108	5	-	-	-	0	0	15826	14429
कर्नाटक	9539	3991	7256	4484	312	14	-	25	-	0	0	25621	25593
केरल	2122	65	4	1213	76	-	-	-	-	0	0	3480	12216
मध्य प्रदेश	18913	7575	546	8142	358	32	4	39	8	0	0	35617	11705
महाराष्ट्र	16303	6145	3094	10684	439	40	1	57	-	0	0	36763	37968
मणिपुर	418	77	6	33	415	2	0	0	0	0	20	971	2941
मेघालय	767	18	18	327	419	2	0	0	0	0	0	1552	2821
मिजोरम	36	6	1	17	218	2	-	0	0	0	2	281	1125
नागालैंड	451	34	4	175	644	1	-	0	0	0	40	1349	2789
उड़ीसा	13903	1394	1620	5803	662	-	-	9	-	0	0	23392	17611
पंजाब	2039	5995	220	278	29	29	9	5	3	0	0	8607	10779
राजस्थान	10854	10414	10054	16809	338	25	3	143	498	-	0	49138	6192
सिक्किम	159	2	6	124	38	2	0	0	0	7	0	337	322
तमिलनाडु	9141	1658	5593	8177	321	25	0	26	0	0	0	24941	86591
त्रिपुरा	759	14	3	472	209	-	0	0	0	0	0	1457	3057
उत्तर प्रदेश	18551	22914	1437	12941	2284	154	52	182	16	0	0	58531	11718
उत्तरांचल	2188	1228	296	1158	33	17	22	1	0	0	0	4943	1984
पश्चिम बंगाल	18913	1086	1525	18774	1301	18	-	-	0	0	0	41617	60656
अंडमान एवं निकोबार	64	16	0	64	52	0	0	0	0	0	0	196	931
चंडीगढ़	6	23	0	1	0	-	-	-	-	0	0	30	152
दादर एवं नगर	50	4	0	21	3	-	0	0	0	0	0	78	106
दमन एवं दियु	4	1	0	4	0	-	0	0	-	0	0	10	29
दिल्ली	92	231	3	17	28	1	1	1	0	0	0	374	459
लक्षद्वीप	4	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	51	146
पांडिचेरी	78	4	3	48	1	-	0	-	0	0	0	134	244
अखिल भारत	**185181**	**97922**	**61469**	**124358**	**13519**	**751**	**176**	**650**	**632**	**65**	**278**	**485002**	**489012**

स्रोतः 17वीं भारतीय पशुधन संगणना, अखिल भारतीय संक्षिप्त रिपार्ट

प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन- अखिल भारतीय

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (मिलियन संख्या)	ऊन (मिलियन कि0ग्रा0)	मीट । (मिलियन टन)
1950-51	17.0	1,832	27.5	-
1955-56	19.0	1,908	27.5	-
1960-61	20.0	2,881	28.7	-
1968-69	21.2	5,300	29.8	-
1973-74	23.2	7,755	30.1	-
1979-80	30.4	9,523	30.9	-
1980-81	31.6	10,060	32.0	-
1981-82	34.3	10,876	33.1	-
1982-83	35.8	11,454	34.5	-
1983-84	38.8	12,792	36.1	-
1984-85	41.5	14,252	38.0	-
1985-86	44.0	16,128	39.1	-
1986-87	46.1	17,310	40.0	-
1987-88	46.7	17,795	40.1	-
1988-89	48.4	18,980	40.8	-
1989-90	51.4	20,204	41.7	-
1990-91	53.9	21,101	41.2	-
1991-92	55.7	21,983	41.6	-
1992-93	58.0	22,929	38.8	-
1993-94	60.6	24,167	39.9	-
1994-95	64.0	25,975	40.6	-
1995-96	66.2	27,187	42.4	-
1996-97	69.1	27,496	44.4	-
1997-98	72.1	28,680	45.6	-
1998-99	75.4	29,476	46.9	1.9
1999-2000	78.3	30,447	47.9	1.9
2000-01	80.6	36,632	48.4	1.9
2001-02	84.4	38,729	49.5	1.9
2002-03	86.2	39,823	50.5	2.1
2003-04	88.1	40,403	48.5	2.1
2004-05	92.5	45,201	44.6	2.2
2005-06	97.1	46,166	44.9	2.3
2006-07	100.9	50,663	45.1	2.3
2007-08	104.8	53,524	44.0	2.6

* मान्यता प्राप्त क्षेत्र से

- उपलब्ध नहीं

VI

2002-03 से 2007-08 की अवधि के दौरान राज्य-वार मछली उत्पादन

('000 टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1. आन्ध्र प्रदेश	827.90	944.64	853.05	891.09	856.93	1010.08
2. अरूणाचल प्रदेश	2.60	2.65	2.70	2.75	2.77	2.83
3. असम	165.52	181.00	186.31	188.00	181.48	190.32
4. बिहार	261.00	266.49	267.51	279.53	267.04	319.10
5. गोवा	76.53	87.36	990.44	104.95	102.39	33.43
6. गुजरात	777.91	654.62	635.21	733.82	747.33	721.91
7. हरियाणा	35.18	39.13	42.05	48.20	60.08	67.24
8. हिमाचल प्रदेश	7.24	6.53	6.90	7.29	6.89	7.85
9. जम्मू एवं कश्मीर	19.75	19.75	19.10	19.15	19.20	17.33
10. कर्नाटक	266.42	257.00	251.23	297.57	292.46	297.69
11. केरल	678.32	684.7	678.31	636.89	677.63	667.33
12. मध्य प्रदेश	42.17	50.82	62.06	61.08	65.04	63.89
13. महाराष्ट्र	514.10	545.13	548.02	580.55	595.94	556.45
14. मणिपुर	16.60	17.60	17.80	18.22	18.61	18.60
15. मेघालय	5.37	5.15	5.64	4.12	5.49	4.00
16. मिजोरम	3.25	3.38	3.68	3.75	3.76	3.76
17. नागालैंड	5.50	5.56	4.90	5.50	5.80	5.80
18. उड़ीसा	287.53	306.9	315.59	325.45	342.04	349.48
19. पंजाब	66.00	83.65	77.70	85.64	86.70	78.73
20. राजस्थान	25.60	14.3	16.39	18.50	22.20	25.70
21. सिक्किम	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.18
22. तमिलनाडु	437.50	474.14	459.43	463.03	542.28	559.36
23. त्रिपुरा	29.52	17.98	19.84	23.87	28.63	36.25
24. उत्तर प्रदेश	249.84	267.00	277.07	289.58	306.73	325.95
25. पश्चिम बंगाल	1120.00	1169.60	1215.00	1250.00	1359.10	1447.26
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	28.30	31.15	32.68	12.09	28.68	28.68
27. चंडीगढ़	0.08	0.08	0.08	0.09	0.17	0.21
28. दादर एवं नागर हवेली	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
29. दमन एवं दीयु	11.26	13.77	12.51	17.79	16.41	26.36
30. दिल्ली	2.25	2.10	1.41	0.70	0.61	0.61
31. लक्षद्वींप	7.50	10.03	11.96	11.96	11.75	11.04
32. पांडिचेरी	45.02	48.00	36.75	21.45	39.66	39.01
33. छत्तीसगढ़	99.80	111.05	120.07	131.75	137.75	139.37
34. उत्तरांचल	2.55	2.56	2.57	2.79	3.03	3.09
35. झारखंड	45.38	75.38	22.00	34.27	34.27	67.89
कुल	**6199.68**	**6399.39**	**6304.75**	**6571.62**	**6869.05**	**7126.83**

स्त्रोत - राज्य/संघ शासित प्रदेश

भारत के समुद्री मात्स्यिकी संसाधन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	तटवर्ती रेखा की लंबाई (लगभग) (किलोमीटर)	कांटिनेंटल शेल्फ (000 किलोमीटर वर्ग)	मछली उतारने वाले केन्द्रों की संख्या	मत्स्यन गांवों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	974	33	271	498
गोवा	104	10	34	39
गुजरात	1600	184	123	263
कर्नाटक	300	27	88	156
केरल	590	40	178	222
महाराष्ट्र	720	112	152	406
उड़ीसा	480	26	57	641
तमिलनाडु	1076	41	352	581
पश्चिम बंगाल	158	17	44	346
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1912	35	25	100
दमन एवं दीयू	27	-	7	22
लक्षद्वीप	132	4	19	20
पांडिचेरी	45	1	26	28
कुल	**8118**	**530**	**1376**	**3322**

स्रोत: समुद्री मात्स्यिकी संगणना, 2005.

VIII

भारत का अंतर्देशीय जल संसाधन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नदियां तथा नहर (किलोमीटर)	जलाशय (लाख हैक्टेयर)	टेंक तथा तालाब (लाख हैक्ट`यर)	बाढ़ समतल झीलें तथा परित्यक्त जल निकाय (लाख हैक्ट`यर)	खारा जल (लाख हैक्ट`यर)	कुल जल निकाय (लाख हैक्ट`यर)
1	आन्ध्र प्रदेश	11514	2.34	5.17	-	0.60	8.11
2	अरूणाचल प्रदेश	2000	-	2.76	0.42	-	3.18
3	असम	4820	0.02	0.23	1.10	-	1.35
4	बिहार	3200	0.60	0.95	0.05	-	1.60
5	गोवा	250	0.03	0.03	-	Neg.	0.06
6	गुजरात	3865	2.43	0.71	0.12	1.00	4.26
7	हरियाणा	5000	Neg.	0.10	0.10	-	0.20
8	हिमाचल प्रदेश	3000	0.42	0.01	-	-	0.43
9	जम्मू एवं कश्मीर	27781	0.07	0.17	0.06	-	0.30
10	कर्नाटक	9000	4.40	2.90	-	0.10	7.40
11	केरल	3092	0.30	0.30	2.43	2.40	5.43
12	मध्य प्रदेश	17088	2.27	0.60	-	-	2.87
13	महाराष्ट्र	16000	2.79	0.59	-	0.10	3.48
14	मणिपुर	3360	0.01	0.05	0.04	-	0.10
15	मेघालय	5600	0.08	0.02	Neg	-	0.10
16	मिजोरम	1395	-	0.02	-	-	0.02
17	नागालैंड	1600	0.17	0.50	Neg	-	0.67
18	उड़ीसा	4500	2.56	1.14	1.80	4.30	9.80
19	पंजाब	15270	Neg	0.07	-	-	0.07
20	राजस्थान	5290	1.20	1.80	-	-	3.00
21	सिक्किम	900	-	-	0.03	-	0.03
22	तमिलनाडु	7420	5.70	0.56	0.07	0.60	6.93
23	त्रिपुरा	1200	0.05	0.13	-	-	0.18
24	उत्तर प्रदेश	28500	1.38	1.61	1.33	-	4.32
25	पश्चिम बंगाल	2526	0.17	2.76	0.42	2.10	5.45
26	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	115	0.01	0.03	-	1.20	1.24
27	चंडीगढ़	2	-	Neg	Neg	-	0.00
28	दादर एंड नागर हवेली	54	0.05	-	-	-	0.05
29	दमन एवं दीयू	12	-	Neg.	-	Neg.	0.00
30	दिल्ली	150	0.04	-	-	-	0.04
31	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	0.00
32	पांडिचेरी	247	-	Neg	0.01	Neg.	0.01
33	छत्तीसगढ़	3573	0.84	0.63	-	-	1.47
34	उत्तरांचल	2686	0.20	0.01	0.00	-	0.21
35	झारखंड	4200	0.94	0.29	-	-	1.23
	कुल	**195210**	**29.07**	**24.14**	**7.98**	**12.40**	**73.59**

स्रोतः राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश.

IX

मछली बीज का उत्पादन

वर्ष	मछली बीज (मिलियन फ्राई में)
1973-74 (चौथी योजना का अंत)	409
1978-79 (पांचवी योजना का अंत)	912
1984-85 (छठी योजना का अंत)	5,639
VII Plan	
1985-86	6,322
1986-87	7,601
1987-88	8,608
1988-89	9,325
1989-90	9,691
वार्षिक योजनाएं	
1990-91	10,332
1991-92	12,203
VIII Plan	
1992-93	12,499
1993-94	14,239
1994-95	14,544
1995-96	15,007
1996-97	15,853
नौवीं योजना	
1997-98	15,904
1998-99	15,156
1999-2000	16,589
2000-01	15,608
2001-02	15,758
X Plan	
2002-03	16,333
2003-04	19,231
2004-05	20,790
2005-06	22,614
2006-07	31,688
2007-08	24,143

स्रोतः राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश.

X

2007-08 और 2008-09 के दौरान वित्तीय आबंटन और व्यय

(रुपए करोड़ में)

S.N.	SCHEMES	BE 2007-08	RE 2007-08	Exp 2007-08	BE 2008-09	RE 2008-09	Exp 2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
I	पशुपालन						
A	केन्द्रीय प्रायोजित योजना						
1	राष्ट्रीय पशुधन विकास परियोजना	88.98	71.65	69.27	85.00	102.13	99.06
1.1	गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	51.00	51.00	49.48	61.00	89.70	87.37
1.2	कुक्कुट विकास (राज्य कुक्कुट/बतख फार्मों, ग्रामीण घरेलू कुक्कुट, कुक्कुट संपदाओं को सहायता)	35.75	18.84	18.43	22.09	10.52	9.74
1.3	बूचड़खाना एवं सीयू संयंत्र परियोजना (सचल बूचड़खानों प्लांटों सहित ग्रामीण बूचड़खानो की स्थापना/आधुनिकीकरण, मृत पशुओं की उपयोगिता)	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
1.4	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	2.21	1.79	1.36	1.90	1.90	1.95
2	आहार एवं चारा परियोजना	8.13	8.59	9.20	10.00	10.97	9.28
3	पशुधन बीमा	35.00	21.82	16.17	16.00	8.50	6.50
4	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	83.00	106.48	122.18	120.00	142.82	147.30
4.1	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	52.11	69.04	83.97	77.75	99.75	104.23
4.2	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	3.15	3.85	4.32	4.00	4.85	4.85
4.3	व्यवसायिक दक्षता का विकास	2.75	3.65	3.65	4.20	4.20	4.20
4.4	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	24.95	29.90	30.24	34.05	34.02	34.02
4.5	मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों का सुदृढ़ीकरण (नया)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	राष्ट्रीय पी पी आर नियंत्रण कार्यक्रम (नया)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (नया)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस) (नया)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5	पशुधन विस्तार एवं डिलीवरी सेवाएं (प्राइवेट पशुचिकित्सा क्लिनिक को और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के लिए सहायता, पशुधन विस्तार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल सीएसएस (पशुपालन)	**215.11**	**208.54**	**216.82**	**231.00**	**264.42**	**262.14**
B	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं						
1	पशुधन संगणना	60.90	60.90	76.38	130.00	126.80	126.69
2	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	7.00	7.00	6.80	9.00	9.00	5.78
3	केंद्रीय गोपशु विकास संगठन	12.00	13.36	12.88	14.00	19.72	17.25
4	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1.40	1.60	1.12	2.00	2.21	2.20
5	केंद्रीय चारा विकास संगठन	9.50	10.20	9.54	8.00	10.70	11.79
6	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5.60	6.06	6.07	6.00	9.90	10.46
7	पशु स्वास्थ्य निदेशालय	19.64	12.65	8.52	10.00	17.95	10.14
8	छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोश का एकीकृत विकास (नई)	10.22	0.04	0.00	15.00	0.02	0.00
9	सुअर विकास (नई)	9.48	0.04	0.00	8.00	0.03	0.00
10	नर भैंस बछड़ों को बचाना और पालना (नई)	0.01	0.01	0.00	25.00	0.05	0.00
11	खाद्य सुरक्षा एवं पहचान (नई)	0.01	0.01	0.00	3.00	0.01	0.00
12	कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष (नई)	0.02	0.02	0.00	20.00	0.50	0.00
13	पशुधन खाद्य निगम स्थापित करना	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14	हिफ्फर पालन के लिए विशेष आहार कार्यक्रम	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15	100 संभावनापूर्ण जिलों में संसाधन मेपिंग और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और सुअरों में उद्यमी कार्यक्रमों का संवर्धन	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल सीएस (पशुपालन)	**135.81**	**111.92**	**121.31**	**250.00**	**196.89**	**184.31**
	कुल पशुपालन (सीएसएस और सीएस)	**350.92**	**320.46**	**338.13**	**481.00**	**461.31**	**446.45**

S.N.	SCHEMES	BE 2007-08	RE 2007-08	Exp 2007-08	BE 2008-09	RE 2008-09	Exp 2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
II	**डेयरी विकास**						
A	केंद्रीय प्रायोजित योजना						
1	डेयरी विकास परियोजनाएं	39.00	52.76	55.56	50.00	53.10	52.91
1.1	डेयरी विकास के लिए परियोजना (स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सहित) (गैर संभावनापूर्ण जिलों के लिए डीएएचडी)	39.00	52.76	55.56	49.99	53.09	52.91
1.2	राष्ट्रीय डेयरी योजना	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	कुल सीएसएस (डेयरी विकास)	**39.00**	**52.76**	**55.56**	**50.00**	**53.10**	**52.91**
B.	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं						
1	सहकारिताओं को सहायता	3.50	5.50	5.05	7.00	9.00	9.00
2	दिल्ली दुग्ध योजना	1.00	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00
3	डेयरी पूंजीगत उद्यम कोष	45.00	49.99	49.99	40.00	35.00	35.00
	कुल सीएस (डेयरी विकास)	49.50	56.49	55.94	48.00	45.00	45.00
	कुल डेयरी विकास (सीएसएस और सीएस)	88.50	109.25	111.50	98.00	98.10	97.91
III	**मात्स्यिकी**						
A.	केंद्रीय प्रायोजित योजना						
1	अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास	9.00	12.03	12.84	12.00	12.90	13.60
2	समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधा और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास	32.00	40.50	41.49	45.00	44.99	49.56
3	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना	18.38	20.88	21.38	25.00	25.00	25.17
	कुल सीएसएस (मात्स्यिकी)	**59.38**	**73.41**	**75.71**	**82.00**	**82.89**	**88.33**
B.	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं**						
1	मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	2.80	2.80	2.53	3.00	3.00	2.47
2	मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता	43.00	41.93	33.92	55.00	47.60	40.90
2.1	केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरी संस्थान	11.50	10.30	4.39	10.00	7.00	7.02
2.2	केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.13
2.3	राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान	1.50	1.59	1.40	1.90	2.00	1.94
2.4	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)	30.00	30.04	28.13	43.00	38.50	31.81
3.	**राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड**	100.50	50.00	50.00	75.00	46.90	46.90
	कुल सीएस (मात्स्यिकी)	**146.30**	**94.73**	**86.45**	**133.00**	**97.50**	**90.27**
	कुल मात्स्यिकी (सीएसएस और सीएस)	**205.68**	**168.14**	**162.16**	**215.00**	**180.39**	**178.60**
	सचिवालय तथा आर्थिक सेवाएं	4.90	5.15	5.34	6.00	6.00	4.87
	आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष प्रस्ताव	170.00	170.00	131.61	160.00	160.00	132.91
	बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएं (एवियन इंफ्लूएंजा	90.00	37.00	35.34	40.00	34.20	12.12
	सकल योग	**910.00**	**810.00**	**784.08**	**1000.00**	**940.00**	**872.86**

पशुचिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पशुचिकित्सा अस्पतालों/ पोलीक्लीनिक	पशुचिकित्सा डिस्पेंसरी	पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र/स्टाक मैन केन्द्र/ मोबाइल डिस्पेंसरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	303	1794	2879
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	93	189
3.	असम	29	428	1213
4.	बिहार	39	785	1435
5.	छत्तीसगढ़	208	708	290
6.	गोवा	5	21	52
7.	गुजरात	14	487	587
8.	हरियाणा	673	999	745
9.	हिमाचल प्रदेश	335	1721	14
10.	जम्मू एवं कश्मीर	303	1585	14
11.	झारखंड	405	3	-
12.	कर्नाटक	294	1451	2029
13.	केरल	213	880	26
14.	मध्य प्रदेश	565	1742	72
15.	महाराष्ट्र	43	1382	2056
16.	मणिपुर	55	109	34
17.	मेघालय	4	70	151
18.	मिजोरम	5	35	103
19.	नागालैंड	4	27	127
20.	उड़ीसा	-	540	2939
21.	पंजाब	1362	1486	12
22.	राजस्थान	1439	285	1733
23.	सिक्किम	12	25	58
24.	तमिलनाडु	167	1156	1854
25.	त्रिपुरा	15	56	396
26.	उत्तर प्रदेश	1763	268	2313
27.	उत्तरांचल	295	11	588
28.	पश्चिम बंगाल	111	612	3248
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10	11	7
30.	चंडीगढ़	5	10	1
31.	दादर एंड नागर हवेली	1	0	10
32.	दमन एवं दीयू	0	2	3
33.	दिल्ली	49	27	1
34.	लक्षद्वीप	3	6	8
35.	पांडिचेरी	2	15	8
	कुल	**8732**	**18830**	**25195**

स्त्रोतः राज्य पशुपालन विभाग .

XII

2007-2008 के दौरान पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र द्वारा प्रदर्शित पशुधन एवं पशुधन उत्पाद

क्र. सं.	मद	2007-08	
		आयात	निर्यात
1.	जलीय पशु (झींगा, मछली इत्यादि)	2,61,400 संख्या	1,02,203 संख्या.
2.	पक्षी	-	1 संख्या.
3.	बिल्ली	125 संख्या	143 संख्या
4.	जी.पी.चूजे	2,46,991 संख्या.	2,94,907 संख्या.
5.	कुत्ता	940 संख्या	533 संख्या
6.	अश्व	199 संख्या	8 संख्या
7.	प्रयोगशाला पशु (गुनिया पिग, चूहा, चूहिया, खरगोश इत्यादि)	9,866 संख्या	1,489 संख्या
8.	भेड़/बकरी	-	7,258 संख्या
9.	सरीसृप (मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली इत्यादि)	393 संख्या	7 संख्या
10.	चिड़ियाघर पशु	6 संख्या	2 संख्या
11.	पशु उप-उत्पाद (तैयार चमड़ा, खाल, ऊन, पंख, बाल इत्यादि)	19,38,913 कि.ग्रा.	2,69,588 कि.ग्रा.
12.	एंटी सेरेम	1,420 कि.ग्रा.	303 कि.ग्रा.
13.	बाईल एसिड	600 कि.ग्रा.	-
14.	हड्डी एवं हड्डी उत्पाद (हड्डी चूर्ण, हड्डी ग्रिस्ट इत्यादि)	-	52,86,233 कि.ग्रा.
15.	मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद (प्रशीतित, हिमित, ऑयल पेस्ट पाऊडर मत्स्य खाद्य सामग्री, झींगा खाद्य सामग्री, आरटेमिया सिस्ट इत्यादि)	99,61,114 कि.ग्रा.	79,58,193 कि.ग्रा.
16.	फेटल बोवाईन सिरम	74,654 कि.ग्रा.	
17.	हेचिंग अंड़े	3500 संख्या	21,94,887 संख्या
18.	खुर और सींग उत्पाद (सूखा आहार, ग्रिस्ट इत्यादि)	-	1,25,77,306 कि.ग्रा.
19.	लैक्टोस	70 कि.ग्रा.	-
20.	लैनोनिन एनहाइड्रोस	1,780 कि.ग्रा.	1,12,640 कि.ग्रा.
21.	मीट एवं मीट उत्पाद (मेमना, कुक्कुट, सुअर इत्यादि)	54,25,363 कि.ग्रा.	233 कि.ग्रा.
22.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (चीज़, घी, वे पाऊडर, केसिन, आइस्क्रीम, मक्खन, योगर्ट इत्यादि)	98,72,940 कि.ग्रा.	18,51,180 कि.ग्रा.
23.	पेट फूड/डॉग च्यूस	2,47,464 कि.ग्रा.	5,26,742 कि.ग्रा.
24.	सुअर के बाल	-	550 कि.ग्रा.
25.	एस पी एफ अंडे	-	3,150 संख्या
26.	टीके	-	10,32,400 खुराक
27.	ओसिन/जिलेटिन	-	37,39,666कि.ग्रा.
28.	बैल का पित्त	-	1,45,000 कि.ग्रा.
29.	कुक्कुट आहार प्रीमिक्स	917 बैग	-
30.	खरगोश ब्रेन पाऊडर	100 कि.ग्रा.	-
31.	चूहा और चूहिया आहार	2250 कि.ग्रा.	-
32.	जिलेटिन केपसूल	-	567,56,80,000 संख्या
33.	केटगट सूट.	-	37,430 कि.ग्रा.
34.	हाईड ग्लू	-	19,900 कि.ग्रा.
35.	पशु/कुक्कुट आहार	-	5,06,001 कि.ग्रा.
36.	शेलेक डिवैक्स्ड	-	81,799 कि.ग्रा.
37.	एंडोक्स सूखा	-	57,000 कि.ग्रा.
38.	लाइसोफोटे सूखा	-	13,000 कि.ग्रा.
39.	माइक्रो कर्ब ए डब्ल्यू लिक्विड	-	2,28,000 कि.ग्रा.
40.	टाक्सीबाईंड सूखा	-	71,000 कि.ग्रा.

XIII

2007 के दौरान भारत में हुए पशुरोगों का विवरण

क्र. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	संख्या		
			प्रकोप	हानि	मृत्यु
1.	खुरपका एवं मुंहपका रोग	बोवाईन भैंस ओवाईन/कैप्राईन स्वाईन	1,547	40,308 5,431 5,355 7	1,005 23 309 1
2.	पेस्ट बेस पेटीज रयूमीनेट्स (पीपीआर)	ओवाईन/कैप्राईन	434	18,328	4,025
3.	ब्लू टंग	ओवाईन/कैप्राईन	302	3,856	545
4.	भेड़ चेचक और बकरी चेचक	ओवाईन/कैप्राईन	777	18,261	3,681
	गोपशु चेचक	बोवाईन	2	3	0
	भैंस चेचक	भैंस	9	34	0
5.	क्लासिकल स्वाईन फीवर	स्वाईन	93	2,996	950
6.	न्यूकॉसल रोग	एवियन	280	75,726	14,423
7.	हाईली पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा	एवियन	1	144	133
8.	ब्लैंडर्स	अश्व	2	27	18
9.	एन्थैक्स	बोवाईन भैंस ओवाईन/कैप्राईन	111	209 0 281	186 0 266
10.	रेबीज़	बोवाईन भैंस कैनाईन ओवाईन/कैप्राईन	43	295 1 0 5	295 1 0 5
11.	बोवाईन एनाप्लाज्मोसिस	बोवाईन भैंस	13 0	86 0	0 0
12.	बोवाईन बेबेसियोसिस	बोवाईन भैंस	45 0	1,668 0	13 0
13.	ब्रूसेलोसिस	बोवाईन ओवाईन/कैप्राईन	...	... ...	... ...
14.	हेमरेजिक सेप्टिसिमिया	बोवाईन भैंस	470	1,884 743	757 332
15.	संक्रामक कैप्राईन प्लूरोनिमोनिया	कैप्राईन	2	163	87c
16.	सूर्रा/ट्राईपेनोसोमेसिस	बोवाईन भैंस अश्व ऊंठ ओवाईन/कैप्राईन	27	299 0 6 0 4	7 0 4 0 3
17.	पोरसिन ब्रूसोलेसिस	स्वाईन	...	...	...
18.	बतख वायरस एंटरिटिस (बतख प्लेग)	एवियन	20	364	117
19.	फॉऊल कोलेरा	एवियन	6	307	294

क्र. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	संख्या		
			प्रकोप	हानि	मृत्यु
20.	फॉऊल चेचक	एवियन	72	3,787	388
21.	फॉऊल टाईफाईड/साल्मोनेलोसिस	एवियन	3	30	10
22.	संक्रामक ब्रूसल रोग (गुमबोरो)	एवियन	177	28,048	7,292
23.	मैरेक रोग	एवियन	0	0	0
24.	एवियन माइकोप्लाज्मोसिस/क्रॉनिक रेस. रोग	एवियन	165	29,046	16,194
25.	ब्लैक लेग/ब्लैक क्वार्टर	बोवाईन भैंस ओवाईन/कैप्राईन	467	1,937 95 5	742 21 5
26.	सोसिडियोसिस	एवियन बोवाईन भैंस ओवाईन/कैप्राईन स्वाईन	204	11,309 51 0 0 47	4,600 12 0 0 0
27.	डिस्टोमैटोसिस (यकृत फ्लूक)/ फैसियोलियोसिस	बोवाईन भैंस ओवाईन/कैप्राईन स्वाईन	85	3,91,402 0 213 12	2 0 27 0
28.	एंटेरोटाक्सिमिया	ओवाईन/कैप्राईन	462	6,782	1,969
29.	मेंज	बोवाईन कैनाईन ओवाईन/कैप्राईन अश्व/ऊंट स्वाईन	290	8 15 0 1,436 3,358	0 0 0 0 0
30.	संक्रामक कोरिजा	एवियन	5	10,200	18

XIV

2008-09 में और 2011-12 तक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए 100 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम
1	आंध्र प्रदेश (8)
	1 खम्मम *#
	2 अनन्तपुर *
	3 अदिलाबाद *
	4 कुरनूल *
	5 नेल्लोर *
	6 कुड्डपाह *
	7 महबूबनगर *
	8 वारंगल *
2	अरुणाचल प्रदेश (2)
	9 पश्चिम सियांग
	10 पूर्वी सियांग
3	असम(2)
	11 नागांव
	12 कामरूप
4	बिहार (5)
	13 गया #
	14 भोजपुर
	15 नालंदा
	16 वैशाली
	17 छपरा
5	छत्तीसगढ़ (2)
	18 धामतरी
	19 राजनंदगांव #
6	गुजरात (6)
	20 बडोदरा
	21 जूनागढ़
	22 राजकोट
	23 भावनगर
	24 अहमदाबाद
	25 कच्छ
7	हरियाणा (5)
	26 करनाल
	27 फरीदाबाद
	28 सिरसा
	29 कैथल
	30 सोनीपत
8	हिमाचल प्रदेश (2)
	31 शिमला
	32 हमीरपुर
9	जम्मू एवं कश्मीर (2)
	33 उधमपुर
	34 अनन्तनाग

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम
10	झारखंड (2)
	35 गोड्डा
	36 हजारीबाग #
11	कर्नाटक (4)
	37 बेलगॉम *
	38 गुलबर्गा
	39 मैसूर
	40 हस्सन *
12	केरल (2)
	41 कोल्लम
	42 इदुकी
13	मध्य प्रदेश (6)
	43 सिधी
	44 रीवा
	45 बालाघाट#
	46 सेहोर
	47 देवास
	48 इंदौर
14	महाराष्ट्र (6)
	49 गोंदिया#
	50 नागपुर
	51 भंडारा
	52 यवतमाल*
	53 जालना
	54 वर्धा
15	मणिपुर (2)
	55 थूबल
	56 पश्चिम इंफाल
16	मेघालय (2)
	57 पश्चिम गारो हिल्स
	58 जैंतिया हिल्स
17	मिजोरम (2)
	59 सैहा
	60 कोलासिब
18	नागालैंड (2)
	61 कोहिमा
	62 वोखा
19	उड़ीसा (2)
	63 पुरी
	64 संबलपुर #

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम
20	पंजाब(6)
	65 गुरदासपुर
	66 जलंधर
	67 होशियारपुर
	68 भटिंडा
	69 मोगा
	70 मनसा
21	राजस्थान (6)
	71 चित्तौडगढ़
	72 नागौर
	73 भीलवाड़ा
	74 जोधपुर
	75 बीकानेर
	76 श्री गंगानगर
22	सिक्किम (2)
	77 पश्चिम सिक्किम
	78 उत्तरी सिक्किम
23	तमिलनाडु (5)
	79 विल्लुपुरम
	80 तिरुनेलवेली
	81 थिरूवरापल्ली
	82 धरमापुरी
	83 थिरूवन्नामलाई
24	त्रिपुरा (1)
	84 दक्षिण त्रिपुरा
25	उत्तर प्रदेश (12)
	85 मथुरा
	86 देवरिया
	87 जौनपुर
	88 सीतापुर
	89 सुल्तानपुर
	90 हरदोई
	91 गोंडा
	92 खीरी
	93 बिजनौर
	94 गाजीपुर
	95 रायबरेली
	96 सोनभद्रा #
26	उत्तराखंड (2)
	97 देहरादून
	98 नैनीताल
27	पश्चिम बंगाल (2)
	99 हुगली
	100 जलपाईगुड़ी

* आत्म हत्या संभावित जिले
# आंतक प्रभावित जिले

* आत्म हत्या संभावित जिले
# आंतक प्रभावित जिले